राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 07]   पन्द्रहवीं विधान सभा के सातवें सत्र का चौबीसवां दिवस   [संख्या: 11

शुक्रवार,

04 मार्च 2022

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। श्री गणेश घोघरा।

डूंगरपुर में खातेदारी अधिकार

168. श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में कई वर्षों से चरागाह, बिलानाम भूमि पर काबिज व काश्त कर रहे तथा मकान बनाकर रह रहे कब्जाधारियों को खातेदारी अधिकार देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र की बिछीवाड़ा पंचायत समिति के मालमाथा ग्राम पंचायत के राजस्व गांव मालमाथा, झालण की राजस्व रिकार्ड में दर्ज वन भूमि को स्थानीय आदिवासियों के नाम वनाधिकार पत्र आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री रामलाल जाट): (1) जी हां। कई काश्तकार बिलानाम व चरागाह भूमि पर काबिज हैं। विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में जो आदिवासी कई वर्षों से चरागाह भूमि पर काबिज हैं और काश्त कर रहे हैं, मकान बना कर रह रहे हैं, उनको खातेदारी हक वर्तमान नियमों एवं न्यायालय निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सम्भव नहीं है। बिलानाम भूमियों पर काबिज पात्र/भूमिहीन सद्भावी काश्तकारों को ''प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021'' में भूमि आबंटन/नियमन किये गये हैं।

राजस्व विभाग के आदेश दिनांक 16.11.2021 के द्वारा कृषि प्रयोजन हेतु गैर मुमकिन भूमि पर किये गये अतिक्रमणों के नियमन की

(राजस्व मंत्री)

तिथि 15.07.2004 एवं सिवायचक भूमि पर किये गये अतिक्रमणों के नियमन की तिथि 01.01.2015 तक कर दी गयी है। राजस्व विभाग से जारी पत्र दिनांक 16.12.2021 के द्वारा सभी जिला कलेक्टर्स को उनके क्षेत्राधिकार में नियमन/आबंटन योग्य कृषि भूमि के आबंटन/नियमन में प्रगति लायी जाने एवं इस दृष्टि से लम्बित प्रकरणों का शत-प्रतिशत निस्तारण करवाया जाकर शासन को पालना रिपोर्ट भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया है।

राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आबंटन) नियम, 1970 के नियम 20 में अतिक्रमियों को भूमि नियमित कर आबंटन का प्रावधान है। ऐसी भूमियां, जो उक्त नियमों के नियम 4 में वर्णित प्रतिबंधित श्रेणी की भूमियां नहीं हैं एवं नियम 20 के तहत विहित शर्तों की पूर्ति करती हैं, को नियमित किया जा सकता है।

(2) विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के पंचायत समिति बिछीवाड़ा के राजस्व ग्राम मालमाथा व झालण की भू-राजस्व रिकार्ड में वन भूमि में दर्ज हैं। राजस्व ग्राम मालमाथा व झालण में वनाधिकार के तहत प्राप्त आवेदनों पर की गयी कार्रवाई निम्न प्रकार से है:-

क्र.सं.	गांव	कुल प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन	निरस्त
1	मालमाथा	466	232	234
2	झालण	114	28	86

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पंचायती राज संस्था बनने से पहले ही लोग बिलानाम भूमि पर बैठे हुए हैं और आपने बताया अतिक्रमण, अतिक्रमण तो बाद में होता है, वे तो पहले से बैठे हुए हैं। नियम-कायदे-कानून बाद में बने हैं...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): बिलानाम जमीन पर वे पहले से बैठे हैं- बीलड़ी, भाटपुर, कुशाल मगरी, सियाल दरी।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें। उन्हें बता रहे हैं क्या? प्रश्न पूछें।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): दूसरा भी पूछ लूं मैं, जैसे कि यह वनाधिकार वाला बताया है तो यह भी भूमि पहले बिलानाम राजस्व की थी,

(श्री गणेश घोघरा)

बाद में उसे वन विभाग में ले लिया है। क्या इसका खातेदारी हक, वनाधिकार में पट्टा देना चाहेंगे कि नहीं?

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में ''प्रशासन गांवों के संग'' अभियान में हाइएस्ट भूमि डूंगरपुर जिले में अलाट हुई है। इन्हीं नियमों में सिवायचक, जो अतिक्रमी थे, उन्हें 1842 तो डूंगरपुर में, बिछीवाड़ा में 2361 और दोवड़ा में 731, यानी लगभग इन सारे काश्तकारों को सबसे ज्यादा डूंगरपुर में अलाट की गयी। फिर भी माननीय सदस्य के यहां कहीं अतिक्रमी हैं, हमने तारीख बढ़ायी दस साल, मुख्य मंत्री जी को निवेदन किया था, उसमें उन्होंने रिलैक्सेशन किया, सरलीकरण किया। अगर उस श्रेणी में आता है तो हम अभी भी नियमन कर देंगे। जो ''प्रशासन गांवों के संग'' फोलो कैम्प है, उसमें अभी भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अतिक्रमी हैं, बाकायदा नियमन में उसके नियम बने हुए हैं, चार हैक्टेयर से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिये। उसे हम अभी भी अलाट कर देंगे।

जो दूसरा सवाल है वन विभाग का, वन विभाग में 13 दिसम्बर, 2005 के पूर्व काबिज जो तीन पीढ़ियां, जो यूपीए सरकार ने उस समय वनाधिकार पत्र देने का निर्णय दिया था, उसकी एक कमेटी बनायी। एक ग्राम पंचायत लेवल पर, एक उप-खण्ड लेवल पर, एक जिला कलेक्टर लेवल पर, उसमें ज्यों-ज्यों आवेदन आये, उनका निस्तारण हुआ है। फिर भी कोई अगर उनकी श्रेणी में आता है 13 दिसम्बर, 2005 से पूर्व काबिज, तो खातेदारी हक तो हम नहीं दे सकते, लेकिन रहने की जगह का इस वनाधिकार पत्र में प्रोविजन किया हुआ है, उसमें हम दे सकते हैं।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, पहले जो मालमाथा और झालण राजस्व विभाग में पड़ते थे, उन्हें बाद में वनाधिकार में ले लिया है, तो उन्हें क्या आप वनाधिकार पट्टा देना चाहेंगे? यह पूछ रहा हूं मैं।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मालमाथा और झालण, दोनों में जो आवेदन प्राप्त हुए हैं, मैंने बताया 466 मालमाथा में प्राप्त हुए हैं, 234 निरस्त हुए हैं और 232 को वनाधिकार पत्र मिल चुका है। झालण में 114 प्राप्त हुए हैं, 86 निरस्त हुए हैं और 28 को मिला है। यह कमेटी, जिसमें सरपंच, पटवारी, वन रक्षक हैं, फिर उप-खण्ड एसडीएम साहब हैं, फिर जिला कलेक्ट्रेट पर जिला कलेक्टर डीएफओ वगैरह हैं, अगर फिर भी

(श्री रामलाल जाट)

इनमें कोई वंचित है तो आप एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं तथा और कोई छूट रहा है तो उस कमेटी में आप लिखिये। हम आपकी मदद करेंगे जितना हो सकता है। जो भी नियमों के आधार पर होगा, उसे निश्चित रूप से मिलेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री पदमाराम।

चौहटन में खानों की रायल्टी

169**. श्री पदमाराम** (चौहटन): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र चौहटन में कुल कितनी खानें आबंटित हुई हैं? उक्त आबंटित खानों में से कितनी खानों में खनन कार्य हो रहा है?

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र की खानों से कितनी रायल्टी प्राप्त हो रही है व संवेदक द्वारा रायल्टी लेने के क्या प्रावधान हैं? क्या यह सही है कि उक्त खानों से रायल्टी प्राप्त नहीं हो रही है? क्या सरकार इसकी जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खान मंत्री (श्री प्रमोद भाया): (1) विधान सभा क्षेत्र चौहटन में 30 खनन पट्टे स्वीकृत हैं। उक्त स्वीकृत खनन पट्टों में से वर्तमान में 25 खनन पट्टों में खनन कार्य हो रहा है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के खनन पट्टों से वर्ष 2020-21 में रुपये 51.26 लाख तथा चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में दिनांक 15.02.2022 तक रुपये 65.44 लाख रायल्टी के प्राप्त हुए हैं। संवेदक द्वारा रायल्टी वसूल करने के प्रावधान राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 44 में दिये गये हैं। सम्बन्धित नियम 44 की प्रति परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है। विधान सभा क्षेत्र चौहटन में स्वीकृत खानों से विभाग को नियमानुसार रायल्टी प्राप्त हो रही है। अतः जांच की आवश्यकता नहीं है।

(प्रति विवरण पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री पदमाराम (चौहटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से आपके मार्फत जानना चाहता हूं कि स्टोन क्रेशर के अन्दर मूंगिया है वाप्सी है या डस्ट है, उनकी क्या रायल्टी मिलती है? यदि हां, तो कितनी? यदि नहीं, तो क्या इसकी जांच कराना चाहते हैं?

दूसरा, मेरा निवेदन है कि चौहटन विधान सभा क्षेत्र में कई अवैध

(श्री पदमाराम)

खानें चल रही हैं, उनके खिलाफ कई शिकायतें प्राप्त हुईं, उनके खिलाफ कितने मामले दर्ज हुए और उनकी रोकथाम के लिए आप क्या कोशिश करना चाहते हैं?

तीसरा मेरा निवेदन है कि जो वहां रायल्टी के ठेकेदार हैं, वे कस्टमरों से अवैध वसूली कर रहे हैं। क्या आप उनके खिलाफ जांच करना चाहते हैं?

श्री प्रमोद भाया (खान एवं पैट्रोलियम मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाही, आपके सात स्टोन क्रेशर, जिसमें छह स्टोन क्रेशर धारकों ने खान विभाग से डीलर का पंजीयन करा रखा है और वे रायल्टी के बाद ही रवन्ना के माध्यम से ग्रीट को ट्रांजिट पास के माध्यम से निर्गमन करते हैं और डस्ट और मूंगिया को भी नियमानुसार निर्गमन करते हैं। फिर भी यदि माननीय सदस्य को लगता है कि स्टोन क्रेशर कोई अवैध रूप से संचालित है, तो मैं इसी माह विजिलेंस भिजवाकर उसकी जांच करवा लूंगा।

दूसरा, आपने जो जानकारी चाही अवैध खनन के बारे में, तो गत तीन वर्षों में चौहटन विधान सभा क्षेत्र में अवैध खनन की छह शिकायतें प्राप्त हुईं। चार की जांच पूरी हो चुकी है, दो की जांच चल रही है। सामान्य प्रक्रिया के तहत अवैध खनन की रोकथाम हेतु अधिकारियों द्वारा 64 प्रकरण दर्ज कर 90 लाख रुपये वसूल किये जा चुके हैं। यदि माननीय सदस्य के संज्ञान में कोई अवैध खनन की शिकायत है तो मुझे लिखित में दे दें, उसकी भी मैं जांच करवा लूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, रायल्टी ठेके की जो बात की है, विधान सभा क्षेत्र चौहटन में खनिज मेसनरी स्टोन की रायल्टी का ठेका आनन्द सिंह के नाम पर है। वर्तमान तक कोई लिखित शिकायत ठेके के विरुद्ध प्राप्त नहीं हुई, परन्तु माननीय सदस्य की भावनाओं का सम्मान करते हुए इसकी जांच करा लूंगा। यदि किसी तरह का उसमें उल्लंघन पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री संजय शर्मा।

अलवर को पर्यटन विकास हेतु राशि का आबंटन

170. **श्री संजय शर्मा** (अलवर शहर): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार जिला अलवर को पर्यटन की दृष्टि

(श्री संजय शर्मा)

से विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले को वर्ष 2018 से 2021 की अवधि में पर्यटन विकास हेतु कब-कब, कितनी-कितनी राशि आबंटित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पर्यटन मंत्री (श्री विश्वेन्द्र सिंह): (1) जी हां। राज्य बजट 2021-22 के अन्तर्गत "धार्मिक पर्यटन सर्किट" के तहत अलवर स्थित तिजारा जैन मन्दिर के विकास कार्य स्वीकृत किये गये हैं। विभाग में बजट उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्यों हेतु युक्तियुक्त निर्णय लिया जाता है।

(2) वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2020-21 की अवधि में जिला अलवर के पर्यटन विकास हेतु राशि आबंटित नहीं की गयी है।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि वर्ष 2021-22 में अलवर जिले के पर्यटन विकास हेतु कितनी राशि आबंटित की गयी है? साथ ही साथ, अलवर जिले स्थित तिजारा जैन मन्दिर के विकास हेतु कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये हैं? कितनी-कितनी राशि उन कार्यों के लिए स्वीकृत की गयी है तथा वे कार्य कब तक पूर्ण कर लिए जायेंगे?

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैन सर्किट के अन्तर्गत तिजारा, अलवर के जैन मन्दिर के विकास हेतु राशि रुपये 2.44 करोड़ स्वीकृत की गयी है। प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 20.01.2022 को इस वित्तीय वर्ष हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। उक्त कार्य के क्रियान्वयन हेतु कार्यकारी एजेंसी राजस्थान पर्यटन विकास निगम को राशि रुपये 20 लाख हस्तान्तरित कर दी गयी है।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि वर्ष 2021-22 में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा वायबिलिटी गैप फण्ड योजना के तहत भानगढ़, अलवर तक क्या लग्जरी बस चलाने की घोषणा की गयी थी? क्या वह बस शुरू कर दी गयी है? यदि नहीं, तो कब तक शुरू कर दी जायेगी? माननीय मंत्री महोदय, बतायें।

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को इसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि अभी फिलहाल

(श्री विश्वेन्द्र सिंह)

शुरू नहीं की गयी है और शीघ्र ही मैं आपको पर्सनली इसकी जानकारी दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का उत्तर आपने भी देखा होगा। राज्य बजट 2021-22 के अनतर्गत "धार्मिक पर्यटन सर्किट" के तहत अलवर स्थित तिजारा जैन मन्दिर के विकास कार्य स्वीकृत किये गये हैं। बजट में स्वीकृत किये गये हैं। अब इसके नीचे जो उत्तर लिख रहे हैं, विभाग में बजट उपलब्धता, जब आपने बजट ही स्वीकृत कर दिया तो उपलब्धता का यहां शब्द लिखना क्या विभाग की कमजोरी साबित नहीं कर रहा है?

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नेता, प्रतिपक्ष जी से निवेदन करना चाहता हूं कि देखिये, कई समस्याएं हैं। सही समस्या है, सही ही बता रहा हूं और आप अगर उसको गलत मानो तो उसका क्या इलाज है, आप तो मेरी हर बात को गलत मानते हो। माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। जो आपकी सरकार दिल्ली में बैठी है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्पिरिचुअल सर्किट में अलवर जिले के पाण्डुपोल हनुमान जी हेतु 8.8842 करोड़ तथा भर्तृहरि हेतु राशि 129.14 लाख के विकास कार्य स्वीकृत किये गये थे। वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सके। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त सूचना अनुसार अभी उक्त कार्य ड्रॉप कर दिये गये हैं तो इसमें आप हमारी भी थोड़ी मदद करें तो बड़ी कृपा रहेगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह आपका 2021-22 का बजट भाषण है। इस बजट भाषण में आपने सारे स्थानों को लिखते हुए एक-एक का डिटेल में नाम लिखा है। धार्मिक पर्यटन सर्किट बनाने के लिए इस पर 100 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। बजट रखा हुआ है, 2021-22 में आपने बजट दिया है और अब आप कह रहे हो कि बजट की उपलब्धता पर, तो या तो बजट के अन्दर लिखा, यह ठीक नहीं था या फिर आज जो उत्तर दे रहे हो यह ठीक नहीं है। दोनों में से कोई एक ठीक नहीं है।

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): मैं आपको आश्वस्त कर देता हूं कि बजट का पूरा क्रियान्वयन होगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री ज्ञानचंद पारख।

पाली में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी

171. श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला पाली की पंचायत समिति रोहट के किस-किस गांव में किस-किस व्यक्ति का प्रधानमंत्री आवास योजना की वरीयता सूची में नाम आने के पश्चात् उसके पास आबादी भूमि में भूखण्ड नहीं होने के कारण उसे उक्त योजना में लाभान्वित नहीं किया गया? क्या सरकार उक्त को आबादी भूमि में नि:शुल्क भूखण्ड उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पंचायत समिति रोहट के किस-किस गांव में वर्तमान में किस-किस परिवार के पास पूर्णतया कच्चा मकान या एक कमरे वाला पक्का, आंशिक मकान नहीं होने के बाद भी उसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभान्वित किये जाने वाली सूची में नही हैं? क्या सरकार उक्त परिवारों का पुन: सर्वे कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री रमेश चन्द मीना): (1) जिला पाली की पंचायत समिति रोहट में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की वरीयता सूची में नाम आने के पश्चात् 137 व्यक्तियों को स्वीकृति जारी की जा चुकी है, लेकिन आबादी भूमि में आवासीय भूखण्ड का पट्टा उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रथम किस्त की राशि जारी नहीं की जा सकी है। योजना के प्रावधानानुसार लाभार्थी के नाम आवासीय भूखण्ड उपलब्ध होने पर ही प्रथम किस्त की राशि जारी की जायेगी। ग्रामवार 137 परिवारों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

सरकार उक्त को आबादी भूमि उपलब्ध होने पर नियमानुसार भूखण्ड उपलब्ध कराते हुए प्रथम किस्त की राशि जारी करने का प्रयास करेगी।

(2) पाली जिले की पंचायत समिति रोहट के 1093 परिवारों की सूचना तकनीकी कारणों से भारत सरकार के "आवास प्लस ऐप" पर अपलोड नहीं होने के कारण उनके नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता सूची में शामिल नहीं हो सके हैं। सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

राज्य सरकार द्वारा उक्त पात्र परिवारों को वरीयता सूची में शामिल

(ग्रामीण विकास मंत्री)

कराने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से आग्रह किया गया है, जिस पर उनके स्तर से अन्तिम निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।

(विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये)

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दिया कि 'सरकार को उक्त को आबादी भूमि उपलब्ध होने पर नियमानुसार भूखण्ड उपलब्ध कराते हुए प्रथम किस्त, तो क्या सरकार के पास वहां कोई आबादी भूमि है ही नहीं? पहले भी आपने अनेकों ऐसे परिवारों को जिनके आबादी भूमि में भूखण्ड नहीं थे और प्रधानमंत्री आवास आ गये उनको आपने नि:शुल्क भूखण्ड उपलब्ध करवाये हैं। हमारी सरकार ने काफी करवाये हैं। एक तो बता दो कि सरकार के पास आबादी भूमि है ही नहीं, तब तो बात ही खतम हो जाये। आबादी नहीं होगी तो सिवायचक होगी, तो उसको आप परिवर्तित कर सकते हो तो मेहरबानी करके ऐसे परिवार जिनकी प्रधान मंत्री जी ने राशि भिजवा दी और भूखण्ड नहीं होने से अभी तक उस योजना से वंचित रह गये, उनको आप कब तक नि:शुल्क भूखण्ड उपलब्ध करा दोगे?

दूसरे में आपने उत्तर दिया कि 1093 परिवार तकनीकी कारणों से भारत सरकार के ऐप में अपलोड नहीं हो रहे हैं, तो ये कैसे तकनीकी कारण हैं जिनसे अपलोड नहीं हो रहे हैं? 1093 परिवार जो वाकई में पात्रता रखते हैं, आपने उनकी जांच कर ली, आपने पात्र मान लिया तो यह कब तक करवा दोगे और आपने अब तक इन लोगों को लाभार्थियों की सूची में सम्मिलित करने के लिए क्या-क्या प्रयास किये? इन दोनों का जवाब आप मुझे दे दें।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछा है कि भूमिहीनों को भूखण्ड आबंटन के लिए हमने जो प्रयास किये हैं उसमें भाकरीवाला में करीब 28 प्रकरण हैं, जिनका जिला कलेक्टर/उप खण्ड अधिकारी से ले-आउट प्लान मांगा गया है। इसी तरह चेण्डा में जनसंख्या के अनुपात में पर्याप्त भूमि उपलब्धता के कारण नया आबंटन सम्भव नहीं है, ढाबर कलां में प्रक्रियाधीन है। दिवांदी में जनसंख्या के अनुपात में पर्याप्त आबादी भूमि उपलब्ध, अत: आबंटन सम्भव नहीं है। इस तरह के प्रकरण हैं। इसी तरह से कलाली में करीब 54 प्रकरण हैं, जिनका आबंटन प्रक्रियाधीन है और 31.01.2022 को जिला कलेक्टर महोदय द्वारा उपलब्ध अधिकारी से ले-आउट प्लान मांगा गया

(श्री रमेश चन्द मीना)

है। खारडा में यूआईटी क्षेत्र में होने के कारण प्रस्ताव पुन: यूआईटी को प्रेषित किये जायेंगे। खूण्डावास में प्रक्रियाधीन है, कुलथाना में लाभार्थियों के पास भूमि उपलब्ध है परन्तु गोचर में बनाना चाह रहे हैं। मण्डावास में भूमि उपलब्ध है अत: आबंटन सम्भव नहीं है। नीम्बली उर्रा, प्रक्रियाधीन है। रोहट में सिवायचक भूमि डीएमआईसी, रीको के नाम आबंटन योग्य भूमि उपलब्ध नहीं है अत: आबंटन सम्भव नहीं है। सांवलता कलां, आबंटन प्रक्रिया 31.01.2022 को जिला कलेक्टर महोदय द्वारा उप खण्ड अधिकारी से ले-आउट प्लान मांगा गया है। सिणगारी, सिवायचक भूमि डीएमआईसी, रीको के नाम आबंटन योग्य भूमि उपलब्ध नहीं है। यह तो है आपकी 137 की, फिर भी हमारा प्रयास है कि हमने यहां प्रमुख शासन सचिव, सी.एस. के माध्यम से जिला कलेक्टर्स को दिशा-निर्देशित किया है कि भूमिहीन हैं और वास्तव में इसमें जो संख्या है, उसमें 98 तो एससी के लोग हैं, 7-8 लोग माइनोरिटी के हैं, एसटी के भी 7-8 लोग हैं और 22 लोग जनरल के हैं, जिनके वास्तव में भूमि नहीं है। हमने 2016-17 का जो आबंटन था उसमें 137 लोगों को यह स्वीकृति जारी की लेकिन माननीय विधायक महोदय, आपकी भी इसमें जिम्मेदारी बनती है कि 2016-17 से वहां के एसडीएम और कलेक्टर से आप थोड़ा-सा निवेदन करते तो आज इस समस्या का समाधान हो जाता।

दूसरा, 1093 लोगों की आपने बात की है, 7 लाख 15 हजार 140 लोग 23 लाख में से अपलोड होने से वंचित रह गये तो समय की कमी मान लें, माननीय केन्द्रीय मंत्री से हमारे मुख्य मंत्री जी ने, हमारे तत्कालीन उप मुख्य मंत्री जी सचिन पायलट जी ने और मैं भी अभी 12 जनवरी को इस सन्दर्भ में माननीय केन्द्रीय मंत्री जी से मिला हूं। इस तरह 11 विभागीय पत्र हमने उनको लिखे हैं, बराबर हम उनके सम्पर्क में हैं। हमारे जो लोग वंचित रह गये हैं, उनको स्वीकृति जारी करने व जो अधिकार है, वह राज्य सरकार को दिया जाये। जैसे हमारे 2 लाख 6 हजार 509 लोग रिजेक्ट कर दिये गये, तो वह अधिकार हमें मिलता।

तीसरी बात यह है कि एक बार दो साल के अन्तर में अपलोड होने के बाद में एक बार सूचित किया जाता है एसएमएस या किसी सूचना के द्वारा कि आपकी डाटा एन्ट्री में या किसी कारण से किसी भूमि पर बीघा की जगह एकड़ लिख दिया गया या लैण्ड लाइन नम्बर की जगह टेलीफोन नम्बर लिख दिये, सेम जॉब कार्ड थे। इस तरह करीब 13-14 पैरामीटर थे। उनकी

(श्री रमेश चन्द मीना)

वजह से लोग वंचित रह गये, तो हमने आपके रोहट में दुबारा 335 का सर्वे करवाया है, करीब 224 लोग पात्र हैं और इनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को पात्रता सूची में जोड़ा जाये।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि कुछ जगह पर आपके पास आबादी भूमि में भूखण्ड ही उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो वहां आपकी कोई न कोई सिवायचक भूमि होगी। अभी आपका प्रशासन गांवों की ओर अभियान चल रहा है और उस अभियान के तहत आपने यह एक बिन्दु भी रखा है कि जिनके पास भूखण्ड नहीं है, उनको हम भूखण्ड भी देंगे, तो कम से कम आप कोई भी सिवायचक भूमि को, कोई बहुत बड़ी नहीं होगी, बीघा-दो बीघा में ये सारे मकान बन जायेंगे, तो क्या सिवायचक को आबादी भूमि में परिवर्तित कर देंगे और उनको आवास बनाने के लिए नि:शुल्क भूखण्ड दिलवा देंगे? यह थोड़ा आप बता दें, क्योंकि लम्बे समय से अटका हुआ है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें, एक्सप्लेन नहीं करें। देंगे या नहीं देंगे, बात खतम हुई।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): एक मिनट, आपने मुझे कहा, पहले प्रयास क्यों नहीं किया। मैंने पहले प्रयास किया है। पहले भी ऐसे पचासों लोगों को दिलवाया है और यह भारत सरकार की 193 की सूची है। कब-कब आपने पत्र लिखा? इसकी कापी आप उपलब्ध करवा दें तो हम भी प्रयास कर लेंगे, धन्यवाद।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मेरा निवेदन है कि जिस तरह से आप भूमि आबंटन की बात कर रहे हैं, कुछ लोगों को हमने वहां भेजकर पता करवाया। वे जिस जगह चाहते हैं, वहां भूमि उपलब्ध नहीं है। जैसे कोई चरागाह भूमि है या जिस भूमि को हम आबंटित नहीं कर सकते, तो उस भूमि को हम दे नहीं पाते। वे लोग वहीं रहना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, जो चाहते हैं कि प्रक्रियाधीन, तो उसके लिए हमने प्रश्न आने के बाद कलेक्टर से बात की है तो कुछ लोगों को, करीब आधे से ज्यादा लोगों को भूमि आबंटन जिनको हो जायेगी तो प्रथम किस्त हम जारी करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। अमीन खां।

बाड़मेर में अल्पसंख्यक बहुल ब्लाक

172. **श्री अमीन खां** (शिव): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री अमीन खां)

(1) जिला बाड़मेर में कुल कितने ब्लाक हैं? उक्त में से कितने ब्लाक अल्पसंख्यक बहुल हैं?

(2) क्या यह सही है कि जिस समय अल्पसंख्यक ब्लाक बनाये थे उस समय जिले में 8 ब्लाक थे व वर्तमान में 21 ब्लाक हैं?

(3) अल्पसंख्यक ब्लाक बनाने के क्या मापदण्ड हैं?

अल्पसंख्यक मामलात मंत्री (श्री शाले मोहम्मद): (1) जिला बाड़मेर में कुल 21 ब्लाक हैं। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम अन्तर्गत जिला बाड़मेर में एक (01) अल्पसंख्यक बहुल ब्लाक चयनित है।

(2) जी हां। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम अन्तर्गत वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर अल्पसंख्यक बहुल ब्लाक निर्धारण के समय जिले में 8 ब्लाक थे और वर्तमान में जिला बाड़मेर में 21 ब्लाक हैं।

(3) प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम हेतु जारी दिशा-निर्देश के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार अल्पसंख्यक बहुल जिला/ब्लाक/कस्बा का निर्धारण अल्पसंख्यक समुदाय की पर्याप्त जनसंख्या (क्षेत्र में 25 प्रतिशत क्षेत्र अल्पसंख्यक आबादी) एवं पिछड़ेपन के मापदण्ड (सामाजिक-आर्थिक संकेतक तथा आधारभूत सुविधा संकेतक) के आधार पर किया जाता है, मापदण्डों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अमीन खां (शिव): अध्यक्ष महोदय, 2011 की जनगणना के आधार पर अल्पसंख्यक ब्लाक का मापदण्ड है, उसके अनुसार मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बाड़मेर जिले के ब्लाक सेडवा, धणाऊ, पाटोदी, रामसर और गडरारोड ब्लाक आते हैं या नहीं आते हैं?

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, क्योंकि बाड़मेर जिले में अभी तक एक ही ब्लाक चौहटन आ रहा है, जबकि ये ब्लाक बने थे, उस समय पूरे जिले में 8 ब्लाक थे और अभी कुल मिलाकर 21 ब्लाक हो गये हैं। भारत सरकार 2011 को जनगणना का आधार मान रही है। 2011 में, अभी जो पुराने ब्लाक हैं, चाहे नये ब्लाक बने पर अभी पुराने ब्लाक के आधार पर ही भारत सरकार उनमें कार्य स्वीकृत कर रही है।

श्री अमीन खां (शिव): भारत सरकार ने आपको मना किया है क्या कि इन ब्लाक को अल्पसंख्यक बहुल ब्लाक में नहीं मानते हैं? ऐसा भारत सरकार ने आपको लिखा है क्या?

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न सदन में पहले भी आपने निवेदन किया था और हमने आपके आधार पर ही भारत सरकार को पत्र लिखा था और आपके जो ब्लाक हैं, उनका सर्वे भी हमने करवाया था। हमने पत्र 9755 दिनांक 13.09.2019 को भेजा गया। उसके बाद सैकण्ड पत्र 6315 दिनांक 28.09.2020 को भेजा और इसके बाद 03.01.2022 को मुख्य सचिव द्वारा भी पत्र भेजा गया है।

श्री अमीन खां (शिव): अध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड। आपकी सहायता चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें। आप बैठें, मंत्री जी बोल रहे हैं। माननीय, पहले पूरी बात सुन लें, प्लीज।

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): क्योंकि जो भी इसके मापदण्ड तय किये जाते हैं, वे भारत सरकार तय करती है, इसलिए जो आपने कहा, हम तो निवेदन पहले से कर चुके हैं। जब भी भारत सरकार करना चाहेगी, हमने अपनी तरह से लैटर भेजा हुआ है। हमारी तरफ से उनको पुन लैटर लिखेंगे।

श्री अमीन खां (शिव): अध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड, आपकी सहायता चाहता हूं। क्या ये चार ब्लाक भारत सरकार के नियमानुसार अल्पसंख्यक मापदण्ड पूरे करते हैं या नहीं करते हैं? अगर करते हैं तो उसके लिए आपने भारत सरकार को कितनी बार लिखा और भारत सरकार ने मना किया है? वह सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: रख दिया, बोल दिया। अगला प्रश्न। श्री जब्बर सिंह सांखला।

आसीन्द नगरपालिका क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

173. श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका क्षेत्र आसीन्द में 08 आंगनबाड़ी केन्द्र ही स्वीकृत हैं, जबकि नगरपालिका में कुल 25 वार्ड हैं? क्या सरकार उक्त नगरपालिका क्षेत्र में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त नगरपालिका में आंगनबाड़ी केन्द्रों के स्वयं के भवन उपलब्ध नहीं हैं व किराये के भवन में संचालित हैं? क्या सरकार किराये के भवनों में संचालित केन्द्रों हेतु भूमि व भवन स्वीकृत करने

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री) (महिला एवं बाल विकास मंत्री के स्थान पर):- (1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के नगरपालिका में 09 आंगनबाडी केन्द्र स्वीकृत हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

1. आसीन्द प्रथम
2. आसीन्द द्वितीय
3. आसीन्द तृतीय
4. आसीन्द चतुर्थ
5. आसीन्द पंचम
6. भेरूखेडा
7. आसीन्द वार्ड नम्बर 13
8. आसीन्द वार्ड नम्बर 14
9. आसीन्द वार्ड नम्बर 10

नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने पर भारत सरकार की रोक है। स्थानीय प्रतिनिधियों/जन प्रतिनिधियों के द्वारा नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने के संबंध में निरन्तर की जा रही मांग को देखते हुए मांग आधारित नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र की स्वीकृति के बाबत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार को पत्र दिनांक 31.12.2020, 24.02.2021 व 27.08.2021 लिखे गए, जिनके क्रम में भारत सरकार स्तर से स्वीकृति अपेक्षित है।

(2) जी नहीं। आसीन्द के नगरपालिका में 09 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं, जिनमें से 2 आंगनबाडी केन्द्र विभागीय भवनों में, 2 आंगनबाडी केन्द्र विद्यालय में, 1 आंगनबाड़ी केन्द्र सामुदायिक भवन में तथा 4 आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित हैं।

आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य स्थानीय निकाय द्वारा नि:शुल्क भूमि आबंटन हो जाने पर एवं वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के अनुसार करवाया जाता है।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री राजेन्द्र राठौड़।

नई सड़क नीति

174. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बजट वर्ष 2019-20 में आगामी पांच वर्षों में समस्त ग्राम पंचायतों में एक नया विकास पथ बनाने व कुल 10 हजार किमी लम्बाई की सड़कें, नाली सहित बनाने की घोषणा की थी? यदि हां, तो उक्त योजनान्तर्गत जनवरी, 2022 तक कुल कितने विकास पथ बनाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा बजट 2020-21 में चूरू-तारानगर सड़क चौड़ाईकरण के लिए 16 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया था? यदि हां, तो उक्त सड़क निर्माण के लिए कितनी राशि किस मद में व्यय की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार ने नई सड़क नीति 2021 लाने की बजटीय घोषणा की थी? यदि हां, तो उक्त नीति को कब लागू किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री भजनलाल जाटव): (1) जी हां। विकास पथ योजनान्तर्गत जनवरी, 2022 तक 182 ग्राम पंचायतों में स्वीकृत विकास पथ में से 172 विकास पथ का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2020-21 में चूरू-तारानगर सड़क के किमी 3/0 से 25/0 के चौड़ाईकरण व सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु लागत राशि रुपये 16.00 करोड़ की घोषणा की गयी थी। इस कार्य हेतु डी.एम.एफ.टी. (जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट) के अन्तर्गत राशि रु. 16.00 करोड़ की स्वीकृति जारी की गयी, जिसके तहत अब तक राशि रु. 535.69 लाख व्यय की जा चुकी है।

(3) जी हां। बजट घोषणा 2021-22 में नवीन राज्य सड़क नीति-2021 को लाने की घोषणा की गयी थी, जिसका अनुमोदन प्रक्रियाधीन है। अनुमोदन पश्चात् नयी सड़क नीति-2021 को शीघ्र लागू किया जाना लक्षित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

महोदय से जानना चाहूंगा कि खण्ड-1 में आपने स्वीकार किया कि बजट वर्ष 2019-20 की घोषणा के अनुसार 5 वर्षों में प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में नया विकास पथ, 10 हजार किलोमीटर की सड़कें मय नाली बननी थी। आपने मुझे जो उत्तर भेजा है, उसमें आपने परिशिष्ट-अ पर 173 किलोमीटर मात्र सड़क बनायी है। यानी, 3 साल में 6 हजार की जगह पर 173 किलोमीटर बनी, तो क्या यह बैकलाग पूरा करने की सरकार मंशा रखती है या नहीं? नम्बर एक।

नम्बर दो, जिस सड़क के लिए मैंने पूछा चूरू-तारानगर के लिए आपने बजट में घोषणा की और बजट का पैरा भी मैं लेकर आया हूं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जब बजट में घोषणा की उसके बाद अब डीएमएफटी से 16 करोड़ रुपये की सड़क मंजूर करायी और खर्च किये आपने सिर्फ 5 करोड़ 35 लाख तो बजटीय घोषणा को डीएमएफटी से कब से फंडिंग होने लग गया? यह नयी परिपाटी कब से हो गयी? यह बता दें, और तीसरी बात आपने सड़क नीति की बात की है, यह प्रक्रिया कब पूरी कर लोगे? बस इतनी सी बात है।

श्री भजनलाल जाटव (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे उप नेता ने बताया कि विकास पथ, विकास पथ में जैसे कि पूरे प्रदेश में और प्रदेश में क्या, पूरे देश में कोविड की फर्स्ट लहर आयी तो पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता नहीं हो पायी, फिर प्रदेश में भी वही स्थिति रही, तो आपसे मैं निवेदन करता हूं कि हम लोगों ने और माननीय मुख्य मंत्री जी ने सब जन प्रतिनिधियों की भावना को देखते हुए वर्ष 2020-21 में 2021-22 में पांच करोड़ रुपये दिये और अभी 2022-23 में दस करोड़ रुपये देकर, प्रत्येक जन प्रतिनिधि की यह भावना थी कि हमको सड़कों के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो दस करोड़ की सड़कें स्वीकृत की हैं।

आपने फरमाया 16 करोड़ रुपये की राशि का, बिलकुल हम लोगों ने जो स्वीकृत की 16 करोड़ की जो सड़क है, यह आगे जो सड़क 2021-22 के अन्दर बजट घोषणा 2021-22 में तारानगर-नोहर किलोमीटर, कुल 115 किलोमीटर लम्बाई की सड़क ईपीसी मोड में पीपीपी योजना के अन्दर 361.950 करोड़ की स्वीकृति हुई थी, जिसमें सड़क का भाग पैकेज 7/200 से शुरू होता है, जो फंड मैंने आपको बता दिया कि 225 की लागत से तो आपकी वो जो चार किलोमीटर की सड़क थी वह बना दी, उसके बाद में जो शेष 18 किलोमीटर की जो 3 मीटर की सड़क थी वह हमने बना दी। जब

(श्री भजनलाल जाटव)

पीपीपी में आ गई तो सरकार का पैसा फिजूल नहीं जाये, इसलिए हम वो खर्च नहीं कर पाये और 361 करोड़ में वो सड़क उसमें सम्मिलित है, इसलिए हम लोग उसको खर्च नहीं कर पाये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल सीधा इतना था कि बजट घोषणा में पांच साल में दस हजार किलोमीटर विकास पथ बनने थे, आपने तीन साल बाद सिर्फ 173 किलोमीटर बनाये हैं। आपने हम विधायकों को पांच करोड़ दिये, आप तो यह बताओ कि इस घोषणा के अनुसार आप आगे बढ़ोगे कि नहीं बढ़ोगे? नम्बर दो, अगर आपको पीपीपी मोड पर ले जाना था तो आपने बजटीय घोषणा क्यों की? वो ही अधिकारियों ने आपको बजटीय घोषणा करवायी। लिखित में आपने बजट पैरा में डाली है तो यह बताओ तो सही।

श्री भजनलाल जाटव (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): या तो, उप नेता जी, आप जानबूझकर कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि जब पीपीपी पर चली गई तो उस पैसे को हम फिजूल क्यों खर्च करें? चूंकि वह पैसा बेकार जाता और वहां पर उस सड़क की चौड़ाई बढ़ेगी, तो यह मैंने आपको बताया कि 115 किलोमीटर की सड़क बन रही है और जन प्रतिनिधियों को ध्यान में रखते हुए, आपको भी ध्यान में रखते हुए हमने इस सड़क का डामरीकरण किया है, किसी तरह से क्षति नहीं हो जब तक पीपीपी में न बने।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, इसमें आपने जो परिशिष्ट-1 लगाया है इसको देखा है मैंने। आपने केवल 158 किलोमीटर की सड़क बनाने के लिए इसमें स्वीकृति दी है 142 करोड़ रुपये और अभी आपका खर्च हुआ है मात्र 87 करोड़ रुपया। अब यह जो आपने पहले प्रश्न की हां भरी, वह तो आपने पूरा ही एक तरह से जितनी योजनाओं की घोषणा की, जितना आपका बना था उन सबके लिए आपने हां शब्द का प्रयोग किया। इसका मतलब यह दस हजार किलोमीटर आपको बनानी थी, उसकी तुलना में आपने अभी तक जो बनायी है वह आपने 172 वाली दी है और 158 की स्वीकृति जारी की है और उसमें भी आपको पैसा तो 142 करोड़ रुपये स्वीकृत है और इस गति से आप अपने ये जो तीन साल की घोषणा का जो हां कहा, उसकी पूर्ति कब तक हो जायेगी?

श्री अध्यक्ष: 5-6 साल में हो जायेगी। अगला प्रश्न। श्रीमती अनिता भदेल।

अजमेर में विधवा एवं बीपीएल परिवार की पुत्रियों के विवाह हेतु देय राशि

175. **श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर दक्षिण): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला अजमेर में 31 जनवरी, 2022 तक विधवा एवं बीपीएल परिवारों की पुत्रियों के विवाह हेतु दी जाने वाली राशि का कौन-कौनसा प्रकरण कितने-कितने समय से किन-किन कारणों से लम्बित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त लम्बित प्रकरणों का निस्तारण अब कब तक कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री) (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के स्थान पर): (1) अजमेर जिले में विधवा एवं बीपीएल की (मुख्यमंत्री कन्यादान योजना) पुत्री के विवाह हेतु दी जाने वाली राशि के 31 जनवरी, 2022 तक आवेदन स्तर पर 39 प्रकरण लम्बित हैं।

लम्बित प्रकरणों की सूची समय एवं कारण सहित परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त लम्बित प्रकरणों का निस्तारण आवेदक द्वारा आक्षेप की पूर्ति करने के बाद कर दिया जायेगा।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं, प्रश्न के खण्ड दूसरे में कारण जब मैंने पूछा था कि इसका क्या कारण है, तो आपने कारण में लिखा है कि आवेदक द्वारा उक्त आक्षेप पूर्ति ई-मित्र स्तर से करवाते ही आवेदन की जांच एवं अग्रिम कार्रवाई कर दी जायेगी। अब ई-मित्र स्तर पर यह आवेदन लम्बित है तो मेरा एक प्रश्न तो यह है कि क्या मंत्री महोदय उन ई-मित्र संचालकों पर कोई पैनल्टी अधिरोपित करने का विचार रखते हैं, जिनकी लापरवाही की वजह से यह 39 प्रकरण अभी तक लम्बित हैं?

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से दूसरा मेरा यह निवेदन है कि जो आपने सूचना दी है मुझे उस सूचना में 6 प्रकरण श्रीनगर ब्लाक के बताये हैं, जो यह 6 प्रकरण श्रीनगर ब्लाक के हैं, आप यह देखिये

(श्रीमती अनिता भदेल)

एक-एक प्रकरण, अधिकारी किस तरह से गलत सूचना देते हैं, परिशिष्ट में 32 नम्बर पर जो प्रकरण है, वो फायसागर रोड, अजमेर उत्तर का है। 33 नम्बर पर जो प्रकरण है वो वार्ड नम्बर-52 जटिया हिल्स कालोनी, अजमेर उत्तर का है और इसी तरह से 37 नम्बर पर जो प्रकरण का उल्लेख है वह राजीव शर्मा, निवासी 541, हनुमान नगर के पास, इंदिरा कालोनी, यह भी अजमेर उत्तर का है तो जो आठ प्रकरण आपने श्रीनगर ब्लाक के बताये हैं उन आठ प्रकरणों में से सिर्फ एक प्रकरण श्रीनगर ब्लाक का है, बाकी तीन प्रकरण अजमेर उत्तर के हैं और चार प्रकरण अजमेर दक्षिण के हैं, जो चार प्रकरण अजमेर दक्षिण के हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, उनमें से एक प्रकरण आप देखिये...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। माननीय सदस्य, प्रश्न।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): हां, मैं उसी के बारे में प्रश्न पूछ रही हूं। यह जो प्रकरण है यह 2018 का है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2018 का जो प्रकरण है वह प्रकरण इसी कारण से लम्बित है कि ई-मित्र पर आवेदक द्वारा सूचनायें पूरी नहीं दी गयी हैं तो एक तो ई-मित्र के स्तर पर जो शुल्क लिया जाता है ऐसे फार्म भरने का, तो जो पक्ष है उस पक्ष ने शुल्क तो जमा करा दिया लेकिन उसको लाभ नहीं मिला, तो वह शुल्क उसको क्या वापस लौटायेंगे क्या और ई-मित्र पर जुर्माने की राशि अधिरोपित करेंगे क्या?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि अब क्या सरकारी स्तर पर अधिकारी क्रियाशील होकर के प्रोएक्टिव होकर के क्या इन प्रकरणों की पूर्ति करा करके इन 39 के 39 को आने वाले महीने तक राशि दे दी जायेगी क्या?

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्या ने श्रीनगर ब्लाक और अजमेर शहर के बारे में कहा, डिपार्टमेंट ने हर जिले के शहरी क्षेत्र को किन्हीं-किन्हीं ब्लाक में डाला हुआ है। अजमेर जिले में 9 ब्लाक हैं। अजमेर शहर को श्रीनगर ब्लाक में डाला हुआ है इसलिये यह शामिल में सूचना है।

दूसरा इनका कहना है कि 39 प्रकरण हैं जिनमें लम्बित रहने का कारण है, इसके अन्दर एक साल के भीतर-भीतर अगर एप्लाई कर देता है तो उसको यह पैसा मिलता है। हम इन आवेदनों को निरस्त कर दें तो निरस्त

(श्री रामलाल जाट)

करने के बाद उनका दुबारा राइट नहीं रहता है और उन्हीं के द्वारा मैरिज सर्टिफिकेट नहीं देने की वजह से जो हर प्रकरण के आगे लिख रखा है, खुद उस प्रार्थी की वजह से लम्बित प्रकरण है। एक भी प्रकरण डिपार्टमेंट की वजह से लम्बित नहीं है, सारे प्रकरण प्रार्थी की वजह से हैं। मैरिज सर्टिफिकेट आते ही, आज अभी सूचना आयी 39 में से अब 24 ही बाकी रहे हैं, अभी जस्ट।

तीसरा माननीय सदस्या का प्रश्न है यह जो ई-मित्र के माध्यम से होता है यह डीओआईटी के अधीन हमारे पूरे राजस्थान में लगभग 85 हजार ई-मित्र हैं, इनमें यह अधिकतर शिकायत आती है दो तरह की। एक तो कुछ गलत काम कर देते हैं और कुछ वित्तीय अनियमितता की आती है। इसके लिए डिपार्टमेंट ने प्रदर्शन बोर्ड के लिए पैनल्टी भी लगा रखी है कि जैसे सामूहिक विवाह सम्मेलन हो या व्यक्तिगत इंटरकास्ट मैरिज हो, इन सभी में हर फैक्टर की अलग-अलग रेट तय कर रखी है, इसमें पचास रुपये लेते हैं। प्रदर्शन बोर्ड आवश्यक है अगर नहीं लगाता है तो 1500 रुपये पैनल्टी लगती है। इसी तरह अगर वह एक बार गलती करने के बाद दुबारा गलती करता है तो पांच हजार से पचास हजार पैनल्टी का प्रावधान है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, सीधा प्रश्न है जो प्रकरण बचे हुए हैं उन प्रकरणों में एक महीने में अधिकारी को भेजकर उनको डिस्पोज करें। हां या ना, बात खतम होती है।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): बहुत जल्दी ही इनके प्रकरण..

श्री अध्यक्ष: एक महीने में आप इनको डिस्पोज करके माननीय सदस्या को इन्फोर्म कर दें कि ई-मित्र की गलती है या सरकारी स्तर पर करना है इसको।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): मैरिज सर्टिफिकेट लगते ही दस दिन होगा, दस दिन, महीना होगा, महीने में तुरन्त हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री चन्द्रभान सिंह आक्या।

चित्तौड़गढ़ में कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा किसानों को सहायता

176. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला चित्तौड़गढ़ में कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा कृषि

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

कार्य करते समय किसान के घायल होने या मृत्यु हो जाने पर वर्ष 2018 से अब तक कितने किसानों को सहायता राशि उपलब्ध करवाई गई?

(2) उक्त जिले में वर्ष 2018 से अब तक कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए? उक्त आवेदनों में से कितने आवेदन स्वीकृत किये गये तथा कुल कितने आवेदन किन कारणों से स्वीकृति हेतु शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त लम्बित आवेदनों का निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, कृषि विपणन (श्री मुरारी लाल): (1) जी हां। जिला चित्तौड़गढ़ में संचालित कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा जनवरी, 2018 से 15 फरवरी, 2022 तक राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के अन्तर्गत 592 लाभार्थियों को सहायता राशि उपलब्ध कराई गई, जिसका मण्डीवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जिला चित्तौड़गढ़ में संचालित कृषि उपज मण्डी समितियों में जनवरी, 2018 से 15 फरवरी, 2022 तक राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के अन्तर्गत कुल 759 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 592 आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये, जिनका मण्डीवार विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

जिला चित्तौड़गढ़ में संचालित कृषि उपज मण्डी समितियों में वर्तमान में 68 आवेदन पत्र लम्बित हैं, जिनका कारण सहित विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(3) वर्तमान में लम्बित 68 प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "स" के अनुसार है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर का काम करते हुए किसी की डैथ हो जाती है, उसके प्रकरण की सुनवाई एसडीएम साहब के वहां होती है। उनमें से काफी प्रकरणों को रिजेक्ट कर दिया जाता है और जिन प्रकरणों को ले लेते हैं, उनके पेमेंट एक-एक साल तक, छह-छह महीने तक नहीं होते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि मंत्री महोदय को पाबंद करें जो किसान खेत में मरे हैं, उनके प्रकरणों को रिजेक्ट नहीं करें और ऐसी कोई समय सीमा फिक्स करें कि उनको पैसा समय से मिल जाये।

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): अध्यक्ष महोदय, जितने प्रकरण पेंडिंग हैं उनके पीछे कोई न कोई किसी न किसी प्रकार का कारण है और मैं समझता हूं कि हम कोशिश करेंगे कि सब कामों का निस्तारण कर दिया जाय।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, इसमें जो आप 68 प्रकरणों को लम्बित मान रहे हैं, उनमें से अधिकांश का कारण है, एक तो छह महीने के बाद उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र दिये थे, वह ऑब्जेक्शन है और एक है एफएसएल यूनिट से उनकी रिपोर्ट नहीं आई। मैं सोचता हूं इन दोनों के बारे में आप यह बताओ कि आप और आपका विभाग इसके बारे में क्या प्रयत्न कर रहा है? एफएसएल की रिपोर्ट आप मंगा सकते हो, लिखकर मंगा सकते हो कि इतना समय हो गया, 2018 का प्रकरण अभी तक पेंडिंग है, जल्दी भेजो। कोई प्रयत्न किया है क्या? और छह महीने की छूट देनी है, वह तो आपको ही देनी है, जो भी निर्णय करना है, कीजिए।

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): अध्यक्ष महोदय, यह जो 68 प्रकरण हैं, इनमें अधिकतर वह हैं जो एफएसएल गये हुए हैं और एफएसएल वो ही प्रकरण जाते हैं जिनमें डैथ का कॉज होता है क्लीयर नहीं होता, उनको ज्यादातर एफएसएल भेजते हैं। इसके लिए हमारी तरफ से हम एफएसएल को लिखेंगे कि इन प्रकरणों की जल्दी रिपोर्ट भिजवायी जाये ताकि उनका निस्तारण हो सके।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री कालीचरण सराफ।

बाल श्रमिकों का पुनर्वास

177. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में कई व्यावसायिक एवं औद्योगिक कार्य स्थलों पर बाल श्रमिक कार्यरत हैं? यदि हां, तो प्रदेश में विगत तीन वर्षो में कितने-कितने बाल श्रमिक कब-कब मुक्त कराये गये? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि मुक्त कराये गए बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु सरकार की कोई कार्ययोजना है? यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में मुक्त कराये गये बाल श्रमिकों में से कितनों का पुनर्वास करवाया गया? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, श्रम (श्री सुखराम विश्नोई): (1) जी हां। प्रदेश में कई व्यावसायिक एवं औद्योगिक कार्य स्थलों पर बाल श्रमिक कार्यरत पाये गये, जिन्हें नियमानुसार मुक्त कराया गया, जिनका गत तीन वर्षों का विवरण वर्षवार परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) बाल श्रमिकों को मुक्त कराने तथा पुनर्वास करने की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) तथा बाल एवं कुमार श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 संशोधित अधिनियम, 2016 के अंतर्गत की जाती है।

विगत तीन वर्षों में मुक्त कराये गये सभी 4745 बाल श्रमिकों का पुनर्वास मानक संचालन प्रक्रिया अनुसार करवाया गया।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जिन नियोक्ताओं के विरुद्ध बाल श्रमिक काम में लिए जाने के प्रकरण सामने आये, कितने नियोक्ताओं के खिलाफ गत तीन वर्षों में आपने कार्यवाही की? दूसरा प्रश्न है, जिन बाल श्रमिकों को मुक्त कराया जाता है, वह पुन: मानव तस्करों के चंगुल में न फंसे, इसके लिए सरकार की ओर से गत तीन वर्षों में क्या प्रयास किये गये?

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष जी, माह जून, 2020 से मार्च, 2021 तक सर्वे किया जाकर 807, माह अप्रैल, 2021 से जून, 2021 तक करीब 129, माह जुलाई, 2021 तक 85 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): नियोक्ताओं के खिलाफ क्या कार्यवाही की?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप उत्तर ही नहीं सुनना चाहते। मंत्री जी को बोलने तो दें, आप खुद ही खड़े हो जाते हैं। प्लीज, वह खड़े हैं।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): जिनके खिलाफ जुर्म बनता था, बाकायदा उनका कोर्टों में चालान पेश किया गया और प्रक्रियाधीन है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): साहब, मैंने पूछा, कितने नियोक्ताओं के खिलाफ गत तीन वर्षों में कार्यवाही की गई, संख्या बता दीजिए। दूसरा, मैंने पूछा कि जिन बाल श्रमिकों को मुक्त कराया, वह पुन: मानव तस्करों के चंगुल में न फंसे, इसके लिए सरकार ने तीन साल में क्या प्रयास किये?

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): 14 वर्ष के जितने भी बाल श्रमिक थे, उनको उनके परिवार को सुपुर्द किया गया। इसके साथ-साथ भारत सरकार राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना द्वारा शिक्षा के साथ-साथ 150 रुपये प्रतिमाह फंड दिया जाता था। 21 जिलों में 16.41 करोड़ रुपये भारत सरकार में बाकी है, उसके लिए पत्राचार किया जा रहा है। जैसे ही रकम आयेगी...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, एक मिनट। माननीय मंत्री जी, दो प्रश्न हैं कि कितनों के खिलाफ कार्यवाही की, उनकी संख्या पूछी है और वापस वह उनके चंगुल में नहीं फंसे, उसका क्या करना है? इन दो का जवाब दें आप।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): जिनके खिलाफ अपराध बनता है, उन सभी के खिलाफ आरोप पत्र पेश किये गये। कुल 4745 थे, सभी के खिलाफ किये गये।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, जिनके यहां थे, ऐसे कितने आदमियों के खिलाफ कार्यवाही की, यह पूछ रहे हैं वह। कितनी संख्या है, यह पूछ रहे हैं।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): साहब, जिलेवाइज अलग-अलग है, सभी जिलों में है।

श्री अध्यक्ष: टोटल बता दें कि इतने आदमियों के खिलाफ कार्यवाही की।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): अजमेर में 2019 में 55, 2020 में 24...

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान) दो मिनट लगेंगे जवाब दे देंगे। मंत्री जी सीनियर आदमी हैं। माननीय मंत्री जी, मेरी बात आप सुनेंगे तो ठीक रहेगा। आपके विभाग के अधिकारी हैं? माननीय मंत्री जी, सीधा प्रश्न है कि कितने नियोक्ता, जिनके यहां काम कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्यवाही की? उनकी संख्या बतायें, नंबर एक। नंबर दो, दुबारा वह वापस उसमें नहीं फंस जाय, उनके लिए क्या कार्यवाही कर रहे हैं? दो ही बात हैं। (व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। प्रश्न स्थगित किया गया।

(प्रश्न स्थगित किया गया)

प्रश्न संख्या 178

अगला प्रश्न। श्री मदन प्रजापत।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री पुखराज।

भोपालगढ़ (जोधपुर) में नियमन कमेटी का गठन

179. श्री पुखराज (भोपालगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार सिवायचक, बंजड़, काबिल काश्त भूमि को वर्षों से काश्त कर रहे भूमिहीनों को नियमन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि भोपालगढ़ (जोधपुर) में नियमन कमेटी का गठन किया जा चुका है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री रामलाल जाट): (1) जी हां। समय-समय पर इस संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं तथा दिनांक 16.11.2021 को इस संबंध में पुन: आदेश जारी किया गया है, जिसमें गैर मुमकिन भूमि पर कृषि प्रयोजन हेतु किये गये अतिक्रमणों के नियमन की तिथि 15.07.94 से बढ़ाकर 15.07.2004 तथा सिवायचक भूमि पर कृषि प्रयोजन हेतु किये गये अतिक्रमणों के नियमन की तिथि 01.01.2005 से बढ़ाकर 01.01.2015 किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 16.11.2021 की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आबंटन) नियम, 1970 के उप नियम 13 में उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में आबंटन सलाहकार समिति के गठन का प्रावधान है। नियम 13 की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

जोधपुर जिले की तहसील भोपालगढ़ में नियमन का कोई प्रार्थना पत्र लम्बित नहीं होने के कारण नियमन कमेटी की बैठक आयोजित नहीं हुई है।

(प्रति विवरण पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री पुखराज (भोपालगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, आपने 16.11.2021 का जो आदेश जारी किया है जिसमें गैर मुमकिन भूमि और सिवायचक भूमि कृषि प्रयोजनार्थ के, रेगुलराइजेशन की समयावधि बढ़ाई है, 16.11.2021 का जो आदेश जारी किया है, क्या वह उन गांवों में लागू होगा जो जेडीए के क्षेत्राधिकार में आ गया है?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आते ही बातें नहीं करें, अभी बातें करके ही आये होंगे।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की पीड़ा सही है लेकिन सूची 4 में जो प्रतिबंधित है, वहां पर यह लागू नहीं होगा। उसमें 5 लाख की आबादी, 2 लाख की आबादी, 1 लाख की आबादी, अलग-अलग नियम बने हुए हैं। सर्कुलर इसके साथ लगा रखा है, अलग से आप मिलोगे तो मैं पूरा बता दूंगा लेकिन उस पर यह लागू नहीं होगा। प्रतिबंधित सूची में जो जमीनें हैं, जैसे नदी-नाले की है, चरागाह है, उस पर ये नियम लागू नहीं होंगे।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो गांव जेडीए के क्षेत्राधिकार में आ गये हैं, वहां पर जो गैर-मुमकिन भूमि है, उसमें शहीद स्मारक बनाने के लिए अलाटमेंट नहीं कर रहे हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये नियम लागू है या नहीं है?

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): लागू नहीं है, परिशिष्ट-4 की सूची में जो प्रतिबंधित हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, वे पूछ रहे हैं कि जेडीए के क्षेत्राधिकार में जो गांव आ गये हैं, उन गांवों के लिए यह सर्कुलर लागू है या नहीं है, यह पूछ रहे हैं।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में भी है कि मुख्य मंत्री जी ने कैबिनेट सब-कमेटी बनायी थी, उसमें यह निर्णय लिया। जो आबादी बसी हुई है, उनके नियमितीकरण और पट्टा का अधिकार कमेटी ने दिया है, जेडीए में, यूआईटी और नगर परिषद् एवं नगर निगमों में भी। उसमें यह है कि जो आबादी बसी हुई, उन पर दिया जायेगा। यह खाली जमीन पर लागू नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अमृतलाल मीणा।

सलूम्बर में नंदीशाला की स्थापना

180. श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश की समस्त पंचायत समितियों में नंदीशाला की स्थापना किया जाना प्रस्तावित था? यदि हां, तो अब तक प्रदेश में कितनी नंदीशालाओं की स्थापना की गयी? प्रदेश में विगत तीन वर्षों में नंदीशालाओं की स्थापना हेतु कितना बजट आबंटित किया जा चुका है व

(श्री अमृतलाल मीणा)

कितना बजट शेष है? वर्तमान में उक्त कार्य की प्रगति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की सलूम्बर, सराडा, सेमारी, झल्लारा व जयसमंद पंचायत समिति में कहां-कहां कितनी नंदीशाला स्थापित की गयी हैं? उक्त पर कितना बजट आबंटित हुआ एवं कितना व्यय हुआ? विगत 3 वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त नंदीशालाओं को आदर्श बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त के संबंध में क्या कार्ययोजना है व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

गोपालन मंत्री (श्री प्रमोद भाया): (1) जी हां। सरकार द्वारा प्रस्तुत परिवर्तित बजट 2019-20 में आवारा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए प्रत्येक पंचायत समिति पर नन्दीशालाएं स्थापित करने बाबत घोषणा की गयी थी। बजट 2021-22 में इस कार्य को और व्यापक रूप से करने की दृष्टि से अब इन नन्दीशालाओं को राशि 1.50 करोड़ रुपये के मॉडल के आधार पर बनाये जाने की घोषणा की गयी है।

बजट घोषणा अनुरूप पंचायत समिति स्तर पर नन्दीशालाएं स्थापित करने बाबत दिशा-निर्देश दिनांक 27.08.2021 को जारी किये जा चुके हैं। नन्दीशाला संचालन करने वाली संस्थाओं का चयन संबंधित जिला गोपालन समितियों द्वारा किये जाने हेतु निविदा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 24 जिलों में जिला गोपालन समितियों द्वारा निविदायें आमंत्रित की जा चुकी हैं तथा कार्य प्रक्रियाधीन है।

वर्तमान तक प्रदेश में नंदी गोशाला जनसहभागिता योजनान्तर्गत 16 जिलों में जिला स्तरीय नंदी गोशाला स्थापित की गई। पंचायत समिति स्तरीय स्थापित नंदीशालाओं की संख्या शून्य है। वर्तमान तक पंचायत समिति स्तरीय नन्दीशाला की स्थापना हेतु 8 संस्थाओं का चयन किया गया है, उनमें से हनुमानगढ़ जिले में दो संस्थाओं के साथ अनुबन्ध सम्पादित किया जा चुका है। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

वर्तमान में पंचायत समिति स्तर पर नन्दीशाला संचालन करने वाली संस्थाओं का चयन संबंधित जिला गोपालन समितियों द्वारा किये जाने व विस्तृत दिशा-निर्देश 27.08.2021 को जारी करने से निविदा कार्यवाही

(गोपालन मंत्री)

प्रक्रियाधीन होने के कारण विगत दो वर्षों में पंचायत समिति स्तरीय नंदीशालाओं हेतु आबंटित बजट की सूचना शून्य है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में पंचायत समिति स्तरीय नन्दीशाला के लिए राशि रु. 111.91 करोड़ का प्रावधान है, तथा जिलों को राशि रु. 3.85 करोड़ आबंटित की जा चुकी है, जिसका विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) जिला गोपालन समिति द्वारा पंचायत समिति स्तरीय नन्दीशाला संचालन करने वाली संस्था का चयन करने हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की पंचायत समितियों में वर्तमान तक नन्दीशाला खोले जाने की संख्या शून्य है, जिसके फलस्वरूप राशि आबंटन एवं व्यय की सूचना शून्य है।

(3) सरकार द्वारा प्रस्तुत परिवर्तित बजट 2019-20 में आवारा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए प्रत्येक पंचायत समिति पर नन्दीशालाएं स्थापित करने बाबत घोषणा की गयी थी। बजट 2021-22 में इस कार्य को और व्यापक रूप से करने की दृष्टि से अब इन नन्दीशालाओं को राशि 1.50 करोड़ रुपये के मॉडल के आधार पर बनाये जाने की घोषणा की गई है।

बजट घोषणा अनुरूप पंचायत समिति स्तर पर नन्दीशालाएं स्थापित करने बाबत दिशा-निर्देश दिनांक 27.08.2021 को जारी किये जा चुके हैं, जो कि परिशिष्ट-3 पर संलग्न हैं। संस्था चयन की निविदायें भाग-1 अनुसार आमंत्रित की गयी हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अध्यक्ष: इसमें क्या अब कुछ पूछना है?

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): पांच पंचायत समितियां हैं, दो वर्ष पूरे हो चुके हैं, एक भी नन्दीशाला नहीं खोली। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पंचायत समिति स्तर पर नन्दीशाला के लिए सरकार से निर्माण के लिए कितना पैसा आबंटित हुआ? दो वर्षों तक निविदायें जारी नहीं करने के क्या कारण रहे? कब तक सम्पूर्ण कार्यवाही कर राशि का आबंटन करेंगे?

श्री प्रमोद भाया (खान एवं पैट्रोलियम मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खुद गोसेवक रहा हूं। मुख्य मंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप 1 करोड़ 57 लाख रुपये की विस्तृत योजना बनायी गयी और परिपत्र 27 अगस्त, 2021

(श्री प्रमोद भाया)

को जारी किया गया। इस योजना का पूरा आकार 650 करोड़ रुपये का रखा गया।

जहां तक सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र और उदयपुर जिले का प्रश्न है तो मैं यह बताना चाहूंगा कि 33 में से 25 जिलों में संस्थागत चयन की निविदायें जारी हो चुकी हैं। उदयपुर में संयुक्त निदेशक का पद रिक्त होने से निविदा जारी करने में विलम्ब हुआ। अब निविदा प्रपत्र जिला कलेक्टर को प्रस्तुत कर दिया गया है और एक-दो दिन में निविदा जारी कर दी जायेगी। साथ ही, हमारा प्रयत्न रहेगा कि खुली निविदाओं के माध्यम से शीघ्र पात्र संस्था का चयन कर सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र की पांच पंचायत समितियों में नन्दीशाला, गोशाला को प्रगति दी जाये।

साथ ही, आपने एक दूसरी जानकारी चाही। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहता हूं कि यह एक अच्छी योजना है। पंचायत स्तर की नन्दीशाला की योजना के लिए हमने 1 करोड़ 57 लाख रुपये रखे हैं। इसमें 90 प्रतिशत राशि सरकार द्वारा वहन की जायेगी और 10 प्रतिशत राशि का अंशदान कार्यकारी संस्था का होगा। दो वर्ष के विलम्ब का कारण माननीय सदस्य जी ने जानना चाहा है, उनकी चिन्ता वाजिब है। उसके लिए मैंने पहले भी सदन को जानकारी दी कि इस योजना को व्यावहारिक बनाने के लिए विस्तृत रूप से इसका परीक्षण किया गया, उसमें समय लगा। कुछ कोरोना महामारी के कारण डिले रहा, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि यह जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक जिलों में कारगर हो और इस समस्या का समाधान हो सके।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक पंचायत समिति पर इन आवारा पशुओं की समस्या के निदान के लिए हमने जिला केन्द्र बनाकर प्रयास किया, नन्दीशाला वहां तक खोली। आप बहुत आगे तक बढ़े और हमने भी मेजें थपथपायीं। जिस गति से आप चल रहे हैं और जिस तरह से परिवर्तन करते जा रहे हो, तो क्या 15वीं विधान सभा के कार्यकाल तक सभी पंचायत समितियों पर नन्दीशालायें प्रारम्भ हो जायेंगी?

श्री प्रमोद भाया (खान एवं पैट्रोलियम मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष जी की चिन्ता वाजिब है और इस समस्या को लेकर मुख्य मंत्री जी भी हमेशा चिन्तित रहते हैं और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि विभाग का, अधिकारियों का और सबका यह प्रयास है और उसी क्रम में आज 25

(श्री प्रमोद भाया)

जिलों में निविदायें आमंत्रित की जा चुकी हैं, जिसमें अलवर बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर...

श्री अध्यक्ष: आप यह बतायें कि पांच में हो जायेगा या नहीं?

श्री प्रमोद भाया (खान एवं पैट्रोलियम मंत्री): हुक्म, मैं वही बता रहा हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आप आश्वासन दे दीजिये कि यह कार्यकाल में हो जायेगा।

श्री प्रमोद भाया (खान एवं पैट्रोलियम मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष जी को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की कथनी और करनी में अन्तर नहीं है। आपकी जब सरकार थी, आपकी सरकार के समय आपका जो 2018-19 का लास्ट बजट भाषण था, उसमें जिला स्तरीय नन्दीशाला की घोषणा की गयी और पूरा कार्यकाल होने तक एक भी जिला स्तरीय नन्दी गोशाला शुरू नहीं हुई लेकिन हमारे मुख्य मंत्री जी काम में विश्वास रखते हैं और गोमाता और गोवंश के प्रति वे बहुत चिन्तित रहते हैं। आपकी इस योजना को हमारी सरकार ने आने के बाद आगे बढ़ाया और 16 जिलों में जिला नंदी गोशाला की शुरुआत की।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): हमने क्षतिपूर्ति नहीं की तो हम इधर आ गये, तो क्या आप भी इधर आना चाहते हो?

श्री प्रमोद भाया (खान एवं पैट्रोलियम मंत्री): यह निर्णय तो जनता करती है। मैं यह बताना चाह रहा हूं कि हमारी कथनी और करनी में अन्तर नहीं है।

(समय : 12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री प्रमोद भाया (खान एवं पैट्रोलियम मंत्री): आपने केवल घोषणा की, हमने उसको आगे बढ़ाया और उसको ..(व्यवधान) आगे बढ़ाकर इस बार...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ये ऐसे धन्धे करने .. (व्यवधान) का बढ़ा रहे हो, अत: मैं और मेरा दल आपके इस काम को देखकर वॉक-आउट करता है। क्या मतलब है?

श्री प्रमोद भाया (खान एवं पैट्रोलियम मंत्री): अब यह आपकी इच्छा है।

बहिर्गमन

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप कहने की स्थिति में हैं। आपकी सरकार में किया। आप हां या ना में बोलें।

श्री प्रमोद भाया (खान एवं पैट्रोलियम मंत्री): हमारी सरकार में पंचायत समिति नन्दी गोशाला की योजना शुरू हो चुकी है और ...(व्यवधान)... एक कदम और आगे बढ़कर ग्राम पंचायत गोशाला की अब हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में घोषणा की है। हम इस कार्य को पूर्ण गति से आगे बढ़ाएंगे, यह मैं सदन को आश्वस्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित व समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें।)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री कन्हैया लाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में व्याप्त अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री अविनाश, सदस्य की ओर से प्रशासन गांवों के संग अभियान में अधिकारियों की लापरवाही के कारण विधान सभा क्षेत्र जैतारण में सैकड़ों प्रकरण लम्बित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री धर्मेन्द्र कुमार एवं श्री गुरदीप, सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में सेमग्रस्त भूमि के सुधार हेतु किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से परवन वृहद सिंचाई परियोजना अकावद, झालावाड़ के अंतर्गत बारां जिले के सम्पूर्ण डूब क्षेत्र वाले गांवों के प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से प्रदेश के टोल प्लाजाओं पर टोल कर्मियों द्वारा जनता के साथ मनमाने ढंग से की जा रही लूट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से नगरपालिका चौमूं द्वारा पार्किंग के नाम पर वसूली जा रही राशि से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(7) श्री बलवीर सिंह लूथरा, सदस्य की ओर से श्रीविजयनगर क्षेत्र में सरकारी अस्पताल में रिक्त पदों पर नियुक्ति, अल्ट्रासाउंड मशीन लगवाने, ट्रोमा सेन्टर खोलने, खेल के मैदान का जीर्णोद्धार, स्टेडियम व ट्रेक नहीं बनने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आसींद हुरडा के पाटन में तथा करेड़ा से भीलवाड़ा रोड पर जाली चौराहा पर पुलिस चौकी नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री शंकर सिंह रावत, सदस्य की ओर से ब्यावर विधान सभा क्षेत्र के पंचायत समिति जवाजा मुख्यालय पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में परिवर्तित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान अजमेरवासियों को पट्टे नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से अलवर में फर्जी डिग्री बेचने वाले गिरोह द्वारा हजारों की संख्या में बांटी गई फर्जी डिग्रियों की उच्चस्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(12) श्री गोविन्द प्रसाद, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में लम्बे समय से प्रशासनिक/पुलिस अधिकारियों के एक स्थान पर रहने से बढ़ रहे भ्रष्टाचार से जनता में व्याप्त आक्रोश से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(13) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से कोटा एवं बूंदी जिले में बढ़ते अवैध खनन से बढ़ती दुर्घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(14) श्री नारायण बेनीवाल, सदस्य की ओर से अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के नागौर खण्ड के अन्तर्गत घरेलू श्रेणी के कनेक्शन नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही

(श्री अध्यक्ष)

को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री गोविन्द प्रसाद, श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, श्री नारायण बेनीवाल को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनिट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री फूल सिंह मीणा, सदस्य की ओर से गिर्वा पंचायत समिति की वर्षों पुरानी दुकानों की प्रोपर्टी को नियम विरुद्ध खुर्दबुर्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री अमृतलाल मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में आबादी क्षेत्र से गुजर रही विद्युत लाइनों को अन्यत्र स्थानांतरित किये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्रीमती सूर्यकांता व्यास, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के अति प्राचीन चतुर सागर तालाब एवं उसके केचमेंट एरिया को अतिक्रमण से मुक्त करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री समाराम गरासिया, सदस्य की ओर से पिण्डवाड़ा तहसील में उद्योगों के डी.एम.एफ.टी. फण्ड से सड़कें व पुलिया बनाये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री कन्हैया लाल, सदस्य की ओर से सरकार द्वारा स्वीकृत मेडिकल कालेज व 200 बैड के अस्पताल के भवन का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री जगसी राम, सदस्य की ओर से सिरोही जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 168 की चौड़ाई बढ़ाये जाने तथा रेवदर, मण्डार व अनादरा बाईपास सड़क निर्माण किए जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में ट्रान्सफार्मरों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री कैलाशचन्द्र मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में ग्राम पंचायत बोरी में आबंटित भूमि पर बने सामुदायिक भवन को

(श्री अध्यक्ष)

ठेकेदार द्वारा बिना अनुमति के तोड़ा जाकर किये जा रहे अवैध निर्माण के सम्बन्ध में।

(9) श्रीमती गंगा देवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बगरू के ग्रामीण क्षेत्रों की क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री पदमाराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चौहटन में बेमौसम बारिश के कारण जीरे व ईसबगोल की फसलों को हुए नुकसान का किसानों को मुआवजा दिलवाये जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री गोपाल लाल मीना, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के डिगोता वन खण्ड-61 के अन्तर्गत आने वाले गांवों को अभयारण्य क्षेत्र से बाहर नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) श्री पुष्पेन्द्र सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बाली में संचालित महाविद्यालय में वाणिज्य और विज्ञान संकाय खोलने तथा उपखण्ड देसूरी में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री गोविन्द प्रसाद।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के लम्बे पदस्थापन से भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने स्थगन प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, झालावाड़ जिला एक ऐसा जिला है जो राजस्थान के सबसे पिछड़े जिले में आता है। झालावाड़ में पुलिस के उच्चाधिकारियों के कारण विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में नहीं बल्कि सम्पूर्ण जिले में कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है। पुलिस विभाग उच्चाधिकारियों की मिलीभगत से अवैध खनन और पहाड़ी क्षेत्र में अवैध खनन एवं पुलिस द्वारा मिलीभगत से पुलिस थानों के सामने से रोजाना पत्थरों के ट्रैक्टर

(श्री गोविन्द प्रसाद)

निकलते हैं, कार्रवाई के नाम पर जीरो है। आपसे निवेदन करता हूं कि इसमें सुधार लाया जाय। पुलिस मुख्यालय के आदेशों की अवहेलना हो रही है। सात-सात साल से अपने गृह थानों में पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी जमे हुए हैं, उनके कारण भी कानून व्यवस्था में व्यवधान हो रहा है। मौखिक आदेश से कई कर्मचारी लगे हुए हैं। इस वजह से वहां की कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है। जुआ व सट्टे का इतना प्रचलन चल रहा है कि भूमाफिया और अधिकारियों की मिलीभगत से जुआ-सट्टा व अवैध खनन कर रहे हैं। इस पर किसी का ध्यान नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मंत्री जी से मिलना है तो उनके चैम्बर में जाएं, प्लीज।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): जिला स्तर के अधिकारियों की लापरवाही से महिला अत्याचार के मुकदमे दर्ज नहीं होते हैं, जिसके कारण पीड़ित महिलाएं थानों के चक्कर लगाती रहती हैं। जब मामला मीडिया में जाता है तो आनन-फानन में प्रकरण दर्ज किये जाते हैं। चाहे तो इसके बारे में गोपनीय सर्वे करा लिया जाये। धार्मिक स्थलों पर, कस्बों में चोरी व नकबजनी के अनेक मामले दर्ज हो चुके हैं। इस ओर ध्यान दिया जाए। इस ओर ध्यान दिया जाए, मैं आपसे निवेदन करता हूं। अत इस अत्यन्त लोक महत्व के विषय पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर चर्चा करने की अनुमति प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

कोटा व बूंदी में अवैध खनन से बढ़ती दुर्घटनाएं

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): मुझे स्थगत के माध्यम से आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। पांच मिनट का समय मुझे देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: पांच मिनट, जितना मिनट बोलें आप। ढाई लाइन का तो लिखा है और पांच मिनट बोलेंगे।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिस विधान सभा से आती हूं कोटा-बूंदी, दोनों ही तरफ हम देखेंगे तो चम्बल का वरदान प्राप्त है। एक तरफ मेज नदी है और दूसरी तरफ कुरेल नदी है। मेरी विधान सभा इन तीनों नदियों से घिरी हुई है। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि राज्य सरकार द्वारा चम्बल का सौन्दर्यीकरण करने के लिए रिवर फ्रंट का काम वर्तमान में चल रहा है। निश्चित तौर पर कोटा की और चम्बल की सुन्दरता बढ़ेगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप टापिक पर बोलें। I will stop it. खनन पर बोल रहे हैं, किस पर बोल रहे हैं?

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): लेकिन ये काम हो रहा है, एक लेन का हमारा निर्माण चल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सम्माननीय मंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि इन दोनों ही कामों में मेरी पूरी विधान सभा को खुर्दबुर्द कर दिया, लगातार अवैध खनन हो रहा है। पिछले दो महीने में अगर मौतों का आंकड़ा देखें हम तो सात मौतें हो चुकी हैं। पूरे 40 गांवों से जिस तरह से मिट्टी उठाने का काम चल रहा है, पूरी की पूरी चरागाह जमीन को खोद कर डाल दिया।

इसके साथ ही साथ चम्बल के किनारे अगर हम कोटा के बाहर गामच में आ जाएं और गामच जो बूंदी विधान सभा में पड़ रहा है, दिन-रात लगातार अवैध खनन हो रहा है। और तो और हालत यह है, चाहे मेरा कोटा खुर्द गांव हो, चाहे लाखेरी हो, चाहे घाटा का बराना हो, इन्द्रगढ़ से लेकर कोटा तक, मेरी विधान सभा क्षेत्र की यह हालत है कि दिन-रात बिना नम्बर के डम्पर दौड़ते हैं, कब किस व्यक्ति को मार जाये। पूरा पुलिस प्रशासन, ऐसा लग रहा है कि एक-एक थाना, कभी एक लेन के पीछे दौड़ते हैं, कभी अवैध खनन वालों को सपोर्ट करने का काम करते हैं। आज तक हम उन गाड़ियों का पता नहीं लगा पाते हैं, जिनसे मृत्यु हो रही है।

मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है आने वाले समय में, हम दो साल से देख रहे हैं, एक लेन ने पूरी सड़कों को, सरकारी सम्पत्ति को, 200 करोड़ की सड़कें, मेरी विधान सभा क्षेत्र का मैंने एक्सईएन साहब से आंकड़ा निकलवाया, 200 करोड़ की सड़कों, पुलों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, उनका जहां माइनिंग है, जहां उनको एसटीपी मिली है, वहीं से वह मिट्टी उठायें। सरकार उसकी जांच करे कि आखिर किसकी मिलीभगत से, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर इतना अवैध खनन हो रहा है। सरपंच दिन-रात शिकायत कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, windup प्लीज, माननीय सदस्य।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): रात-दिन ट्रैक्टर चल रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। मेरा यही निवेदन है कि इस अवैध खनन पर रोक लगे, ताकि चम्बल नदी, मेज नदी, सभी नदियों का स्वरूप नहीं बिगड़े। गांव में दो साल से पानी घुस रहा है, हमारे हज़ारों की संख्या में मकान टूट रहे हैं, वह बचेंगे और जनहानि नहीं हो। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्री नारायण बेनीवाल। माननीय सदस्य, आप बैठें प्लीज। माननीय सदस्य, this is wrong. अपनी जगह पर बैठें। इतनी आवाज मेरे यहां पर आती है, प्लीज।

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के नागौर खण्ड में घरेलू कनेक्शन पर रोक

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, केन्द्र सरकार की वित्त पोषित योजना सौभाग्य योजना के जब बहुत बड़े-बड़े इश्तहार व खबरें अखबारों में छपीं, तब गांव व ढाणी में बैठे व्यक्ति को एक आशा लगी कि मेरे घर में भी रोशनी होगी, उजाला होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 10 फरवरी, 2022 का एक ऐसा आदेश, जिसके अन्दर सारी विद्युत वितरण कम्पनियों को यह लिख दिया कि 28 फरवरी से पहले-पहले जो कनेक्शन हो गये हैं, उसके बाद कोई कनेक्शन नहीं होगा।

मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करूंगा कि सिर्फ मेरे विधान सभा क्षेत्र खींवसर में ऐसे 12 हजार कनेक्शन पेंडिंग थे, जिसका प्रशासन गांव के संग शिविर तथा विद्युत कम्पनियों ने भी जगह-जगह शिविर लगाकर लोगों को यह कहा कि आपको हम कनेक्शन देंगे, उनकी आशाओं पर पानी फिर गया। मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि इस योजना की पुन: समय सीमा बढ़ाकर, (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) एक तरफ तो हम बजट के अन्दर केन्द्र की योजनाओं की कटौती की बात कर रहे हैं जबकि दूसरी तरफ, केन्द्र के बड़े पैसे को विद्युत कम्पनियां खर्च नहीं कर पाईं। अत: मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि सौभाग्य योजना है, इसकी अवधि बढ़ाकर ढाणियों में बैठे लोगों को कनेक्शन जारी करवाये जायें।

श्री अध्यक्ष: 295, श्री फूल सिंह मीणा (अनुपस्थित)।

श्री अमृतलाल मीणा।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

सलूम्बर में आबादी क्षेत्र से विद्युत लाइनों का अन्यत्र स्थानान्तरण

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है:-

(श्री अमृतलाल मीणा)

(1) मेरे विधान सभा क्षेत्र के सराड़ा व सेमारी विद्युत विभाग का सहायक अभियन्ता कार्यालय अधिशासी अभियन्ता सलूम्बर के अन्तर्गत था, जिसे वर्तमान में खेरवाड़ा अधिशासी अभियन्ता के अन्तर्गत कर दिया गया है, जो सहायक अभियन्ता कार्यालय सराड़ा से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। पूर्व में सलूम्बर अधिशासी अभियन्ता कार्यालय सराड़ा मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर है, जिससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अत: इसे पुन: सलूम्बर अधिशासी अभियन्ता कार्यालय में जोड़ा जाये।

(समय: 12.13 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

(2) मेरे विधान सभा क्षेत्र के सलूम्बर अधिशासी अभियन्ता कार्यालय के अन्तर्गत सलूम्बर अरबन, सलूम्बर रूरल, लसाड़िया, विरपुरा, सराड़ा, सेमारी आदि सहायक अभियन्ता कार्यालय आते हैं, जिनमें 1,50,000 के करीब उपभोक्ता हैं। साथ ही अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय सलूम्बर से 70 किमी की दूरी होने से आम उपभोक्ता के कार्य बाधित होते हैं। अत: अधीक्षण अभीयन्ता कार्यालय सलूम्बर में खोला जाये।

(3) सलूम्बर नगर के अन्दर जाने वाली विद्युत की 11 केवी लाइन को अण्डरग्राउण्ड कर आमजन को जन हानि से बचाया जाये।

(4) पुरानी और डिसमेन्टल लाइन 33 केवी, जो आबादी क्षेत्र से गुजर रही है, उसे हटाया जाये। सराड़ा जीएसएस से परसाद जाने वाली 33 केवी लाइन के तार आमजन के घरों पर छूकर जा रहे थे, जिसे हटाया जाये। उक्त लाइन लम्बे समय से बन्द पड़ी है।

(5) डींगरी गांव के मध्य गुजरने वाली 11 केवी व 33 केवी लाइन को बस्ती से दूर हटाया जाये। डगार फीडर जीएसएस जाने वाली लाइन रामनगर व केकोडीया, जेमनपुरा, आमलिया, एमनिया पाडला, तलाई, बाडका कला आदि 30 से 40 किमी लम्बी घूमती हुई जा रही है, जिससे लाइन में बार-बार फाल्ट आने पर सभी गांव प्रभावित होते हैं। अत: अगर 6-7 पोल लगाकर लांबी डूंगरी, एमनीयापाईला सुहावतों का गुढा, बोडका, बांदनवाडा, देवली आदि गांवों को बिजली की समस्या से निजात मिल सकती है।

(6) जयसमंद स्थित धार्मिक स्थल कला जी विकास सेवा संस्थान के ऊपर से गुजरने वाली 33 केवी व 11 केवी लाइन को हटाने हेतु कई बार अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता कार्यालय व प्रबन्ध निदेशक महोदय

(श्री अमृतलाल मीणा)

को लिखित रूप से देने के बाद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। अत: उक्त लाइन को हटाने के आदेश करावें, जिससे भविष्य में होने वाली दुर्घटना से बचा जा सकेगा।

(7) खरका गांव से जाने वाले 11 केवी फीडर की लाइन को आबादी क्षेत्र से बाहर निकालकर अन्यत्र जगह शिफ्ट कराने की व्यवस्था करावें, जिससे आमजन को दुर्घटना से बचाया जा सकेगा।

(8) बस्सी व इण्डाली खेड़ा में 11 केवी जीएसएस बनवाने बाबत सलूम्बर विधान सभा के बस्सी गांव सलूम्बर सहायक अभियन्ता कार्यालय का, सबसे अधिक उपभोक्ता का गांव है, जिससे अलग-अलग फेज होने के कारण व छितरी बस्ती होने से दो नये जीएसएस 11 केवी लाइन बनाने की व्यवस्था करावें। उक्त गांव में सलूम्बर जीएसएस से सप्लाई मिलती है, जिससे लाइन लम्बी होने से पूरा गांव विद्युत बंद होने से प्रभावित रहता है। उदयपुर अधीक्षण अभियन्ता के अधीनस्थ 27 सहायक अभियन्ता कार्यालय हैं, जो बहुत अधिक हैं, जबकि 16 सहायक अभियन्ता के अन्तर्गत एससी कार्यालय सलूम्बर में खोला, जिससे आमजन को लम्बी दूरी तय नहीं करनी पड़े। धन्यवाद।

सूचना

विधायक द्वारा राज्य कर्मी से कथित अभद्रता का प्रकरण

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार के एमएलए ने भैंसरोडगढ़ थानेदार से जिस अपशब्द में बात की है, ऐसे विधायकों के लिए, जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, बिना नाथ मोहरे के बैल की तरह... (व्यवधान)

श्री सभापति: अभी 295 है।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): सभापति महोदय, बहुत गम्भीर मामला है। बहुत गम्भीर मामला है। (व्यवधान) ऐसा गम्भीर मामला है। सरकार के विधायक, इस प्रकार से पुलिस विभाग के सीआई को, थानेदार को, इस प्रकार से दबायेंगे। इस प्रकार से मां-बहन की गाली तक बकेंगे? (व्यवधान)

श्री सभापति: श्रीमती सूर्यकांता जी व्यास।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): इस प्रकार से एक थानेदार को गालियां देना गम्भीर बात है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: श्रीमती सूर्यकांता जी व्यास।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): यह बहुत गम्भीर है। (व्यवधान)

श्री सभापति: बैठिये। प्लीज बैठिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): उनको डाक्टरेट मिलनी चाहिये ...(व्यवधान) क्या गजब आदमी है। सम्मानित करो उनको बुलाकर ...(व्यवधान) सम्मानित करो विधुड़ी जी को बुलाकर।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, बहुत शर्मनाक घटना है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, इससे शर्मनाक घटना कोई हो नहीं सकती। (व्यवधान) एक जन प्रतिनिधि इस प्रकार का व्यवहार करे और उसके बाद भी कोई बोले नहीं ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): कोई शिष्टाचार बचेगा कि नहीं बचेगा? (व्यवधान) कोई शिष्टाचार बचेगा कि नहीं बचेगा? इस प्रकार की गालियां।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): इसका मतलब तो कोई सरकारी कर्मचारी काम ही नहीं कर सकता है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सामने पूर्व डीजीपी बैठे हैं। डीजीपी साहब, आपमें आत्मा बची है कि नहीं ...(व्यवधान) आपने जिस महकमे को चलाया उस महकमे की हालत देखो। आत्मा बची, तो बोलो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): कमाल कर दिया ... (व्यवधान) इस तरह का व्यवहार करते हो ...(व्यवधान) कमाल ही है।

श्री सभापति: प्लीज, बैठिये। बैठिये-बैठिये। श्रीमती सूर्यकांता व्यास। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): कोई उत्तर देने को तैयार नहीं है। अगर कर्मचारी काम करेगा तो वह कैसे काम करेगा? अपनी इज्जत को क्या बिलकुल बट्टा लगायेगा? कमाल ही हो गया। कोई बोलता ही नहीं यहां पर। एक आदमी भी जवाब नहीं देता है। मंत्री महोदय, आप तो जवाब दो अगर आपका एम.एल.ए. इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहा है एक कर्मचारी के लिए तो इससे ज्यादा, डूब मरने लायक काम हो गया। हद हो गयी, कोई काम ही नहीं कर सकता है। कमाल हो गया, यह क्या हो रहा है? यह क्या हो रहा है? हद हो गयी।

सदन कूप में

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

(समय: 12.21 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, आपको पूरा अधिकार है, नियम और कानून के अन्तर्गत असेम्बली चलती है, आपका जो भी मुद्दा है आप राइटिंग में लेकर आयें। इस तरह से हाउस कोई चलेगा नहीं। आप अपने स्थान पर जाएं। प्लीज। नियम 295, श्रीमती सूर्यकांता व्यास।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): एक मिनट, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि अगर एक कर्मचारी को इस प्रकार के वर्ड्स से, शब्द कहने के बाद भी सरकार का कोई जिम्मेदार आदमी इसके बारे में एक शब्द कहने को तैयार नहीं है कि यह व्यवहार क्या एक विधायक का उचित है?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह वीडियो सुनकर आप यह सब बातें कह रहे हैं। अब उसकी सच्चाई क्या है, क्या नहीं है, इसकी तह में सरकार जायेगी, तब ही जाकर कुछ हो सकता है। वीडियो को कैसे मान लें कि सच है? आप क्या मान सकते हैं? आप मान लेंगे? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज। यह कोई तरीका है क्या?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): वह वीडियो आपको फेवर कर रहा है, वह वीडियो आपको फेवर कर रहा है इसलिए तो आप उसको सच मान रहे हैं। हम यह कहते हैं कि, साहब, वीडियो आया है, उसकी जांच करवायेंगे।

श्री अध्यक्ष: बिलकुल ठीक है। माननीय सदस्य, हो गया, प्लीज। यह तरीका ठीक नहीं है। आप नीचे बैठें। यह कोई तरीका नहीं है। हाउस चलेगा, आप प्लीज नीचे बैठें। Don't impose. (व्यवधान) यह कोई तरीका है क्या? लीडर आफ अपोजिशन बोल चुके हैं, मंत्री बोल चुके हैं फिर भी आप बोल रहे हैं। नोट अलाउड।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज, आप नीचे बैठें। नोट अलाउड, पाइंड आफ आर्डर अलाउड नहीं है। (व्यवधान) आप प्लीज, बाहर जाएं नहीं तो। बैठें प्लीज। श्रीमती सूर्यकांता व्यास, 295.

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

चतुर सागर तालाब (सूरसागर) का जीर्णोद्धार

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के नियम-295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के अति प्राचीन चतुर सागर तालाब सिवांची गेट के संरक्षण, जीर्णोद्धार और अतिक्रमण मुक्त करने के क्रम में।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र के सिवांची गेट, भीका प्याऊ की पहाड़ियों में वर्षा जल संरक्षण की अति प्राचीन इकाई चतुर सागर तालाब की दुर्दशा की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं। मेरा निवेदन है कि-

1. जोधपुर में अति प्राचीन समय से वर्षा जल की एक-एक बूंद सहेजने के लिए अति प्राचीन तकनीक का प्रयोग कर पहाड़ियों में वर्षा जल संरक्षण की इकाइयों का इस तरह से निर्माण किया गया है कि इन इकाइयों में समस्त पहाड़ियों का वर्षा जल एकत्र होता है और यहां से शहर के प्राचीन तालाबों और कुओं, बावड़ियों का जल भराव भू-जल रिसाव की परतों के द्वारा होता है। इसी पद्धति का एक तालाब सिवांची गेट भीका प्याऊ पहाड़ियों में चतुर सागर तालाब नाम से अवस्थित है।

2. चतुर सागर तालाब का कैचमेंट क्षेत्र लगभग साढ़े तीन एकड़ में फैला है। इस कैचमेंट क्षेत्र पर वर्तमान में अतिक्रमण किया जा रहा है, जिससे कि तालाब की जल भराव क्षमता प्रभावित हो रही है।

3. चतुर सागर तालाब की बरसों से सफाई नहीं होने के कारण यह तालाब अपना स्वरूप खोता जा रहा है। तालाब के सीमा पर बनाई गई बांधनुमा पाल जीर्णशीर्ण हो रही है।

4. यह क्षेत्र आध्यात्मिक साधना का प्राचीन क्षेत्र है। निकटस्थ अजनेश्वर आश्रम, महिला संतों की प्राचीन तपस्या स्थली है। यह तालाब भी बरसों से तर्पण, श्राद्धकर्म आदि के लिए बड़ा केन्द्र रहा है, परन्तु अब यहां अतिक्रमण होने के कारण अजनेश्वर आश्रम तक की सुरक्षा प्रभावित हो रही है।

5. यहां निकट ही वन विभाग की दीवार भी अतिक्रमण की नीयत से क्षतिग्रस्त की जा चुकी है, यदि भूतेश्वर वनखण्ड नर्सरी की एक शाखा यहां पर स्थापित हो तो यहां अतिक्रमण रोकने के साथ ही हरीतिमा विकास में भी सहायता मिलेगी।

(श्रीमती सूर्यकांता व्यास)

अत: मेरा निवेदन है कि चतुर सागर तालाब और इसके कैचमेंट क्षेत्र को पूर्णतया अतिक्रमण मुक्त करते हुए इसका आध्यात्मिक क्षेत्र के अनुरूप आस्था केन्द्र और वर्षा जल संरक्षण की वृहत् इकाई के रूप में संरक्षित कर जीर्णोद्धार किया जाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री समाराम गरासिया।

पिंडवाड़ा-आबू हेतु डी.एम.एफ.टी. फंड की स्वीकृति

श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू में बड़े-बड़े उद्योग हैं और उद्योगों का डीएमएफटी का फंड निकलता है वह पिण्डवाड़ा तहसील में न के बराबर लगाया जाता है, सिरोही, शिवगंज में ही अधिकतर लगाया गया है।

पिण्डवाड़ा तहसील में अधिकांश पिछड़ा हुआ एरिया है और फैक्टरी से बड़े-बड़े ओवरलोड डम्पर चलते हैं, जिससे विशेष रूप से उन्दरा में गिरधर नेचुरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड फैक्टरी है, जिससे ओवरलोड डम्परों से उन्दरा से सिवेरा व झाड़ोली वाया रोड इतना टूटा है कि आना-जाना बहुत कठिन है और स्थानीय जनता द्वारा इनके खिलाफ ज्ञापन और धरने भी दिये गये हैं।

मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि डीएमएफटी का फंड विशेष रूप से पिण्डवाड़ा तहसील में लगाया जाये। 2016-17 में नेशनल हाईवे से मारकन्डेश्वर 2 करोड़ 40 लाख रुपये और बसंतगढ़ में अम्बे मां का पुलिस 72 लाख रुपये और वारली से ढांगा हाईवे को जोड़ने हेतु लगभग 2 करोड़ रुपये प्रस्तावित थे, उसे भी स्वीकृत करवाने की मांग करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री कन्हैया लाल। (बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री जगसी राम।

रेवदर में एन.एच. 168 का फोर लेन में उन्नयन एवं बाईपास का निर्माण

श्री जगसी राम (रेवदर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष

(श्री जगसी राम)

उल्लेख प्रस्ताव के विशेष लोक महत्व के मुद्दे पर सरकार से आग्रह है कि जिला सिरोही से गुजरात के डीसा, कांडला पोर्ट को जोड़ने वाले मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 168 की 76.4 किलोमीटर लम्बाई सिरोही जिले की सीमा में मौजूद है। इस व्यस्ततम मेगा हाईवे की वर्तमान चौड़ाई मात्र 10 मीटर ही है तथा यह मेगा हाईवे घनी आबादी क्षेत्र रेवदर, मण्डार एवं अनादरा से होकर गुजर रहा है। मेगा हाईवे की कम चौड़ाई और घनी आबादी क्षेत्र से गुजरने के कारण आये दिन इस मेगा हाईवे पर हो रही दुर्घटनाओं में निर्दोष नागरिक बंधु वाहनों की चपेट में आकर असामयिक मौत का शिकार हो रहे हैं। छोटी-मोटी दुर्घटनाओं में होने वाले अपाहिजों एवं मवेशियों की दर्दनाक मौतों का तो कोई हिसाब ही नहीं है।

उक्त सड़क की चौड़ाई को बढ़ाकर फोर लेन किये जाने एवं इसी मेगा हाईवे का रेवदर बाईपास, मण्डार बाईपास तथा अनादरा बाईपास सड़क निर्माण हेतु क्षेत्रीय जनता एवं जन-प्रतिनिधिगण सरकार से लिखित में एवं मौखिक गुहार लगाते आ रहे हैं। भारत सरकार के सड़क मंत्रालय को भी इस बाबत कई बार अवगत कराया जा चुका है।

अत: इस लोक महत्व के विशेष प्रकरण में सरकार से निवेदन है कि सिरोही जिले की सीमा की सड़क फोर लेन एवं उक्त तीनों ही घनी आबादी क्षेत्रों में बाईपास सड़क निर्माण की स्वीकृति जारी करवाकर आमजन को राहत प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष: श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी।

मुण्डावर में ट्रांसफार्मर्स की उपलब्धता

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में सिंगल फेज, थ्री फेज के ट्रांसफार्मरों की भारी किल्लत है।

अध्यक्षजी, इस महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मैं यह बताना चाहूंगा कि एक तरफ तो सरकार द्वारा 72 घंटे के अन्दर ट्रांसफार्मर देने का नियम बनाया गया है, लेकिन मैं बात करूं मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर की तो यहां पर 72 घंटे तो छोड़ो, 72 दिन के बाद भी ट्रांसफार्मर नहीं दिया जाता है। किसान व आमजन को विद्युत कार्यालय के चक्कर

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

कटवाये जाते हैं। उन्हें ट्रांसफार्मर नहीं है, यह कहकर वापस भेज दिया जाता है व विद्युत विभाग के अधिकारी/कर्मचारी अपने चहेतों को ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवा रहे हैं। अगर जे.वी.वी.एन.एल. के एस.ई. से बात करते हैं तो वे कहते हैं कि ट्रांसफार्मरों की आपूर्ति में कोई कमी नहीं है व क्षेत्र के ए.ईएन. व जे.ईएन. द्वारा बोला जाता है कि ट्रांसफार्मरों की उपलब्धता नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आने वाला समय गर्मी का होगा व साथ ही बच्चों के एग्जाम भी आ रहे हैं एवं किसानों की फसल कटाई का भी समय आ रहा है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों एवं जनहित के मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में ट्रांसफार्मरों की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: श्री कैलाशचन्द्र मीणा (अनुपस्थित), श्रीमती गंगा देवी (अनुपस्थित), श्री पदमाराम। 295.

पढ़ा हुआ मान लें? पढ़ रहे हो?

चौहटन में खराब फसलों का मुआवजा

श्री पदमाराम (चौहटन): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र चौहटन में बेमौसम हवा के कारण रबी की फसल पर बुरा प्रभाव पड़ा है और जीरा व ईसबगोल आदि की फसलों में भारी नुकसान हुआ है। विशेष तौर से जीरा एवं ईसबगोल की फसल में भारी नुकसान हुआ है, जिसके लिए गिरदावरी का आदेश हो गया है, परन्तु जीरे की फसल पूरी की पूरी जल कर खतम हो गई है, जिसमें मुआवजा देने के जो मापदण्ड है, उसके अनुसार बहुत ही कम है क्योंकि जीरे की फसल बहुत कीमती है, उसका आकलन करके पूरे नुकसान की भरपाई करवाने की आशा करता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र चौहटन के लगभग पूरे क्षेत्र में रबी की बुवाई की गई है। किसानों के ऋण लेकर फसल की बुवाई की और खाद-बीज आदि का खर्चा किया गया है, इससे उनके ऊपर ऋण का भार है। फसल पूरी खराब हो चुकी है एवं किसानों की हालत अच्छी नहीं है। किसानों को ऋण से बचाने के लिए उनकी खराब फसलों का आकलन कर मुआवजा दिलवाने की कृपा करें। सादर।

श्री अध्यक्ष: श्री गोपाल लाल मीना।

डिगोता वनखण्ड-61 के अंतर्गत शामिल गांवों को अभयारण्य क्षेत्र से बाहर किया जाना

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के डिगोता वन खण्ड-61 को अभयारण्य क्षेत्र से बाहर किये जाने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के डिगोता वन खण्ड-61 के अन्तर्गत करीब छह ग्राम पंचायतें डिगोता, बस्सी, रसावला, काली बरखरी, घाटी कुम्हारों की एवं खान्या की करीब 6 हजार से ज्यादा की आबादी निवास करती है। डिगोता वन खण्ड-61 में उक्त गांवों की गरीब जनता निजी आवश्यकता पड़ने, बीमार व मरणासन्न होने पर भी अपना उपचार कराने हेतु अपनी स्वयं की भूमि का बेचान नहीं कर सकते। वन्य क्षेत्र में इनकी जमीनें आने के कारण इनकी जमीनों के क्रय-विक्रय पर रोक लगी हुई है, जिसके कारण उक्त क्षेत्र में निवास करने वाले आम नागरिकों को रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आवागमन के साधनों से वंचित होना पड़ रहा है। चूंकि अभयारण्य क्षेत्र में उक्त गांव आने की वजह से इन नागरिकों के साथ बाहर रह रहे नागरिकों की तुलना में दोहरा भेदभाव हो रहा है। उन्हें समानता के सिद्धान्त के अधिकार से वंचित कर दिया गया है और उनके मौलिक अधिकारों का सरकार द्वारा किसान विरोधी वन कानून के तहत हरण किया जा रहा है।

मेरा सरकार से आग्रह है कि इन गांवों की गरीब जनता को सुख-सुविधाओं के एवज में सरकार द्वारा प्रतिमाह उचित मुआवजा दिया जाए या फिर इन गरीब किसानों को समान अवसर प्रदान करने के लिए उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु डिगोता वन खण्ड-61 के अन्तर्गत आने वाले गांवों को अभयारण्य क्षेत्र से बाहर किया जाए, ताकि उक्त क्षेत्र में रहने वाले किसानों को राहत मिल सके।

अत: इस अत्यन्त ही लोक महत्व के विषय पर मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकृष्ट कर निवेदन करता हूं कि डिगोता वन खण्ड-61 के

(श्री गोपाल लाल मीना)

अन्तर्गत आने वाले गांवों को अभयारण्य क्षेत्र से बाहर किये जाने के आदेश जारी करने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री पुष्पेन्द्र सिंह (अनुपस्थित)। श्री कन्हैया लाल।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत प्रदेश एवं मेरे क्षेत्र में एम्बुलेंस 108 की उपलब्धता एवं संचालन के सम्बन्ध में सूचना।

श्री अध्यक्ष: किस पर बोल रहे हैं?

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): एम्बुलेंस।

श्री अध्यक्ष: आपने क्या लिखकर दिया है? 295 किस पर लिख कर दिया है? राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत टोंक जिले में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत मेडिकल कालेज व 200 बैड के अस्पताल के भवन निर्माण के सम्बन्ध में है। दूसरा तैयार कर लिया क्या?

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): यह भी दे रखा है।

श्री अध्यक्ष: रखो उसको, वह तो आयेगा तब आयेगा। इसलिए आपका पढ़ा हुआ मान लिया गया 295, बैठें आप।

(पढ़े माने गये नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के लिए कृपया परिशिष्ट देखें)

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): एक मिनट, साहब, मेरा एक पाइन्ट है।

श्री अध्यक्ष: प्लीज बैठें। आपने बता दिया मुझे। मैं सूचना ले रहा हूं। आपको जानकारी मिली है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, 131। श्री मदन दिलावर।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

रामगंज मण्डी तहसील के छह गांवों में बसी आबादी के रिकार्ड की अनुपलब्धता

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): अध्यक्ष महोदय, रामगंज मण्डी तहसील के ग्राम ब्रह्मा की छापर व मोतीपुरा सहित छह गांवों पर बसी

(श्री मदन दिलावर)

आबादी के रिकार्ड में नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में मैं राजस्व मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने आपके माध्यम से जो ध्यानाकर्षण लगाया है, उसका जवाब हमने 14.02.22 को दिया लिखित में। लेकिन उसमें कुछ जो दिक्कतें आ रही हैं, उसके बाद भी हमारे अधिकार में जो था वह काम हमने किया। जैसे ग्राम मोतीपुरा खुर्द के खसरा नम्बर 90 रकबा 0.83 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 109 रकबा 0.52 हैक्टेयर के खातेदारों की भूमि पर कृषि न होने एवं आबादी बसी होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के तहत प्रकरण दर्ज कर सम्बन्धित को नोटिस जारी किया जा चुका है, जिनका नियमानुसार शीघ्र ही निस्तारण कर दिया जायेगा। यह मोतीपुरा खुर्द का मैटर है। इसमें जो दो लोग कन्हैया लाल पुत्र देवा लाल धाकड़ और प्रभु लाल पुत्र भज्या जाति धाकड़, इनकी जमीन, ये रकबा नम्बर 90 के अन्दर हैं, लेकिन 92 पर बैठे हुए हैं। 90 नम्बर रकबा इन्हीं के नाम पर दर्ज है। दर्ज होने की वजह से खातेदारी अधिकार नियम 177 के तहत ही खतम किये जा सकते हैं, तो वह कार्रवाई हमने चालू कर दी है।

दूसरा, ग्राम गुलाबपुरा के खसरा नम्बर 221 रकबा 1.4 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 225 रकबा नम्बर 0.81 हैक्टेयर भूमि के खातेदारों के विरुद्ध भी मौके पर कृषि न होने एवं आबादी बसी होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर सम्बन्धित को नोटिस जारी किये जो चुके हैं। इसी ग्राम के खसरा नम्बर 224, रकबा 0.06 हैक्टेयर सिवायचक भूमि के आबादी के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, जिनका भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई कर शीघ्र निस्तारण कर दिया जायेगा। इसमें वन विभाग की कुछ भूमि भी हैं, उनमें दिक्कत आ रही है।

तीसरा, ग्राम कालाखेड़ी के खसरा नम्बर 182 रकबा 1.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 183 रकबा नम्बर 0.39 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 180 रकबा 0.21 हैक्टेयर के खातेदारों के विरुद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर सम्बन्धित को नोटिस जारी किये जा चुके हैं, जिनका नियमानुसार शीघ्र ही निस्तारण कर दिया जायेगा।

चौथा, ग्राम नूरपुरा में खसरा नम्बर 72 रकबा 2.4 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 69 रकबा 0.70 किस्म गैर मुमकिन आबादी को सिवायचक

(श्री रामलाल जाट)

खाता संख्या 1 से हस्तान्तरित कर ग्राम पंचायत के खाते में दर्ज कर दिया गया है। यह जल्दी ही इनके नाम पर पट्टे ग्राम पंचायत उनको दे पायेगी। इसी तरह इसी ग्राम के खसरा नम्बर 679/37 रकबा नम्बर 3.73 हैक्टेयर किस्म गैर-मुमकिन खड्ढ़ा एवं खसरा नम्बर 34 रकबा नम्बर 1.18 हैक्टेयर किस्म गैर-मुमकिन खाल खद्दर की आबादी के प्रस्ताव प्राप्त हो गये हैं, जिनका राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रकरण का शीघ्र निस्तारण कर दिया जायेगा।

पांचवां, ग्राम झामुनिया के खसरा नम्बर निवासी रकबा 16.31 हैक्टेयर किस्म गैर-मुमकिन पहाड़ में से निषेध 2.45 हैक्टेयर के आबादी विस्तार के प्रस्ताव प्राप्त हो गये हैं, जिनका राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रकरण का शीघ्र निस्तारण कर दिया जायेगा।

हमें जो यह प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, एस.डी.एम. लेवल, जिला कलेक्टर के लेवल पर और सरकार के लेवल पर हम कर देंगे।

एक तो वन विभाग की इनके दिक्कत आ रही है। वन विभाग में ब्रह्मा का छापर है, इसमें 162 नम्बर है गैर-मुमकिन पेड़, यह हम इतना ईजी जैसा समझ पा रहे हैं, वैसा नहीं हो पायेगा। बाकी जो सिवायचक जमीन है, उसको एक नम्बर खाते से ग्राम पंचायत को दे दी है और शीघ्र उसका निस्तारण हो जायेगा।

खातेदारों का जहां तक सवाल है, उन खातेदारों को खातेदारी हक पहले मिल गया तो उनका खातेदारी हक निरस्त करने के लिए एस.डी.एम. के थ्रू जो हमने, खुद तहसीलदार ने आगे होकर अपील की है, उसके तहत उसका निस्तारण शीघ्र ही कर देंगे, लेकिन उसकी जो प्रक्रिया है वह पूरी करने के बाद ही कर पायेंगे, लेकिन शीघ्र निस्तारण करेंगे।

श्री अध्यक्ष: मदन दिलावर जी।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो वन भूमि में बसे हुए हैं क्योंकि वह सैकड़ों सालों से बसे हुए हैं, तो मेरा इतना निवेदन है कि वन भूमि के बदले में दूसरी भूमि दे दी जाये और उसको आबादी में कन्वर्ट कर दिया जाये तो बस जायेंगे।

दूसरा, माननीय मंत्री महोदय ने जो कहा है कि हम इन पर शीघ्र कार्यवाही करेंगे, जिसका वर्णन आपने इसमें किया है, तो इसकी समय सीमा तय कर दें ताकि अच्छा रहेगा। अधिकारीगण जल्दी ही उसका निस्तारण कर

(श्री मदन दिलावर)

देंगे तो लोगों को लाभ मिल जायेगा और फिर इसमें आबादी में कन्वर्ट करने के भी आदेश उनको दे दें। जैसा कि आपने बताया कि प्रस्ताव प्राप्त हो गये, तो जल्दी से जल्दी आबादी में कन्वर्ट हो जाये तो लोगों को पट्टे मिल जायेंगे।

श्री अध्यक्ष: मंत्री समय सीमा का बता दें।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): यह खातेदारी का रेफरेंस दर्ज किया है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, वह इंडिविजुअल खातेदारी का छोड़ दें, बाकी जो आपने मंगवाये हैं, उनका टाइम पीरियड बता दें, जिससे वह खाते में जमीन मिल जाये।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने पंचायत को दे दी, अब पंचायत विभाग उनको पट्टे देगा। वह तो खातेदारी नम्बर 1 में थी, वह हमने ग्राम पंचायत को दे दी है, वह इनका टाइम बाउण्ड करेगा। हमारे लेवल पर हम कर देंगे। वन विभाग का हम कर पाने में सक्षम नहीं हैं। उसमें धारा-4 में प्रतिबंधित भूमि है, उसमें तरमीम भी हम सही नहीं कर सकते। उसका तरीका है, इनको कोर्ट के थ्रू इसको करना पड़ेगा। फिर भी जल्दी करेंगे।

श्री अध्यक्ष: मैं समझता हूं कि जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो जाये तब पंचायत विभाग से परस्यू करें जिससे इनको पट्टे मिल सकें और इसके बाद भी आपको कोई जरूरी हो तो आप नोटिस में लायें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र। श्री शान्ती कुमार जी धारीवाल।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

स्वायत्त शासन विभाग

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित 16 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या: एफ.8(जी)( )रूल्स/डी.एल.बी./21/51222 दिनांक 12.03.2021 जिसके द्वारा राजस्थान नगरपालिका (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक) सेवा नियम, 1963 में संशोधन किया गया है;

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

2. अधिसूचना संख्या: प.8(जी)(62)नियम/डी.एल.बी./20/51936 दिनांक 23.03.2021 जिसके द्वारा राजस्थान नगरपालिका (प्रशासनिक एवं तकनीकी) सेवा नियम, 1963 में संशोधन किया गया है;
3. अधिसूचना संख्या: एफ.8(जी)( )रूल्स/डी.एल.बी./15/53888 दिनांक 28.04.2021 जिसके द्वारा राजस्थान नगरपालिका (चतुर्थ श्रेणी सेवा) नियम, 1964 में संशोधन किया गया है;
4. अधिसूचना संख्या: प.8(ग)(38)नियम/डी.एल.बी./2021/57075 दिनांक 25.05.2021 जिसके द्वारा गृहकर एवं नगरीय विकास कर एक मुश्त राशि जमा कराने पर शास्ति में छूट प्रदान की गई है;
5. अधिसूचना संख्या: एफ.8(जीए)(विविध)रूल्स/एलएसजी/13/56805 दिनांक 24.05.2021 जिसके द्वारा राजस्थान नगरपालिका (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक) सेवा नियम, 1963 में संशोधन किया गया है;
6. अधिसूचना संख्या: एफ.8(ग)( )नियम/डी.एल.बी./15/57642 दिनांक 31.05.2021 जिसके द्वारा राजस्थान नगरपालिका के समस्त क्षेत्रों में स्थित भूखण्ड/भवन का बकाया लीज राशि एकमुश्त जमा करवाये जाने पर ब्याज राशि में शत प्रतिशत छूट प्रदान की गई है;
7. अधिसूचना संख्या: एफ.8(जी)(62)रूल्स/डी.एल.बी./21/59157 दिनांक 18.06.2021 जिसके द्वारा राजस्थान नगरपालिका (प्रशासनिक एवं तकनीकी) सेवा नियम, 1963 में संशोधन किया गया है;
8. अधिसूचना संख्या: एफ.8(जी)( )रूल्स/डी.एल.बी./21/59396 दिनांक 18.06.2021 जिसके द्वारा राजस्थान नगरपालिका (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक) सेवा नियम, 1963 में संशोधन किया गया है;
9. अधिसूचना संख्या: एफ.8(जी)( )रूल्स/डी.एल.बी./2021/61708 दिनांक 09.07.2021 जिसके द्वारा राजस्थान नगरपालिका (प्रशासनिक एवं तकनीकी) सेवा नियम, 1963 में संशोधन किया गया है;
10. अधिसूचना संख्या: एफ.8(जी)(62)रूल्स/डी.एल.बी./21/62047 दिनांक 27.07.2021 जिसके द्वारा राजस्थान नगरपालिका (प्रशासनिक एवं तकनीकी) सेवा नियम, 1963 में संशोधन किया गया है;
11. अधिसूचना संख्या: एफ.8(जी)( )रूल्स/डी.एल.बी./21/64833 दिनांक 14.09.2021 जिसके द्वारा राजस्थान नगरपालिका (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक) सेवा नियम, 1963 में संशोधन किया गया है;

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

12. अधिसूचना संख्या: एफ.8(जी)( )रूल्स/डी.एल.बी./21/65316 दिनांक 14.09.2021 जिसके द्वारा राजस्थान नगरपालिका (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक) सेवा नियम, 1963 में संशोधन किया गया है;

13. अधिसूचना संख्या: 67237 दिनांक 20.09.2021 जिसके द्वारा राजस्थान नगरपालिका (क्षेत्रीय विकास योजना) नियम, 2021 विरचित किया गया है;

14. अधिसूचना संख्या: प.8(क)(या)( )डी.एल.बी./21/67686 दिनांक 24.09.2021 जिसके द्वारा गृहकर एवं नगरीय विकास कर की राशि एक मुश्त जमा कराने पर शास्ति में प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के लिए छूट प्रदान की गई है;

15. अधिसूचना संख्या: एफ.8(जी)( )रूल्स/डी.एल.बी./21/70818 दिनांक 05.10.2021 जिसके द्वारा राजस्थान नगरपालिका (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक) सेवा नियम, 1963 में संशोधन किया गया है; एवं

16. अधिसूचना संख्या: एफ.8(जीए)( )नियम/डी.एल.बी./2021/71063 दिनांक 22.10.2021 जिसके द्वारा राजस्थान नगरपालिका (शहरी भूमि निष्पादन) नियम, 1974 में संशोधन किया गया है।

श्री अध्यक्ष: समिति का प्रतिवेदन, श्री गुलाब चन्द कटारिया।

समिति प्रतिवेदन

जन लेखा समिति के प्रतिवेदन (क्रम संख्या 101 से 112)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जन लेखा समिति, वर्ष 2021-22 के निम्नांकित 12 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:-

1. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) वर्ष 2016-17 का अनुच्छेद संख्या 3.1 से 3.7 परिवहन विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2021-22 का 101वां प्रतिवेदन।

2. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) वर्ष 2012-13 का अनुच्छेद संख्या 7.7.9 खान एवं भू-विज्ञान विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2021-22 का 102वां प्रतिवेदन।

3. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2017-18 का

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अनुच्छेद संख्या 1.7 वित्त, कृषि, चिकित्सा शिक्षा व प्राथमिक शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2021-22 का 103वां प्रतिवेदन।

4. जनलेखा समिति, 2020-21 (15वीं राजस्थान विधान सभा) के 71वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2021-22 का 104वां प्रतिवेदन।

5. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2017-18 का अनुच्छेद संख्या 3.1 जल संसाधन विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2021-22 का 105वां प्रतिवेदन।

6. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2017-18 का अनुच्छेद संख्या 2.2, 3.2, 3.3 एवं 3.4 वन विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2021-22 का 106वां प्रतिवेदन।

7. जन लेखा समिति, 2019-20 (15वीं राजस्थान विधान सभा) के 42वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2021-22 का 107वां प्रतिवेदन।

8. जन लेखा समिति, 2016-17 (14वीं राजस्थान विधान सभा) के 169वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2021-22 का 108वां प्रतिवेदन।

9. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2016-17 का अनुच्छेद संख्या 2.2 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2021-22 का 109वां प्रतिवेदन।

10. जन लेखा समिति, 2017-18 (14वीं राजस्थान विधान सभा) के 193वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2021-22 का 110वां प्रतिवेदन।

11. जन लेखा समिति, 2019-20 (15वीं राजस्थान विधान सभा) के 16वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2021-22 का 111वां प्रतिवेदन। एव

12. जन लेखा समिति, 2019-20 (15वीं राजस्थान विधान सभा) के 14वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2021-22 का 112वां प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष: दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2022, श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2022

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2022 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप ठीक समझें तो दो बिल हैं, आज फ्राइडे है, दो-दो घंटे डिस्कस करके पांच बजे तक हाउस को अपन कर सकते हैं। सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि अपनी ब्रीफ में वही बात रखें और रिपीट नहीं करें, जिससे अच्छी सार्थक चर्चा हो सके। श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन के अन्दर दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2022 पर चर्चा हो रही है। इस संशोधन के माध्यम से सरकार की मंशा सीआर.पी.सी. 1973 के सैक्शन 293 के सब-सैक्शन 4 के खण्ड जी के अन्दर एक संशोधन लाने की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि सीआर.पी.सी. यह समवर्ती कोंकरेंट लिस्ट का एक विषय है। आर्टिकल 246 के अन्तर्गत जो सेवंथ शिड्यूल बना है, उसकी एण्ट्री-एक के अन्दर सीआर.पी.सी. का उल्लेख है और इसी कारण से जब संविधान के आर्टिकल 242(2) के अन्दर एक प्रावधान है, मंत्री महोदय, कि समवर्ती सूची का कोई भी ऐसा विषय, जिस पर केन्द्र सरकार की कोई विधि प्रचलित हो और विधान मण्डल अगर कोई विधि बनाता है तो क्या संसद द्वारा पारित केन्द्र सरकार की विधि प्रभावी होगी? हां, इसमें यह भी है आर्टिकल 254(2) के अन्दर, 'कि अगर राज्य विधान मण्डल कोई

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

विधि बनाता है तो महामहिम राज्यपाल महोदय की सिफारिश पर विचारार्थ के लिए महामहिम राष्ट्रपति के पास यह विधि जायेगी और उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति महोदय की अगर अनुमति मिल गयी तो यह अमेंडमेंट इनफोर्स होगा।' मैं समझता हूं कि जब सीआरपी.सी. में अमेंडमेंट होता है, हालांकि आपके इस अमेंडमेंट का प्रभाव क्षेत्र राजस्थान है, पर देश में व्यापक स्तर पर एक प्रभाव पड़ता है, उस पर चर्चा भी होती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस संशोधन विधेयक के उद्देश्य और कारणों के कथन की ओर ले जाना चाहता हूं। यह जो सीआर.पी.सी. 1973 के सेक्शन 293(4) के (जी) के अन्दर अब वर्तमान में केन्द्र सरकार को अधिकृत कर रखा है कि वह वैज्ञानिक विशेषज्ञ, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका सीधा सम्बन्ध हमारी वह लैब, जिसको हम FSL के नाम से जानते हैं, या आज के इस आधुनिक युग के अन्दर जब अपराध और अपराधी, दोनों के तौर-तरीके बदल रहे हैं, उस समय जो वैज्ञानिक विशेषज्ञ, अब तक भारत सरकार इस सेक्शन 293(4) के (जी) के अन्दर केन्द्र सरकार अधिकृत थी, उसमें संशोधन लाकर, मंत्री महोदय, आप चाहते हैं कि राज्य सरकार, केन्द्र सरकार द्वारा पहले आर्टिकल संविधान के अन्दर 293 (4) के (जी) में जो प्रावधान थे, उसके अतिक्रमण में आप संशोधन लेकर आये हैं। मंत्री महोदय, मैं गलत कह रहा हूं? मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसके पीछे आपका हिडन एजेण्डा क्या है? आप किस संस्था को अपने चंगुल में लेने की कोशिश कर रहे हैं?

(समय: 12.45 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

मैं समझता हूं निश्चित तौर पर माननीय सभापति महोदय, जब फोरेंसिक साइंस की बात आती है, कालान्तर के अन्दर यह लैटिन शब्द है, यह फोरेंसिक से निकला हुआ है। उस काल के अन्दर फोरेंसिक का मतलब था एक फार्म भरें। एक फार्म अपराधी के दोनों पक्षों का विचार करता था, दोनों पक्षों के तर्क और कुतर्क सुनने के बाद वह निर्णय करते थे। इसमें भी कोई सत्य नहीं, कि ज्यों-ज्यों विज्ञान सोपान चढ़ता चला गया, हमारी फोरेंसिक साइंस ने भी नई करवट ली और निश्चित तौर पर का यह अमेंडमेंट, जो मंत्री महोदय लेकर आये हैं, चूंकि, माननीय सभापति महोदय, हमारा जो एवीडेंस एक्ट है 1872 का, उसके सेक्शन 45 में यह एक एडमिसेबल एवीडेंस है और यह बड़ा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

महत्वपूर्ण साक्ष्य है, जो हमारे वैज्ञानिक विशेषज्ञ देंगे और इसीलिए, सभापति महोदय, आज यह जो अपराध और अपराधियों के पास पहुंच करने के लिए निश्चित तौर पर FSL की भूमिका को हम नकार नहीं सकते। अभी कई ऐसे मामले हुए हैं, माननीय सभापति महोदय, यही नहीं, यह जो आर्टिकल 293(1) है, इसके अन्दर तो मैंने जो पहले कहा कि एवीडेंस एक्ट के सेक्शन 45 में इसको एडमिसेबल माना है और आर्टिकल 293(2) के अन्दर अगर कोर्ट यह समझे, न्यायालय यह समझे तो वह उस वैज्ञानिक विशेषज्ञों को कोर्ट एग्जामिन करने के लिए भी सम्मन कर सकता है। अब कई फैसले भी हुए हैं। मैं अभी समाचार-पत्र में पढ़ रहा था, इस 22 नवम्बर को जयपुर की विशेष पोक्सो अदालत ने एक फैसला किया। एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ और एफएसएल की रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने आजीवन कारावास दिया।

सभापति महोदय, आप तो बड़े प्रशासनिक पदों पर विराजे हैं। इसी तरह से पीलीबंगा के अन्दर एक बहुचर्चित मामला हुआ। एक 60 वर्षीय महिला की बलात्कार के बाद हत्या हुई। मंत्री महोदय, इस मामले में भी इसी एफएसएल की रिपोर्ट के आधार पर उसको आजीवन कारावास हुआ।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप संशोधन क्यों लेकर आये? यह जो सेक्शन 293 है, जिसका जिक्र मैंने किया, इसके 'जी' शिड्यूल में उन वैज्ञानिकों को सूचीबद्ध किया गया गया है, जिनको आज भारत सरकार अपाइंट करती है, उनमें है, Chemical Examiner or Assistant Chemical Examiner to the Government, Chief Inspector of Explosives, Director of Finger Print Bureau, Director of Haffkine Institute - Mumbai, Director, Deputy Director and Assistant Director of Central FSL or State, यह नहीं कि इनके पास पहले अधिकार नहीं हैं, लेकिन पहले जो अधिकार था, एफएसएल की रिपोर्ट डायरेक्टर देगा, डिप्टी डायरेक्टर देगा, असिस्टेंट डायरेक्टर देगा, इसके नीचे का नहीं देगा। अब यह एक पेंडोरा बॉक्स खोलना चाहते हैं।

मैं समझता हूं कि आप जो यह लेकर आये हो यह केन्द्र सरकार की अभिव्यक्ति के बाद राज्य सरकार का शब्द जोड़ने के लिए, तो राज्य सरकार की मंशा क्या है? मैं इनके उद्देश्यों और कारणों के कथन को पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह कहते हैं कि वर्तमान में एफएसएल विशेषज्ञों की कमी से न्याय में विलम्ब होता है। ऐसा महसूस किया जाता है कि आर्टिकल 293 (4) में सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की सूची

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

परिपूर्ण नहीं है। न्यायालय की कार्यवाही में वैज्ञानिक विशेषज्ञों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या की आवश्यकता है। अतः सेक्शन 293, सेक्शन 4 के 'जी' में संशोधन प्रभावित है।

सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि जब हम यह अधिकार स्टेट में ले लेंगे, अभी आपने एक नया नमूना देखा होगा कि नागौर के एक एसपी ने एक साइबर एक्सपर्ट को 90 हजार में नौकरी दे दी। सैयां भए कोतवाल तो फिर डर काहे का। यही नहीं, जयपुर की कमिश्नरेट ने एफएसएल और साइबर क्राइम के लिए एक कंपनी को 18 लाख साल का ठेका दे रखा है। जब आपके पास पहले अधिकार है कि आपके एफएसएल का डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर साइंटिस्ट के तौर पर काम कर सकता है, आप उनकी संख्या बढ़ा दें, लेकिन आप तो नीचे संविदा के आधार पर इस प्रकार के काम करें जो आपके कहने से टेम्पर करें। आपका हिडन एजेंडा यह है।

मंत्री महोदय, मैं आपको एक उदाहरण देकर सदन के सामने अपनी मंशा स्पष्ट करूंगा। यह सदन साक्षी रहा है, जब अपनों ने अपनों को ललकारा था। 34 दिन तक आप 5 सितारा होटल में विराजे थे। उस समय आपने दूसरों का नहीं, अपने तत्कालीन डिप्टी चीफ मिनिस्टर और 19 विधायकों के टेलीफोन को सर्विलांस पर लिया। फिर एक ऑडियो क्लिप लेकर हमारे मुख्य सचेतक जी एसओजी, एसीबी के दफ्तर में पहुंचे। लगातार 4 मुकदमे, मुकदमा नम्बर 47/2020, 48/2020, 49/2020 और एसीबी में 149/2020 अंडर सेक्शन 124 ए राजद्रोह, 120 षड्यंत्र किये। उसके बाद आपने क्या किया? सुलहनामा हुआ। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, सुलहनामे के दूसरे दिन...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपके केन्द्रीय मंत्री ने वाइस का सैम्पल दिया था क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं बताता हूं। मैं उसी पर आ रहा हूं।

श्री सभापति: बैठिये। बैठिये, प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह नवरत्न हैं। नवरत्न सलाहकार हैं। आपके अपाइंटमेंट लैटर जल्दी आपको मिलें, मैंने यह अरदास की है ईश्वर से, लेकिन बिना अपाइंटमेंट भी मुख्य मंत्री के सलाहकार महोदय, हुआ क्या? जब सुलहनामा हुआ, उसमें आपकी भी भूमिका थी।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

दूसरे दिन एफएसएल ने रिपोर्ट दे दी कि आडियो क्लिप की आथेंटिसिटी नहीं है, डिसकंटीन्यू है और एफआर लगा दी। इस प्रकार का कृत्य आप करना चाहते हो क्योंकि रीट की चीट की आंच पता नहीं कहां से कहां पहुंचेगी। यह मैं निवेदन करना चाहूंगा।

आप कोटा से आते हैं। आप मुझे यह बताओ कि अंकुश वाधवा से बड़ा कोई चर्चित मामला आपके कोटा में हुआ क्या? अंकुश वाधवा वाले मामले में जमानत क्यों मिली? आपकी एफएसएल की रिपोर्ट नहीं आयी। यहां जयपुर में 07 जनवरी, 2020 को डबल मर्डर हुआ। उसके अपराधी को जमानत क्यों मिली? उसमें एफएसएल की रिपोर्ट नहीं। यह रिपोर्ट भी ऐसी महरबां है आते-आते हुजूर कब आ जाये और जाते-जाते भूल भी जायें। मैं समझता हूं कि इसको मत करो। अगर आपको करना है तो मैं आपके सामने वह स्टेटिक्स रख रहा हूं- "Director of Forensic Science Laboratory Rajasthan - Case Statistics (from 01st January, 2020 to 31st December, 2020); statement showing the position of received, disposal and pending cases of State FSL and Regional FSL." मैं एक-एक को गिनूंगा तो आज अध्यक्ष जी का निर्देश था कि समय पर खतम हो, लेकिन आप देखिये कि स्टेट एफएसएल में 8803 मामले पैंडिंग हैं। आपके खुद के कोटा में 865 मामले पैंडिंग हैं। यह सारे मामले इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आज आवश्यकता इस बात की है कि आप एफएसएल को स्ट्रेंथन करें। आप संविदा पर और इस तरह का काम कर रहे हैं।

मैं कोई लम्बी बात कहने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। अब मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मंत्री महोदय, आप याद करो, आप चाहते हो ना कि इस अमेंडमेंट के माध्यम से आप केन्द्र सरकार के अधिकार लेकर अपनी मनमर्जी के विशेषज्ञों को नियुक्त करके चाहे जिसकी रिपोर्ट टेम्पर करा लो। यह अधिकार तो आप ले रहे हो। यह शक की सुई हमेशा घूमती चली जायेगी।

सभापति महोदय, आपसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन हो सकता है। आप तो बड़े-बड़े पदों पर विराजे हैं। अगर आप डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर से नीचे आये तो राजस्थान का क्या होगा? अभी आप हालत देख रहे हो। आज आपने जिसकी जांच की बात कही। सदन में मामला

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उठा और आपके विधायक महोदय के बारे में मेरे एक मित्र कह रहे थे कि उनको विषय विशेषज्ञ के तौर पर डिग्री दी जाये, क्योंकि उनकी भाषा के अन्दर बहुत बड़ी बातें थीं। आपने कह दिया कि मैं जांच कराऊंगा। अब आप क्या जांच कराओगे? विशेषज्ञ तो आपका होगा।

बजट 2020-21 के अन्दर पैरा 188, उसमें घोषणा करायी थी कि जयपुर में डीएनए लैब स्थापित करेंगे। दूसरे चरण में अजमेर में डीएनए लैब स्थापित करेंगे। जिस प्रकार के अपराध हो रहे हैं उसमें यह आज की आवश्यकता है। हर मामले में डीएनए मैचिंग, हर दुष्कर्म में, हर बलात्कार में, हर हत्या के अन्दर, कहीं न कहीं उसकी आवश्यकता पड़ती है। आपने क्यों नहीं खोले जी? आप यह अमेंडमेंट तो ले आये। यह अनुत्तरित सवाल है।

नेता प्रतिपक्ष महोदय, उसके बाद 2021-22 में इन्होंने कहा कि फिंगर प्रिंट की सुविधाओं के विस्तार के लिए हम चिकित्सा महाविद्यालय में डीएनए फिंगर प्रिंट को प्रारम्भ करेंगे। इसकी बजट में घोषणा कर रहे हैं। वह किया क्या अब? इन 2 बजटीय घोषणा की हालत देख लो। आप अमेंडमेंट तो ले आये। मुझे अमेंडमेंट के पीछे रीट की चीट की गूंज दिखाई देती है।

अब अलवर के निर्भया काण्ड में आपने मुख्य मंत्री जी से क्या कहलवा दिया कि कुछ नहीं हुआ। आज भी आपके यहां जो एफएसएल की रिपोर्ट्स पड़ी हैं, वह चीख-चीख करके यह कह रही हैं कि उसकी सलवार पर सीमन कहां से आया? आपने तो क्लीन चिट दिलवा दी।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार ने एक और डार्क लैब बनाई है। उन्होंने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बनाया है। आप इस प्रकार का यह संशोधन लेकर आये हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया एक ऐसी एफएसएल जिसकी रिपोर्ट के आधार पर किसी को फांसी हो सकती है, किसी को आजीवन कारावास हो सकता है, उसकी पैंडिंग्स पहले आप देख लो। आपके 15-15 हजार मामले अभी लम्बित पड़े हैं। आप पैंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं।

राज्य सरकार को पहले से अधिकार है। आर्टिकल 293 (4) के 'जी' में 3 लोगों को अधिकृत कर रखा है। वह एक नहीं, तीन हैं। आप डिप्टी डायरेक्टर 20 बनायें, आप असिस्टेंट डायरेक्टर 50 बनायें।

आपने रीजनल लैब खोल दी। आपकी रीजनल लैब चिल्ला-चिल्ला करके क्या कहती है? आपकी रीजनल लैब्स कह रही हैं कि जोधपुर में 1673

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मामले, उदयपुर में 1992, कोटा का मैंने बता दिया, बीकानेर में 288 मामले पैंडिंग हैं। आप इनको पूरा करो। इनके आधार पर कुछ लोग जेलों में पड़े हैं और कुछ लोग इसका लाभ ले रहे हैं। अंकुश वाधवा के अपराधियों ने इसी का लाभ लिया।

सभापति महोदय, मैं इसलिए निवेदन करना चाहूंगा कि इसको जनमत जानने के लिए परिचालित कर दें ताकि जनमत की बात आ जाये। धन्यवाद।

व्यवस्था का प्रश्न

विधान सभा सत्र के मध्य छबड़ा में राजकीय कार्यक्रम का आयोजन

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): सर, पाइंट आफ आर्डर। एक मिनट। कल छबड़ा में 3 तारीख को सरकारी कालेज के अन्दर कुछ लोगों ने फंक्शन किया। वहां अधिकारी मौजूद थे, जबकि सरकार के इस प्रकार के आदेश हैं, सभापति महोदय, सरकार से भी बड़ा आदेश आपका है कि जब सत्र चल रहा हो तो किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं किया जाये। दूसरा, अगर किया भी जाता है तो छुट्टी के दिन किया जाये। विधायक को या जन-प्रतिनिधि को उसकी सूचना दी जाये, पर मुझे दु:ख है, कल जिला कलेक्टर, बारां से मैंने बात

(समय: 13.00 बजे)

की, बात करने के बाद एसडीएम से बात की, वहां छबड़ा कालेज के प्रिंसिपल और जो भी वहां पर कार्यरत हैं, उन्होंने एसडीओ कार्यालय तक आने से मना कर दिया और वहां पर फंक्शन हुआ। एक राजनीतिक पार्टी का बहुत बड़ा समारोह हुआ। मैं समझता हूं कि सरकारी कालेज में या सरकारी बिल्डिंग में कोई राजनीतिक गतिविधियां नहीं चलनी चाहिए। बिना किसी परमिशन के कालेज में जिस प्रकार का फंक्शन हुआ और एसडीओ के बुलाने के बावजूद भी वहां पर कालेज का न तो प्रिंसिपल पहुंचा और न कोई और पहुंचा। मैंने कलेक्टर को स्वयं ने इत्तिला की, उसके बावजूद भी वह कार्यक्रम हुआ मैं समझता हूं कि यह बहुत ही निन्दनीय बात है। समयसमय पर हमारे संसदीय कार्य मंत्रीजी ने, सरकार ने और अध्यक्ष महोदय ने खुद ने आदेश दिये हैं कि इस प्रकार का, जब सत्र चल रहा हो तो किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं होना चाहिए।

(श्री प्रताप सिंह)

मेरी सरकार से मांग है कि आप इस मामले को गम्भीरता से लें ताकि और इलाकों में भी इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो और जो लोग दोषी हैं, जिन लोगों ने वहां कार्यक्रम किया, जो लोग शरीक हुए, जिन लोगों ने परमिशन दी, उनके खिलाफ सरकार से आदेश है। माननीय संसदीय मंत्रीजी से निवेदन है कि आप निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे, आप सक्षम मंत्री हो, आप कार्रवाई कर भी सकते हो, इसलिए मैंने यह मामला आपके सामने रखा है।

श्री सभापति: श्री संयम लोढ़ा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, बहुत गम्भीर मामला है। छबड़ा कालेज की नई बिल्डिंग बन रही है और उसका उद्घाटन असामाजिक तत्व कर रहे हैं। (व्यवधान) सरकारी अधिकारी इसमें शरीक हैं, उनको क्यों नहीं निलम्बित किया जाये? उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्यवाही की जाये? ये बहुत गम्भीर मामला है।

श्री सभापति: श्री संयम लोढ़ा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): कोई भी कार्यक्रम विधान सभा चलते समय नहीं हो सकता, चाहे छुट्टी का दिन भी क्यों न हो। नहीं हो सकता, फिर भी कार्यक्रम करके, आपके आदेशों की, सरकार के आदेशों की अधिकारी अवहेलना करते जा रहे हैं। यह बिलकुल ठीक नहीं है।

श्री सभापति: नोट किया जा रहा है।

विधेयक पर विचार

दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2022

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार द कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (राजस्थान अमेंडमेंट) बिल, 2022 लेकर आयी है।

माननीय सभापति महोदय, यह संशोधन लाने का तो संविधान राज्य सरकार को अधिकार देता है क्योंकि यह कोंकरेंट लिस्ट में है लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि जब 1973 में यह बिल लाया गया और फिर 2005 में भारत सरकार ने अमेंडमेंट किया, उसके बाद से इन 17 साल में भारत सरकार को कोई नाम जोड़ने की इसमें जरूरत नहीं हुई तो फिर ये नाम भारत सरकार के द्वारा नोटिफाई किये हुए हैं इसमें अलग से आपको नाम जोड़ने की क्या आवश्यकता महसूस हुई?

(श्री संयम लोढ़ा)

आपने इसके उद्देश्य और कारणों के कथन में लिखा है कि वर्तमान में ऐसे विशेषज्ञों की कमी से न्याय में विलम्ब होता है, ऐसा महसूस किया गया है कि उप धारा 4 में सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की सूची परिपूर्ण नहीं है। पहले आप अपने स्टेट में जो हालात बने हुए हैं उन पर तो नजर डाल देते। एक तरफ आप बता रहे हो कि सूची परिपूर्ण नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य में 7 जगह पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला है, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर। जब मंत्रीजी उत्तर दें तो पहले इस बात का जवाब दे देना कि विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं आपकी कितनी क्षमता के साथ काम कर रही हैं, क्या आपने इनके लक्ष्य निर्धारित कर रखें हैं, कितनी इनकी पूर्ति होती है और लम्बित कितने हैं और कितनी बिलकुल ही काम नहीं कर रही हैं? वहां पर पदों की क्या स्थिति है?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज राज्य में जो पिछले महीने तक का आंकड़ा है, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ इस जांच के अभाव में जो प्रकरण लम्बित हैं, 8087 प्रकरण लम्बित हैं, जांच रिपोर्ट के अभाव में, ये 2022 का आपको विवरण बता रहा हूं। इनमें भी 300 प्रकरण पॉक्सो एक्ट के लम्बित हैं, पॉक्सो एक्ट के। हत्या के मामलों में जो जांच आपको सम्बन्धित पुलिस द्वारा भेजी गयी है, 440 हत्या के मामलों में अभी तक आप जांच की रिपोर्ट नहीं दे सके हैं और आप पद बढ़ाने की बात कर रहे हो।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि डीएनए फिंगर प्रिंट की सुविधा राज्य में सिर्फ दो जगह पर है जोधपुर और जयपुर, क्या आपने इसमें इजाफा किया? क्या आपने और जगह पर यह सुविधा विकसित की है? आप कह रहे हैं कि ऐसे विशेषज्ञों की कमी से न्याय में विलम्ब होता है, तो जरा आप बता दो इनमें 11 वैज्ञानिक विशेषज्ञों के पद हैं, इन दो जोधपुर और जयपुर की लैब में, इन 11 पदों में से आपने कितने लोगों को लगा रखा है, मात्र 2 पदों पर। 9 पद आपके डीएनए फिंगर प्रिंट के साइंटिस्ट जो एक्सपर्ट हैं, उनके 9 पद 11 में से खाली पड़े हुए हैं, आप किसको नोटिफाई करेंगे? आपके पास वहां पर मुलाजिम नहीं हैं। इसके अलावा, माननीय सभापति महोदय, 2022 में डीएनए फिंगर प्रिंट के 10003 प्रकरण आपके पास लम्बित हैं। आप बताना, आपके जो 2 वैज्ञानिक विशेषज्ञ

(श्री संयम लोढ़ा)

हैं इनकी कितनी क्षमता है कि ये 10 हजार प्रकरण कितने महीने में निस्तारित कर सकेंगे?

माननीय सभापति महोदय, जो बुनियादी कमियां हैं, आधारभूत ढांचे की कमियां हैं उनको आप ठीक करो नहीं और सिर्फ बड़े अधिकारियों को सहूलियत देने के लिए कि उन्हें कोर्ट में पेश नहीं होना पड़े आप यह अमेंडमेंट ला रहे हो। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय जब उत्तर दें तो कृपा करके यह बतायें कि आपके फोरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट में जयपुर में 25 पद हैं, उदयपुर मेडिकल कालेज में 14 पद हैं, अजमेर मेडिकल कालेज में 8 पद हैं, बीकानेर मेडिकल कालेज में 11 पद हैं, कोटा मेडिकल कालेज में 16 पद हैं, जोधपुर मेडिकल कालेज में 12 पद हैं, इनमें से कितने पद आपके खाली पड़े हुए हैं?

माननीय सभापति महोदय, पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों ने जब डिस्कशन करके यह कानून बनाया और उसमें संशोधन किये तो बहुत सोच समझकर किया होगा। नीचे टेस्ट कौन करता है, जांच कौन करता है, नीचे का आदमी करता है, आपका डायरेक्टर करता है, आपका एडिशनल डायरेक्टर करता है, नहीं, यह व्यवस्था इसलिए बनायी गयी कि नीचे का आदमी जो जांच कर रहा है उसकी भी जांच हो, उसका पता रहे कि सही की गयी है कि नहीं की गयी है और तब वह बड़ा अधिकारी उस पर दस्तखत करता है। आप नीचे के अधिकारियों को आथोराइज कर देंगे तो उन्होंने सही किया या नहीं किया, यह जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या वह छोटा अधिकारी लेगा? उसको नोटिफाई करके आप उसके भरोसे इतने गम्भीर अपराधों के मुकदमों को छोड़ना चाहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहता हूं कि यह कोई साधारण बात नहीं है। आप इसको लेकर आये हैं तो आपको राजस्थान के इस सर्वोच्च सदन में खुलासा करना चाहिए कि आप साइबर क्राइम में हैं या ड्रग में हैं या दूध में हैं, किसमें, किस स्तर के, कौनसे लोगों को, किन विशेषज्ञों को इसमें नोटिफाई करना चाहते हैं? वरना आप और हम अवगत हैं कि इन सारी जांचों का क्या हश्र होता है, सरकार अभियान चलाती रहती है, शुद्ध के खिलाफ युद्ध और नतीजा क्या होता है? आज राजस्थान के तमाम जिलों में पिछले बजट में घोषणा करने के बाद भी क्या आप लेबोरेटरी एस्टेब्लिश कर सके?

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करता हूं कि इसमें शीघ्रता नहीं करें। कोई एटम बम नहीं गिर रहा है कि आपको इतनी जल्दबाजी में यह करने की जरूरत है। आप इसको एक महीने के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित कीजिये, सबकी राय लीजिये और उसके बाद में जो राय आपको प्राप्त हो, उसको इस विधान सभा में बहुत खुलासे के साथ किस स्तर के, किस योग्यता के लोगों को आप इसमें नोटिफाई करेंगे। इसके लिए यह वैट मत करिये कि हम रूल्स में करेंगे। आप सदन को तो पहले जानकारी दीजिये, जब आप कानून में अमेंडमेंट ला रहे हैं तो। यही मैं आपके माध्यम से विनती करता हूं। इसे एक महीने के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये।

श्री सभापति: श्री अशोक लाहोटी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, पहली बार सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने सही सलाह दी। माननीय सभापति महोदय, जैसा अभी उप नेता, प्रतिपक्ष और सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 293 की उप-धारा (4) में राज्य सरकार केवल एक छोटा-सा अमेंडमेंट का पार्ट लेकर सदन में आयी है। यह पार्ट है कि ''केन्द्रीय सरकार'' के स्थान पर उस परन्तुक के बाद और पहले ''राज्य सरकार'' जोड़ा जाये।

सभापति महोदय, जब बिल में कारण और उद्देश्य का पूरा एक पृष्ठ दिया जाता है और कोई भी सदन में बिल लाया जाता है तो उस बिल की पूरी व्यापकता देखकर कि इस सेक्शन में क्या-क्या चीजें कवर होती हैं और क्या-क्या चीजें इस सेक्शन में लानी चाहिये, उन सभी संशोधनों को एक साथ मर्ज करके उस बिल को लाया जाता है, जिससे उस बिल का प्रभाव भी रहे और उसमें क्या-क्या लिखा हुआ है, वह सारगर्भित बात भी आ सके।

(समय: 13.11 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, वर्तमान में जैसा बताया कि धारा 293 में केन्द्र अथवा राज्य न्यायालयों द्वारा विज्ञान प्रयोगशालाओं के निदेशक, उप-निदेशक एवं सहायक निदेशक, जिन्हें राजकीय वैज्ञानिक विशेषज्ञ के रूप में परिभाषित किया गया है, उसके अलावा जो पद जोड़ने हैं, वे कारण और उद्देश्यों में कहीं

(श्री अशोक लाहोटी)

नहीं दिये गये कि किन-किन पदों को किस-किस स्तर तक जोड़ा जायेगा। यह इसमें कहीं पर भी नहीं है।

सभापति महोदय, सीआरपीसी की धारा में संशोधन तो लाये, पर यह धारा जितनी व्यापक है, इसमें केवल एक फोरेन्सिक लैब ही नहीं आती है, साइबर अपराध भी इसी धारा में आता है। फिर इन दोनों की स्थिति को देखकर यह लाया जाता। यदि इस बिल को आप देखें तो 1959 में इस प्रयोगशाला की स्थापना हुई। 1967 में इसमें रसायन को जोड़ा, 1970 में जैविक को जोड़ा, 1973 में भौतिक प्रारम्भ हुआ, 1992 में नारकोटिक्स, आर्सन एंड एक्सप्लोजिव्ज तथा लाइव डिटेक्शन के खण्ड बनाये गये। वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है?

मंत्री महोदय, आप यह बिल तो लाये, पर आपके यहां पर जो तकनीकी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके वर्तमान में 421 पद हैं और उनमें से 195 पद रिक्त पड़े हैं। जो अभी उप-नेता, प्रतिपक्ष ने कहा, जिसके कारण से कितनी बड़ी पेंडेंसी है। आज क्या हालत है कि वर्ष 2021 में 42078 आपराधिक प्रकरणों में 1789 आपराधिक घटनाओं के स्थलों का निरीक्षण किया गया और उसके बाद में 2 लाख 15 हजार पारदर्शों का विभिन्न वैज्ञानिक विधियों पर प्रशिक्षण किया जाना इसमें प्रस्तावित था, जिसमें कुल 13 प्रकार के खण्ड आपने बना रखे हैं। उन 13 प्रकार के खण्डों में यह विश्लेषण होना था और उसमें 31 जनवरी तक 10128 प्रकरणों की जांच पेंडिंग पड़ी है। जैसा पूर्व वक्ताओं ने कहा, इस पेंडिंग जांच के कारण कितने तो अपराधी खुले घूम रहे हैं और कितने लोग जेल में बिना वजह बन्द हैं, जिनकी हाय हम सबको लग रही है। हम सदन में बिल लेकर आये हैं, यह कोई छोटा विषय नहीं है। जब बिल परिपूर्ण न हो तो लाने की इतनी जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिये। इसके उद्देश्य और कारणों में अधूरी जानकारी लिखी है।

माननीय सभापति महोदय, इसका सबसे बड़ा हिडन एजेंडा, जो समाचार पत्रों में भी पिछले दिनों आया, डीएनए परीक्षण का कार्य मेडिकल कालेजों में दिया जायेगा, यानी आप पद बढ़ाने के नाम पर केवल मेडिकल जूरिस्ट्स का अपाइंटमेंट इसके साथ जोड़ना चाहते हैं, जो इसमें सीधा-सीधा समझ में आता है। आपने पद बढ़ाने के लिए कोई बजटीय प्रावधान भी नहीं किया, न आपने बजट में कोई घोषणा की कि कितने पद बढ़ायेंगे, न आपने पदों की संख्या दी, न आपने इसमें आगे कुछ लिखा। इसके अलावा आपने जो

(श्री अशोक लाहोटी)

लिखा, ''मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल शिक्षा से सम्बन्धित पढ़ाई कराया जाना ही उनका मुख्य उद्देश्य रहता है।'' तो फिर इसमें जो मेडिकल कालेजों ने आपको रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, उसके कुछ बिन्दु मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

उन्होंने लिखा है, ''क्राइम से सम्बन्धित प्रकरणों की जांच का मुख्य दायित्व राज्य की विधि विज्ञान प्रयोगशाला का ही है। डीएनए परीक्षण मेडिको लीगल केसेज में मेडिकल कालेज स्तर पर करने से मेडिकल कालेज का मेडिकल एजुकेशन, रिसर्च, टीचिंग एवं इलाज से सम्बन्धित कार्य प्रभावित होगा।'' भारत में यह परीक्षण अभी तक किसी भी मेडिकल कालेज में नहीं दिया गया है। केवल राजस्थान में ही यह घोषणा की है कि यह मेडिकल कालेज में देंगे।

दूसरा, मेडिको लीगल डीएनए परीक्षण न ही एमबीबीएस कोर्स में है और न ही किसी पीजी के कोर्स में करिकुलम का भाग है। फिर ये डीएनए परीक्षण राज्य के अलावा अन्य स्टेट्स के कोर्ट्स तथा सुप्रीम कोर्ट्स में भी कैसे चलते हैं? फिर ये डीएनए के कोर्सेज मेडिकल कालेज में आप जो देना चाहते हैं, आपकी इच्छा, मानसिकता क्या है, उसका भी खुलासा करें, क्योंकि पद बढ़ाने के नाम पर मेडिकल जूरिस्ट जोड़ना तो कतई उचित नहीं है। सभापति महोदय, एफएसएल एक अलग यूनिट है, जो होम डिपार्टमेंट के अन्तर्गत काम करती है। पंजाब सरकार ने वर्तमान में जो मेडिको लीगल, इस प्रकार की जांचों का काम था, वह भी मेडिकल विभाग से हटाकर इस लैब में होम डिपार्टमेंट के अन्तर्गत दिया है, जिसके आदेश की कापी भी है।

सभापति महोदय, मेडिकल कालेज में कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। वहां आलरेडी पढ़ाई का कार्य बाधित हो रहा है। इस प्रकार के न तो उपकरण हैं, न मैनपावर है। मेडिको लीगल केसेज में माइक्रोबायोलॉजी विभाग के अध्यक्ष ने 8 अप्रैल, 2021 की मीटिंग में, आरटीपीसीआर की मशीन में, यह साफ्टवेयर, डीएनए प्रकरण में काम नहीं ली जा सकती, इससे अवगत भी करवा दिया है कि जिस आरटीपीसीआर मशीन को उपयोग में लेने की मंशा से आप यह मेडिकल कालेज में ट्रांसफर करना चाहते हैं, वह आरटीपीसीआर मशीन मेडिको लीगल में काम नहीं आयेगी। यह आपको पत्र द्वारा वहां के माइक्रोबायोलॉजी विभाग ने अवगत भी करवा दिया है।

सभापति महोदय, यदि हमें करना है तो इस बिल में आप यह जोड़ें

(श्री अशोक लाहोटी)

कि वर्तमान में हमारे पास मात्र 4 जेनेटिक एनेलाइजर उपकरण उपलब्ध हैं और हमें आवश्यकता कितनी है, 9 से 10 की। इन मशीनों का इसमें कहीं उल्लेख नहीं है। वैज्ञानिकों को प्रजनन-सृजन करने के लिए सबसे बड़ा, यदि बजट नहीं भी है तो अभी आपकी इसमें एक रिप्रजेंटेशन भी आयी है कि वर्तमान में आपने संसाधनों, उपकरणों को शिफ्ट किया। सीरोलॉजी के स्टाफ को, जिनके बहुत ही कम प्रकरण हैं उन्हें आप डीएनए में शिफ्ट कर सकते हैं। फिजिक्स के स्टाफ को आप साइबर प्रकरणों में शिफ्ट कर सकते हैं।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं, आप यह देखें कि जो बिल आप लेकर आये हैं, यह आपकी वैज्ञानिक सेवाओं के अन्तर्गत आता है और वैज्ञानिक सेवाओं के बजट का यह पत्र आप देखें, जो आपने बजट के हैड में दिया है कि वैज्ञानिक सेवाओं में शायद देश की यह पहली सरकार होगी, जब साइबर अपराध प्रतिवर्ष 21 प्रतिशत की दर से बढ़ रहे हैं, डीएनए के केसेज की आवश्यकता ज्यादा पड़ रही है, हम डिजिटल युग में प्रवेश कर गये हैं, ऐसी स्थिति में यह देश की पहली सरकार है जिसने 2017-18 में जो बजट 16 करोड़ रुपये था, वह 15 करोड़, 9.33 करोड़, 8.98 करोड़ और घटाते-घटाते इस साल के 2 लाख 94 हजार करोड़ के बजट में साइंटिस्ट सेवाओं का बजट मात्र 6 करोड़ 65 लाख रुपये रखा हुआ है। यह आपके बजट का मात्र 0.002 प्रतिशत है।

सभापति महोदय, मैं इसके साथ-साथ यह बताना चाहता हूं कि वर्तमान में राजस्थान में हमारी इस धारा 293 के अन्तर्गत ही कवर होने वाले साइबर अपराधों की क्या स्थिति है। प्रदेश में रोजाना 60 से ज्यादा साइबर अपराध आ रहे हैं। पिछले 13 माह में 9 हजार 557 मामलों में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके अलावा सिर्फ परिवाद दर्ज करके 20 हजार मामलों को खुर्द-बुर्द किया जा चुका है, क्योंकि हमारे पास न तो साइबर अपराधों की सेल है, न उन्हें जांचने की कोई तकनीक है और न ही हम उसमें जाना चाह रहे हैं। पांच साल में 21 गुना साइबर अपराध बढ़े हैं। पिछले दो सालों का यदि आंकड़ा लें तो इस कोरोना के कालखण्ड में साइबर अपराध में 39 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। मैं यह मानता हूं कि केवल राजस्थान ही नहीं पूरे देश में हुई है। यह बात सच है, लेकिन राजस्थान में भी यह आंकड़ा प्रपोर्शनेटली बढ़ा है।

सभापति महोदय, 2020 के आंकड़ों में भी देखें तो 50 हजार 35 मामले साइबर अपराध के हुए हैं। इसमें आईटी एक्ट के 29 हजार 643 मामले

(श्री अशोक लाहोटी)

हुए हैं, आईपीसी के तहत संचार उपकरणों के माध्यम से हुए हैं। देश में विशेष स्थानीय कानूनों के तहत जो प्रकरण दर्ज हुए हैं, उनमें भी राजस्थान में 191 मामले हुए हैं। देश में साइबर क्राइम के जरिये यौन शोषण के मामले, जो राजस्थान में पिछले दिनों बहुत ज्यादा बढ़े हैं, वे 3293 मामले हुए हैं। साइबर क्राइम के जरिये 113 आतंकवादी मामले हुए हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से और सरकार से यह निवेदन करूंगा कि ठीक है, आप यदि विशेषज्ञों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं तो इस बिल में यह मन्शा क्लीयर करें कि कौनसे विशेषज्ञ बढ़ाना चाहते हैं। जो मेडिकल कालेजों की चिन्ता है, आज मेडिकल कालेज इस बात से चिन्तित हो गये हैं कि वे डाक्टर्स वहां पर इलाज करेंगे, वे वहां मेडिकल कालेज में पढ़ायेंगे या फिर केवल आपकी डीएनए रिपोर्ट्स की जांच करेंगे, कोर्टों के चक्कर चलायेंगे, देश-विदेश की कोर्टों में उनको भेजा जायेगा। राजस्थान के मेडिकल की स्टडी के उन छात्रों के भविष्य का क्या होगा? इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि किसी भी बिल की व्यापकता के बिना आधा-अधूरा अपूर्ण बिल सदन में लाकर सदन का समय हम जाया कर रहे हैं, राजस्थान की साढ़े सात करोड़ जनता का समय जाया कर रहे हैं, इसलिए इस बिल को छह माह के लिए जनमत जानने के लिए भेजा जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद, सभापति महोदय।

श्री सभापति: श्री बिहारीलाल।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति महोदय, दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2022 सरकार लेकर आयी है, माननीय मंत्री जी ने पेश किया है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बिल पर 10-10, 15-15 मिनट बोलने का स्कोप नहीं है, लिमिटेड है।

श्री बिहारीलाल (नोखा): पांच मिनट में बात करूंगा।

श्री सभापति: उसी पर आप कन्फाइन करेंगे तो यह समय पर पूरा होगा। अभी एक बिल और आना है, उसके बाद मुखबन्द का प्रयोग किया जायेगा, तो विस्तृत में जाने की जरूरत नहीं है, प्योरली इसी बिल पर कन्फाइन करें। इसमें बहुत ज्यादा लम्बा कोई स्कोप नहीं है और बीस-बीस मिनट लेंगे तो कैसे पार पड़ेगी।

श्री बिहारीलाल (नोखा): धन्यवाद, सभापति जी। इस बिल में जो संशोधन सरकार लेकर आयी है उसमें धारा 293 (4) के (g) में केन्द्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार को भी शामिल करने हेतु बिल पेश किया गया है। सरकार की मन्शा इस बिल को पेश करते हुए यह लिखा गया है कि न्याय त्वरित होना चाहिए, न्याय में विलम्ब नहीं होना चाहिए। अभी उप नेता, प्रतिपक्ष ने अपनी बात में कहा कि न्याय में विलम्ब इसलिए हो रहा है कि हमारी प्रयोगशालाओं में हजारों केसेज पेंडिंग पड़े हैं। न प्रयोगशाला की संख्या है और न उनमें स्टाफ है। समय पर उनकी रिपोर्ट नहीं आती, तो इस वजह से न्याय में विलम्ब होता है। आप जो यह लेकर आये हैं इसकी मन्शा माननीय मंत्री जी स्पष्ट करें। इसमें हमारा सुझाव है कि इससे यह होगा कि राज्य सरकार की अधिसूचित सूची में वर्णित विशेषज्ञों द्वारा न्यायालय में अपने स्थान पर जिम्मेदार कार्मिक को न्यायालय के सम्मन पर अपने अधीनस्थों को भेजा जाने लगेगा, जिससे न्यायालय में गम्भीर अपराधों पर कानूनी दांव-पेंचों में अधीनस्थों के फंसने व न्याय प्राप्ति के उद्देश्य के असफल होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकेगा।

माननीय सभापति जी, राज्य सरकार की अधिसूचित विशेषज्ञ सूची में स्पष्टत: उल्लेखित है कि न्यायालय की धारा 293 (3) सीआरपीसी के तहत कौन जिम्मेदार न्यायालय के सम्मन पर साक्ष्य हेतु उपस्थित किया जा सकेगा, इसका सम्पूर्ण विवेचन हुए बगैर विशेषज्ञों द्वारा अपने अधीनस्थ कार्मिकों को न्यायालयों में भेजकर साक्ष्य के नाम पर इतिश्री कर ली जायेगी, इस बात की भी सम्भावना है। इसलिए इस पर भी माननीय मंत्री जी गौर करेंगे। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए धारा 293 (3) में विशेषज्ञों के स्थान पर कौन व्यक्ति न्यायालय में साक्ष्य हेतु जा सकेगा, इसको भी स्पष्ट किया जाना चाहिए। इसको स्पष्ट किये बिना न्याय प्राप्ति के उद्देश्य विफल होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इन सारी बातों का इसमें समावेश करते हुए इसको दुबारा से लाया जाये और तब तक जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री वासुदेव देवनानी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, सरकार जिस तरह से THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE BILL लेकर आयी है वह दिखने में तो लगता है कि एक वाक्य का है, लेकिन इसके पीछे जो मन्शा है वह बहुत ही दूषित लगती है क्योंकि आपके पास जो साधन

(श्री वासुदेव देवनानी)

हैं उनसे तो आप मामले सुलटा नहीं पा रहे हो और जो केन्द्र सरकार के पावर में है, जिसमें कोई प्रोसीजर है जिसमें डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर लेवल के लोग ही जांच कर सकते हैं, उसको आप डी-ग्रेड कर रहे हो। यह डी-ग्रेड करते-करते कहां तक ले जाओगे? मुझे लगता है कि सरकार की मन्शा पूरी तरह एफएसएल रिपोर्ट से लेकर के संगीन जो जांचें हैं उनको अपने लोगों के द्वारा प्रभावित करके अपनों को बचाने की है। कल ही कांग्रेस विधायक ने जिस तरह से सरकारी अधिकारी को गालियां बकी हैं, यदि उसकी वीडियो रिपोर्ट की जांच कराओगे, वाइस जांच आप कराओगे नहीं क्योंकि उसको करना होगा तो फिर प्रभावित करोगे। यानी यह कहीं न कहीं आपके मन में खोट है। यदि आपके मन में स्पष्टता होती तो आप जरा विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं बढ़वाते, उनकी क्षमता बढ़वाते, उनके कोई लक्ष्य पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग करते, लेकिन 8 हजार से ज्यादा प्रकरण पड़े हैं और आप नींद में सोये हुए हो।

जांच के अभाव में पता नहीं आज कितने लोग सज़ा भुगत रहे हैं, जेलों में बन्द हैं, लेकिन उनकी चिन्ता नहीं है। मानव अधिकार वाले बात करते रहते हैं, लेकिन आपको उसकी चिन्ता नहीं है। फिंगर प्रिंटर के कहां-कितने पद जयपुर, जोधपुर इत्यादि लैब्स में खाली पड़े हैं और अभी जैसे जानकारी दी कि 11 पदों में से 9 पद खाली हैं, यदि मन्शा साफ है तो आप इन पदों को भरो, आप लैब्स बढ़ाओ, उनमें बुनियादी सुविधाएं बढ़ाओ ताकि लोगों को जांच मिल सके। यही नहीं, केवल उसको मैनिपुलेट करने का जो आपका स्वभाव है, जो आपका तरीका है वह अनुचित है।

केन्द्र सरकार ने भी 2005 में इसमें संशोधन किया था लेकिन उसके बाद 17 साल तक उनको भी नहीं कहा, क्योंकि पता है कि यदि जांच नीचे से जो आती है उसकी उच्च अधिकारी मॉनिटरिंग करके, उसके अनुसार रिपोर्ट करता है तो उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन आप यदि सारी रिपोर्ट में ही नीचे के लोगों को लगाओगे, जिसको, आप सरकारी अधिकारियों को प्रभावित कर सकते हो, तो ऐसे प्रभावित करने का तरीका मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है।

अत:, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि इस बिल को जल्दबाजी में लाया गया है या इसकी मन्शा ठीक नहीं है इसलिए इसकी मन्शा ठीक हो, सबके सुझाव आ सकें, इसके लिए आवश्यक है कि इसको तीन महीने के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।

श्री सभापति: श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): धन्यवाद, सभापति महोदय, आपने मुझे बिल पर बोलने का अवसर दिया। अभी जिस तरह से इस बिल पर चर्चा चल रही है, भारत सरकार के 1974 के केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2 की धारा 293 की उप-धारा (4) के विद्यमान खण्ड (छ) को संशोधित करने के लिए यह बिल लाया गया है। यदि इसके उद्देश्यों और कारणों की तरफ मैं गौर करूं तो लास्ट के उद्देश्यों में लिखा है- 'तदनुसार, ऐसे अन्य सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों, जैसाकि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे'। माननीय सभापति महोदय, मेरा सदन से, माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि जो राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा लाना चाहती है, गजट नोटिफिकेशन के द्वारा लाना चाहती है, केन्द्रीय बिल में उन वैज्ञानिकों की सूची दी गयी है कि किस-किस स्तर के वैज्ञानिक इसमें अपनी रिपोर्ट दे सकते हैं, तो उसी तरह से इस बिल में भी उनकी जो सूची है उसको आपको इन्क्लूड करना चाहिए था ताकि सदन को यह ज्ञात हो सके कि वे किस स्तर के अधिकारी हैं और आपकी उसके पीछे मन्शा क्या है क्योंकि, सभापति महोदय, जिस तरह से नेता, प्रतिपक्ष ने बात कही कि यदि ये रिपोर्ट्स ठीक प्रकार से नहीं आएंगी तो न्याय का हनन होगा और न्याय के हनन होने पर हम चाहते हैं कि प्रत्येक अपराधी को अन्दर डाला जाये और जो अपराधी नहीं है वह बचे, लेकिन इससे किस स्तर पर गड़बड़ी हो सकती है, इसका अन्दाजा आप स्वयं लगा सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से पदों की संख्या की बात कही गयी है, केसेज की संख्या की बात कही गयी है, उसमें 15 हजार के लगभग केस इन फोरेंसिक लैब्स में पेंडिंग हैं। अब पेंडिंग क्यों हैं? क्योंकि पद खाली हैं। जयपुर और जोधपुर में 11 में से 9 पद खाली हैं, सिर्फ 3 पद भरे हुए हैं। इसी तरह से यदि इन सरकारी विधि विज्ञान प्रयोगशाला और उनकी क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में जो पद सीधी भर्ती से भरे जाने हैं, यदि उन पदों को सीधी भर्ती से हम भर दें तो निश्चित रूप से जांच रिपोर्ट में जो देरी होती है वह देरी होना कम हो जायेगी और हम ठीक समय पर जांच रिपोर्ट दे पायेंगे। यदि ठीक समय पर जांच रिपोर्ट दे पायेंगे तो निश्चित रूप से न्याय मिलने में भी हमें आसानी होगी।

इसके अतिरिक्त एक और निवेदन करना चाहती हूं कि विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में जो प्रकरण जाते हैं वे प्रकरण एस.पी. स्तर के व्यक्ति के डी.ओ. लैटर से ही जाते हैं, लेकिन कई बार न्यायालय द्वारा भी आदेशित

(श्रीमती अनिता भदेल)

किया जाता है कि इसमें फोरेंसिक जांच कराकर आप प्रस्तुत करो और उस स्थिति में बहुत लम्बा प्रोसेस हो जाता है, जिसके कारण से न्याय नहीं मिल पाता। बहुत लम्बा प्रोसेस होने की वजह से साल, दो साल, तीन साल, चार साल उसी में निकल जाते हैं।

माननीय सभापति महोदय, एक निवेदन करना चाहूंगी कि यह 1973 का एक्ट है उसकी धारा 4 का जो 45 सेक्शन है, जिसमें एविडेंस एक्ट के तहत विशेषज्ञों की राय सुसंगत होने का प्रावधान है। इस धारा में विशेषज्ञ का सरकारी होना आवश्यक नहीं है तो न्यायालयों की दृष्टि में धारा 45 जो एविडेंस एक्ट के प्रावधान मान्य हैं, पुलिस अनुसंधान में सरकारी विशेषज्ञों के अतिरिक्त अन्य किसी की राय भी मानी जाती है जबकि विशेषज्ञों को न्यायालय में उपस्थित होकर अपने द्वारा दी गयी राय को साबित करना होता है। विशेषज्ञों से प्रतिरक्षा में प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं तो नेशनल इंस्टीट्यूट आफ क्रिमिनोलॉजी एण्ड फोरेंसिक साइन्स, नई दिल्ली, जो केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है, ऐसी संस्थाओं से जिन लोगों ने डिप्लोमा, डिग्री की है या कोर्सेज किये हैं, उनको इस अनुसूची में शामिल करते तो निश्चित रूप से उसकी वैलिडिटी बनी रहती है, अन्यथा उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होगी।

इसी प्रकार से, माननीय सभापति महोदय, इस प्रकरण से सम्बन्धित कुछ विषयों की ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। कई अनुसंधान अधिकारी हैं, वे हस्तलेख व फिंगर प्रिंट के मामले में फोरेंसिक जांच कराये बिना ही नतीजा दे देते हैं। विशेष रूप से जिन मामलों में हत्या हो चुकी है, व्यक्ति मौजूद नहीं है, उसका अंगूठा निशानी लेनी है, लेकिन उसकी मृत्यु हो चुकी है, ऐसी स्थिति में फोरेंसिक जांच कराये बिना निर्णय दे देते हैं तो कई बार गलत निर्णय भी हो जाते हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि फोरेंसिक जांच को नहीं देने के पीछे कारण यह है कि उसमें वैसे ही पहले से पेंडेंसी बनी रहती है और यह और लैन्दी हो जायेगा, इसलिए उस ओर नहीं भेजते हैं। मेरा निवेदन है कि ऐसी प्रक्रियाओं में यदि सम्बन्धित व्यक्ति है, मृत व्यक्ति के पूर्व के किये गये, जो विवाद रहित हस्ताक्षर हैं, उन हस्ताक्षर को भी लेकर के हम उसकी जांच कराकर उसमें कर सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि बजट घोषणाएं बहुत होती हैं। हर वर्ष बजट घोषणाएं होती हैं। वर्ष 2020-21 के

(श्रीमती अनिता भदेल)

बिन्दु संख्या 188 पर राज्य सरकार ने, माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की कि जयपुर में डीएनए टेस्ट की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी और साथ में अगले द्वितीय चरण में डीएनए टेस्ट क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अजमेर में प्रारम्भ किया जायेगा। अब ये दूसरा चरण भी आ गया, लेकिन कहीं कोई अता-पता नहीं है। डीएनए लैबोरेटरी का तो आप प्रश्न का उत्तर देते समय, जो आपने घोषणाएं कीं, यदि इसको स्ट्रेन्थन करना चाहते हैं, क्षमतावर्धन करना चाहते हैं, केस की पेंडेंसी को कम करना चाहते हैं तो सीधे-सीधे मेरा निवेदन है कि उन पदों को भरा जाये, जो खाली पद हैं। उनकी क्षमताओं का विस्तार किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, जब हम महिलाओं के अपराधों की बात करते हैं तो अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, मैं भी यही पाइन्ट लिखकर लायी थी कि 300 प्रकरण पॉक्सो एक्ट के ऐसे हैं जो फोरेंसिक जांच के कारण से लम्बित पड़े हैं। पॉक्सो एक्ट में हमें जल्दी चालान प्रस्तुत करना होता है, उसकी अवधि फिक्स है, ऐसी स्थिति में जब अवधि फिक्स है और फोरेंसिक जांचें तीन-तीन, चार-चार, पांच-पांच सालों से पेंडिंग होती हैं तो महिला को कैसे न्याय मिलेगा? एक तरफ तो आप कहते हैं कि पॉक्सो एक्ट के तहत हमको शीघ्र चालान प्रस्तुत करना है और दूसरी तरफ आपकी लैब्स से जांच होकर के नहीं आ रही है। माननीय मंत्री महोदय, 300 मामले इनको आप दिखवाओ, क्योंकि राजस्थान में रोज लगभग 16 बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने पिछले बजट भाषणों में घोषणा की, इस बार के बजट भाषण में भी घोषणा की कि हम साइबर अपराध को रोकने के लिए साइबर थाने खोलेंगे। अब साइबर थाने यदि आप खोलते हो तो जो पेंडेंसी अभी हमारे उप नेता महोदय बता रहे थे, 15000 के आसपास पेंडेंसी है, यदि सम्भाग की क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की भी पेंडेंसी को जोड़ दिया जाये, ऐसी स्थिति में ये जो फोरेंसिक साइन्स के मामले हैं, वे और बढ़ेंगे। ऐसी स्थिति में जब और बढ़ेंगे तो हमारे पास तो पहले से ही इतनी पेंडेंसी है, यदि और बढ़ेंगे तो उसको हम कैसे खतम करेंगे? हम खोलते तो नये-नये जा रहे हैं, लेकिन वे पद जिनको यहां रहना जरूरी है और उनमें से हम पेंडेंसी कम कर सकते हैं, वे पद भरने की ओर हमारा कोई ध्यान नहीं है। इसलिए इम्पॉर्टेंट बात यह है, उन पदों को भरा जाना चाहिए।

(श्रीमती अनिता भदेल)

इसी के साथ में अपनी बात को पूरा करते हुए वापस माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करती हूं कि ये बहुत ही सेंसेटिव विषय है इस पर इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इस बिल को जनमत जानने के लिए एक माह के लिए परिचालित किया जाये, ताकि आने वाले समय में जो कानून की धाराएं बनी हुई हैं, उन कानून की धाराओं में अपराधियों को सज़ा मिल सके, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सतीश पूनियां (अनुपस्थित)। श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आदरणीय सभापति महोदय, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आफ कंडक्ट की धारा 293 में प्रस्तावित संशोधन अनावश्यक है। अधिनियम और नियमों को बार-बार संशोधित करना, उन्हें काम्प्लिकेट करता है, बार-बार अमेंडमेंट्स से जनता में भ्रम उत्पन्न होता है और कोर्ट में आर्ग्युमेंट प्रोसेस में भी देरी होती है।

माननीय सभापति महोदय, मैं बस 2 मिनट में ये रीड करना चाहूंगी कि क्या कारण बताया गया इस संशोधन को लाने के लिए, न्यायालय द्वारा ऐसे विशेषज्ञों को सम्मन किया जाता है और रिपोर्ट की विषय-वस्तु के बारे में उनका परीक्षण भी किया जाता है। वर्तमान में, ऐसे विशेषज्ञों की कमी से न्याय में विलम्ब होता है। ऐसा महसूस किया गया है कि उप-धारा (4) में सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की सूची परिपूर्ण नहीं है और न्यायालय की कार्यवाहियों में वैज्ञानिक विशेषज्ञों की मांग को पूरा करने के लिए उनकी पर्याप्त संख्या में आवश्यकता है।

तद्नुसार, ऐसे अन्य सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों, जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, के लिए उपबन्ध करने हेतु धारा 293 की उप-धारा (4) के विद्यमान खण्ड (छ) को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

माननीय सभापति महोदय, पहले तो जो संशोधन लाया गया है और जो आपने कारण बताया है, दोनों अलग-अलग बातें हैं। संशोधन में आपने यह बताया है कि आपकी जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की कमी है, वह पूरी करने के लिए आप यह संशोधन ला रहे हैं, लेकिन उस कमी को पूरा करने के लिए, उनकी नियुक्ति करने के लिए आपको संशोधन लाने की जरूरत नहीं है।

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

माननीय सभापति महोदय, इस संशोधन के कारणों में राज्य सरकार ने यह भी नहीं बताया कि ऐसी क्या विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हो गयीं जिसके लिए सीआरपीसी में संशोधन की आवश्यकता है? यदि संशोधन नहीं किये जायें तो उसके क्या दुष्प्रभाव होंगे? यह जानने का भी जनता को अधिकार है।

माननीय सभापति महोदय, सीआरपीसी की धारा 293 में सिर्फ पुलिस प्रशासन को असाधारण शक्तियां प्रदान करना है। इस धारा से जो एविडेंस दिये जायेंगे, वे कोर्ट को अन्डर ओथ पेश नहीं किये जायेंगे, उनको शपथ के अन्दर नहीं दिया जायेगा, जिससे कि उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन करने में दिक्कत आयेगी। अगर आप इसको धारा 273 के अन्तर्गत, ये एविडेंस दिये जायें तो उनको शपथ में देना आवश्यक होगा। अगर धारा 273 के अन्तर्गत राज्य किसी भी एक्सपर्ट रिपोर्ट को, उसकी ओपिनियन को एविडेंस के रूप में कोर्ट में प्रस्तुत करती है तो वह अन्डर ओथ में जायेंगे, जिससे कि क्रॉस एग्जामिनेशन से लोगों को यह सुविधा मिलेगी कि वे उसको चैलेंज कर सकें।

सभापति महोदय, राज्य सरकार प्रस्तावित अमेंडमेंट के द्वारा केवल नोटिफिकेशन से फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के विशेषज्ञों को स्पेसिफाई करने का अधिकार ले रही है। इन विशेषज्ञों की योग्यता, अनुभव, निष्पक्षता आदि के बारे में कोई शर्त नहीं रखी गयी है, इसलिए प्रावधान का दुरुपयोग किया जा सकता है। ऐसे एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स को, उनकी ओपिनियन को कोर्ट के अन्दर प्रभावित पक्ष द्वारा चुनौती देने के कारण जजमेंट में भी देरी हो सकती है।

माननीय सभापति महोदय, संविधान का आर्टिकल 21 यह कहता है कि प्रत्येक नागरिक को अपने जीवन की रक्षा और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने का अधिकार दिया गया है। प्रस्तावित अमेंडमेंट के द्वारा दिये जाने वाले एविडेंस शपथ पर नहीं दिये जायेंगे, न ही उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। इस आर्टिकल 21 में दिये गये अधिकारों को भी सीमित करेगा। इस कारण से कोर्ट में अनावश्यक विवाद बढ़ेंगे और न्याय प्रक्रिया में देरी होगी।

विगत 50 वर्षों से इन अमेंडमेंट्स के बिना कार्य चल रहा था। अभी ऐसी कोई असाधारण परिस्थितियां नहीं दिख रही हैं, जिसके कारण से इसे अमेंड करना आवश्यक हो। यह अमेंडमेंट अनावश्यक न्याय प्रक्रिया में विलम्ब करने वाला और प्रशासन को असाधारण शक्तियां देने वाला है।

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

अत: मैं सदन से इसे अस्वीकार करने का अनुरोध करती हूं। इस बिल को 6 माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये।

श्री सभापति: श्री हमीर सिंह भायल (अनुपस्थित)। श्री गोपी चन्द मीणा।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): धन्यवाद, सभापति महोदय, दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2022 पर बोलने का मौका दिया। यह बिल सरकार के द्वारा जल्दी में लाया गया है। एफएसएल की जांच रिपोर्ट समय पर नहीं आने से प्रदेश के प्रकरणों की समय-सीमा निर्धारित होनी चाहिए। समय पर जांच नहीं होने से अपराधी खुले में घूमते रहते हैं। अत: सरकार से मेरा अनुरोध है कि समय-सीमा तय की जानी चाहिए और लैब में जो रिक्त पद हैं, उनको भरना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सीआरपीसी की धारा के बारे में बताना चाहता हूं कि प्रदेश में अनेक प्रकरण 10 से 12 साल से लम्बित हैं। पुलिस थाना कोटड़ी में मुकदमा नम्बर 104/210, मुकदमा नम्बर 145/2015, अपराधी खुले आम घूम रहे हैं, हिस्ट्रीशीटर हैं, उन पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। माननीय न्यायालय द्वारा जुर्म प्रमाणित होने के बाद भी वे अपराधी घूम रहे हैं। पुलिस का संरक्षण, प्रदेश की सरकार भी उनको संरक्षण प्रदान कर रही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए इस बिल में संशोधन करना चाहिए, जोड़ना चाहिए, समय-सीमा निर्धारित हो।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार द्वारा इस बिल को जल्दी में लाया गया है। 6 माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये।

श्री सभापति: श्री ज्ञानचंद पारख।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय जो बिल लेकर आये हैं दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2022, मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार की इसके पीछे मंशा क्या है। कहते हैं न सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है। उद्देश्य कुछ और बतायेगी पर सरकार इसके माध्यम से क्या करेगी, इसकी नीयत पर बहुत संशय है। कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। अपनी मनमाफिक जांच

(श्री ज्ञानचंद पारख)

रिपोर्ट मिल जाये, इसकी सम्भावना इस बिल के बाद बहुत बढ़ जायेगी और, माननीय सभापति महोदय, न्याय दिलाने में इस फोरेंसिक जांच की बहुत महती भूमिका है और ऐसी जांच में भी हमने उस स्तर के वैज्ञानिक को यह जांच दे दी कि जिसके ऊपर कहीं न कहीं कोई न कोई प्रश्नवाचक चिह्न हमेशा खड़ा रहता है कि वह सरकार के इशारे पर काम करेगा या वास्तविकता में जो रिपोर्ट उसको देनी है वही रिपोर्ट देगा। यह डीग्रेड करने का कोई तुक वर्तमान में नजर नहीं आता, इसको तो आपको और परफैक्ट करना चाहिये कि इतनी बारीकी से इतने परफैक्ट व्यक्तियों द्वारा ही यह जांच हो, ताकि कोई भी दोषी बचे नहीं और कोई भी निर्दोष अनावश्यक ही कहीं फंस नहीं जाये।

माननीय सभापति महोदय, इसके पीछे जो सरकार ने मंशा बताई है कि पेंडेंसी बहुत ज्यादा है, तो पेंडेंसी कम करने के लिए क्या प्रावधान किए जा सकते हैं, वो प्रावधान करो न आप, कौन मना करता है आपको। आपके जो खाली पद पड़े हैं, उन पदों को हम भर देंगे न तो भी आपकी पेंडेंसी कम हो जायेगी। वहां जो-जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति कर देंगे, उससे भी पेंडेंसी कम की जा सकती है लेकिन जांच का स्तर घटा कर पेंडेंसी को कम करना, यह कहीं न कहीं न्याय के सामने हम अपने आपको उससे भी ताकतवर बताने की बात कर रहे हैं और, माननीय सभापति महोदय, सरकार की मंशा होती न अपराध को कम करने की, अंकुश लगाने की तो यह राजस्थान देश में पहले नम्बर पर नहीं आता अपराध के क्षेत्र में। राजस्थान पहले नम्बर पर अपराध के क्षेत्र में आया है तो कहीं न कहीं इसमें सरकार की भूमिका है और सरकार अब भी चाहती है कि किसी अपराधी को यदि बचाना है तो वह डोर भी हमारे हाथ में आ जाये कि हम जिसको चाहें उसको बचा दें।

मेरा आग्रह रहेगा सरकार से, पहले ही बहुत बदनाम हो चुके हैं, अपराध पहले ही बहुत बढ़ चुके हैं और पहले भी बड़ेबड़े सख्त से सख्त कानून बने हैं, चाहे भारत सरकार ने बनाये और चाहे स्टेट गवर्नमेंट ने, कहीं अपनी ओर से प्रावधान है तो उसमें कोई छोटा-मोटा परिवर्तन किया है और आपने देखा होगा कि निर्भया हत्याकांड के बाद में दुष्कर्म के क्षेत्र में इतने कठोर कानून बनाये, पर उसके बावजूद भी राजस्थान में दुष्कर्म की घटनायें एक के बाद लगातार होती जा रही हैं और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, तो यह कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। आप जो पहले से व्यवस्था है, उस व्यवस्था को मेहरबानी करके परफैक्ट करो और उसको और बेहतरीन बनाने के लिए आप कोई सुविधा दे सकते हो तो वह दो।

(श्री ज्ञानचंद पारख)

मेरा आग्रह रहेगा सरकार जल्दबाजी नहीं करे, कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करे, कानून को अपने हाथों की कठपुतली नहीं बनाये और इस बिल को जनमत जानने के लिए तीन महीने के लिए आप परिचालित कर दो। उसके बाद में जनता से जो भी आता है वह आप कर देना, कौन मना करता है आपको। इतना ही मेरा कहना है।

श्री सभापति: श्री अविनाश (अनुपस्थित)। श्री बलजीत यादव (अनुपस्थित)। श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने जो बात कही है, उसमें अपने आपको समाहित करते हुए मैं राजस्थान की सरकार की मंशा को जाहिर करना चाहता हूं।+++

श्री सभापति: माननीय सदस्य, यह उस पर चर्चा नहीं हो रही है। पूरी तरह कन्फाइन करें बिल पर, इस पर आप क्या संशोधन दे रहे हैं।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): हां, मैं बिल की बात कर रहा हूं।

श्री सभापति: नहीं-नहीं, बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा। कोई अंकित नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: आप बिल की बात करिये। इतना बड़ा स्कोप तो है ही नहीं इसमें। अकारण उत्तेजना पैदा मत करिये आप। कोई अंकित नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: बात सिर्फ बिल पर कन्फाइन करेंगे तो सुनूंगा वरना मुझे दूसरा नाम पुकारना पड़ेगा। बिल पर करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: नहीं-नहीं, सीधा आइये आप। इसमें यह कमी है, इस पर सीधे-सीधे आइये। माननीय उप नेता महोदय, अपने लोगों से कहिये दूसरे बिल में ज्यादा लोग बोलने वाले हैं, सीधे-सीधे बिल पर आ जायें वो।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: यह जो कुछ भी पहले कहा था न, वह कोई अंकित नहीं होगा। हां बोलिये आप।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): क्या, अंकित ही नहीं होगा।

श्री सभापति: बिल के अलावा कुछ भी अंकित नहीं होगा, सिर्फ बिल पर जो भी अमेंडमेंट है वह ही अंकित होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मैं बिल पर बोल रहा हूं।

श्री सभापति: हां, बिल पर बोलें आप।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, मैं इतना निवेदन कर रहा हूं कि जो बिल लाया जा रहा है न इसमें कहीं न कहीं गड़बड़ है, संशोधन लाना था तो यह लाते कि प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ायेंगे, खाली पद पड़े हैं उनको भरेंगे, ताकि जो पेंडिंग जितने भी मामले हैं उनका निस्तारण जल्दी होगा, जल्दी लाभ मिलेगा लेकिन यह सरकार घबरा गयी है +++ इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को तीन महीने के लिए परिचालित किया जाए जनमत जानने के लिए।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय सभापति महोदय, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 2022 पर मुझे बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, मैं तो ज्यादा लम्बी-चौड़ी बात नहीं कहूंगा, राज्य सरकार जिस मंशा के साथ बिल लेकर के आयी है उसमें सारे साथियों का एक कोमन प्रश्न यह आया है कि राज्य सरकार किस स्तर के अधिकारी को अधिसूचित करेगी, वह सदन में क्लियर कर दे जिससे लोगों को यह पता चले कि इस स्तर के अधिकारी जांच में प्रस्तुत होंगे। नम्बर-2 बात, एफएसएल रिपोर्ट में तेजी लाने के लिए आप कदम उठा रहे हैं तो इसके साथ-साथ जो पद खाली हैं विभिन्न लैबों में, वो सारे पद भरने का आप काम करवायेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, आदर्श नगर से आने वाले माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री सभापति: यहां सिर्फ अब आपकी ही कमी बाकी रही है। आप इधर पधार जाओ। (व्यवधान)

श्री बलवान पूनियां (भादरा): दूसरी बात, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और सीआरपीसी में एक धारा-41ए... (व्यवधान)

श्री सभापति: दोस्तों का मिलन जब तक नहीं होगा तब तक हाउस में ...(व्यवधान)

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सीआरपीसी की धारा-41ए यह बात कहती है कि 2010 में एक संशोधन हुआ था, जिस संशोधन में यह लिखा दिया गया कि गैर जरूरी गिरफ्तारी पर रोक का प्रावधान किया है। सात साल से ज्यादा सज़ा और सात साल से कम सज़ा के मसलों में थानेदार के विवेक पर छोड़ दिया। इसलिए मैं राजस्थान सरकार से मांग करना चाहता हूं कि सीआरपीसी की धारा-41ए में संशोधन करें और यह थाने में लिस्ट हो कि इन-इन मुकदमों में आप इसको बैठा सकते हो, इस मुकदमे में आप इसकी गिरफ्तारी नहीं कर सकते। यह जो धारा-41ए है इसका कोई वर्जन स्पष्ट नहीं है। इससे पुलिस इसका दुरुपयोग भी कर लेती है और कई बार लोगों के मांग करने के बावजूद भी पुलिस धारा-41ए की आड़ में छिप करके मुलजिम को छोड़ देती है। 498 के दावे इसलिए ज्यादा बढ़े हैं, पहले यह होता था कि 498 की एप्लीकेशन थाने में आती, एसएचओ बुलाता सम्बन्धित पार्टी को, लड़के और लड़की की बैठकर बात कराता। लड़का थोड़ा बहुत गड़बड़ करता तो थानेदार उसको रात-रात बैठा लेता, सुबह तक वह ठीक हो जाता। अस्सी फीसदी मामले निपट जाते। अब उसको धारा-41 का नोटिस देकर के छोड़ देते हैं, जिससे लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है, इसलिए सीआरपीसी में यह संशोधन राजस्थान की सरकार करे और इसके अनुचित दुरुपयोग को रोकने का काम करे।

मैं आज इस संशोधन पर मेरे दिये हुए जनमत जानने के प्रस्ताव को वापस लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह पास हो।

श्री सभापति: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (अनुपस्थित)। श्री गुलाब चन्द जी कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, आप और हम सबने जब पढ़ा तो ऐसा लगा कि बहुत छोटा सा अमेंडमेंट है। 1973-74 के कानून में आज 2022 में इसको आवश्यक समझ रहे हैं कि इसमें परिवर्तन होना चाहिये क्योंकि इससे, जिसके लिए दंड प्रक्रिया में अपन परिवर्तन करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सज़ा दिला सके। मंशा तो बहुत अच्छी है लेकिन इतने साल बाद अचानक इस प्रकार का अमेंडमेंट लाना, यह कोई सोची समझी चाल है। सरकारें आती रहेंगी, सरकारें जाती रहेंगी, कौन बनेगा, कौन रहेगा, लेकिन आप कानून में इस प्रकार का अमेंडमेंट करके कानून की धज्जियां उड़ाने का काम करने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं।

दंड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2022, यह विधेयक

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

राजस्थान प्रदेश के दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में संशोधन कर लागू करने के संबंध में है। इस विधेयक के द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 293 की उप-धारा 4 के खण्ड 6 में अभिव्यक्ति, अब तक कानून में इतना था 'केन्द्रीय सरकार' के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति 'द्वारा, अधिसूचना द्वारा' से पूर्व, अभिव्यक्ति 'या राज्य सरकार' अन्तःस्थापित किये जाने का प्रस्तावित करती है। वहां केन्द्र सरकार लिख रहा है, उस कानून में राज्य सरकार भी लगाने का अधिकार लेना चाहती है।

मैं सोचता हूं कि कानून में अमेंडमेंट कितना है, केवल (छ) में जो पहले था, कोई अन्य सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ, जो इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो। पहले उनको इससे अतिरिक्त भी लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने एक अधिकार ले रखा था। कम से कम आप अपने विभाग से पूछ कर बताओ, इस केन्द्रीय सरकार ने कब-कब इस कानून का उपयोग किया, ताकि कम से कम यह ध्यान में तो आये कि वास्तव में केन्द्र सरकार को बने हुए 1973 से लेकर अब तक लगभग 48-50 वर्ष हो गये, कब-कब इस कानून का सहारा लेना पड़ा? अब आप क्या जोड़ रहे हो, कोई अन्य सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ, जो इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जायेगा, इसको आप जोड़ना चाह रहे हो।

आपने हम सब लोगों को खुश करने के लिए और राजस्थान की जनता को खुश करने के लिए जो उद्देश्य और कारणों का कथन किया है, वर्तमान में ऐसे विशेषज्ञों की कमी से न्याय में विलम्ब हो रहा है। न्याय में विलम्ब हो रहा है, किसके कारण से, विशेषज्ञ नहीं हैं। मैं आपको अपनी शक्ल दिखाना चाह रहा हूं कि हम लिखते क्या हैं और करते क्या हैं। यह है आपके राजस्थान विधि विज्ञान निदेशालय में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण। इसमें डायरेक्टर का एक पद है, आप जवाब देते समय बताना, कब से खाली पड़ा है? जिस विभाग का डायरेक्टर नहीं हो, उस विभाग का भगवान मालिक होता है और एक-दो दिन से नहीं, पिछले दो-ढाई साल से डायरेक्टर नहीं है। आपके अतिरिक्त निदेशक के 4 पद हैं, उसमें से 2 खाली हैं। उप निदेशक के 5 में से 1 पद खाली। सहायक निदेशक के 9 पद खाली हैं। वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी 77 में से 44 खाली हैं। वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 43 में से 27 खाली हैं। कनिष्ठ वैज्ञानिक विशेषज्ञ के 96 में से 33 खाली हैं। सभापति

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस डिपार्टमेंट का बंटाढार कर रखा है। कुल 421 पद हैं, यह सब मैं वैज्ञानिक ही वैज्ञानिक ही बता रहा हूं, बाकी लोगों के पद खाली हैं तो वह कुछ दिन देर से भरेंगे तो चल जायेगा, परन्तु जिनको इस प्रकार के टेस्ट करके रिपोर्ट देनी है, उनके 421 पद स्वीकृत हैं, उसमें से केवल 226 आज काम कर रहे हैं और 195 पद आज की तारीख में रिक्त हैं। यह जो उद्देश्यों में इतना बढ़िया शब्द लिखा कि वर्तमान में ऐसे विशेषज्ञों की कमी से न्याय में विलम्ब हो रहा है, यह तो हमारे कर्मों के कारण से हो रहा है, इस बिल के कारण से कहां से हो रहा है?

दूसरा, भगवान के लिए मेहरबानी करो यह यूनिट इतनी मजबूत है, इसके वैज्ञानिक अन्वेषण और इसकी एविडेंस को, सारी एविडेंस पक्षद्रोही हो जाने के बाद भी उस अपराधी को दंड मिलता है, राजस्थान में ऐसे एक नहीं, अनेक केस हैं। यहां तक कि मर्डर में भी हमारी एवीडेंस ने उसको सज़ा दिलाई। मैं ऐसे कई केसेज का वर्णन कर सकता हूं, जिसके बारे में सब प्रकार के एवीडेंस गलत हो गये, उसके बाद भी हमारी फोरेंसिक लैब के उस विशेषज्ञ के कारण से उसको फांसी की सज़ा मिली। इतनी बढ़िया यूनिट होते हुए भी, अब हमारी दुर्गति क्या हो रही है? आपसे और विभाग के अधिकारियों से मेरी प्रार्थना है, भगवान के लिए अगर इस अपराध पर काबू करना चाहते हो, अगर इन नाबालिग बच्चियों के साथ, जो 7-7 साल और 3-3 साल की बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, उस रेप का अगर सही इलाज कहीं है तो वह इस फोरेंसिक लैब में है, जिससे तीन महीने में उसको उलटा लटकाया जा सकता है, परंतु हमने इस लैबोरेटरी को डम्प कर दिया। आपकी 2017 में 4612 की केस पेंडेंसी थी, 2018 में यह बढ़कर 9947 हो गई। फिर 2019 में 14141 की पेंडेंसी हो गई, फिर 2020 में 15740 हो गई और आज 2021 में पेंडेंसी पहुंच गई है 19546, यह तो हमारी दशा है। आप कह रहे हो कि हम छोटा सा परिवर्तन ला रहे हैं। जिसको चाहो उसको फंसाओ, जिसको चाहो उसको निकालो, यह मंशा लेकर कानून बनाने का जिसने भी दिमाग लगाया, मैं सोचता हूं यह दुर्भाग्यशाली होगा। आने वाला इतिहास आप लोगों को इस बारे में कभी माफ नहीं करेगा।

इसमें और लिखा है, राज्य सरकार ने महसूस किया कि उप-धारा 4 में वर्णित वैज्ञानिक विशेषज्ञों की सूची पूर्ण नहीं है और ऐसी सूची में प्रस्तावित संशोधन द्वारा राज्य सरकार अन्य विशेषज्ञों को भी अधिसूचित करने की

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

शक्तियां रखती है। इसका मतलब हेर-फेर करने का दिल में, दिमाग में रात को कहीं सपना आया होगा कि इसमें भी कुछ घुसा जाय, तो उसमें घुसने के लिए आप यह लाये हो।

मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो कानून है, उस कानून में धारा 293 की उप-धारा 4 में निम्नलिखित सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ के संबंध में लागू है, अर्थात् सरकार का कोई रासायनिक परीक्षक या सहायक रासायनिक परीक्षक, मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, अंगुली छाप, कार्यालय निदेशक, संस्थान, मुम्बई, किसी केन्द्रीय न्याय संबंधी विज्ञान प्रयोगशाला या किसी राज्य न्याय संबंधी विज्ञान प्रयोगशाला का निदेशक, उप निदेशक या सहायक निदेशक, किसी भी राज्य का, इसके लिए अधिकृत है। सरकारी सीरम वैज्ञानिक इसके लिए अधिकृत है। केन्द्रीय सरकार के साथ आप अपना यह अधिकार लेने का प्रयत्न कर रहे हो।

मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस प्रकार कानून की धज्जियां उड़ाने का जो काम आप कर रहे हो, मैं सोचता हूं कि इसमें आपकी मंशा मुझे ठीक नहीं लग रही है। कारण क्या है कि यह जो कानून आप बदलोगे, इस बदले हुए कानून के लिए आपको राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है, तभी जाकर इस कानून को आप जिस रूप में चाहते हो, उस रूप में कर सकते हो।

मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस रीट की जांच को सफलता की ओर अगर कोई ले गया, गंगापुर में जो पहला व्यक्ति पकड़ा गया था, उस पहले व्यक्ति के मोबाइल को हमारी एफएसएल यूनिट ने खोलकर उन सारे अपराधियों की लाइन को बता दिया, जिसके कारण से आपकी यह रीट खुली है। अगर आपकी यह जांच सही नहीं हो पाती तो यह रीट दफन हो जाती। मैं सोचता हूं इसका श्रेय अगर किसी को है तो वह फोरेंसिक लैब को है।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय सभापति महोदय, इतना एप्रीसिएशन माननीय नेता, प्रतिपक्ष दे रहे हैं, यह सीबीआई की मांग करते वक्त देते तो शायद हमारे सदन का कई दिन का समय खराब नहीं होता।

(समय: 14.00 बजे)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आपके इस विद्वतापूर्ण सुझाव के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। भगवान के लिए कानून का कचरा

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मत करो। आज तुम हो, कल हम नहीं रहेंगे, लेकिन इस कारण से आने वाली पीढ़ियां, अगर आप राजनीतिक दखलंदाजी के आधार, कम से कम यह तो सूची में लिख देते कि कौनसे वैज्ञानिक को जोड़ना चाहते हो। क्या मर्जी चाहे उसको वैज्ञानिक बना देंगे?

सभापति महोदय, मैं सदन में सभी माननीय सदस्यों से विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं कि आज कौन है और कल कौन रहेगा, यह पता नहीं है। अगर आप इस फोरेंसिक लैब को स्ट्रेन्थन करेंगे तो मेरी गारन्टी है कि हमारे यहां पर वैज्ञानिकों ने जिस प्रकार से परीक्षण करके रिजल्ट दिया है, क्योंकि यह विभाग मेरे पास भी रहा है, मैं सोचता हूं कि अरोड़ा जी के जाने के बाद इस प्रकार का कोई कॉम्पीटेंट व्यक्ति आज दिन तक हम नहीं ढूंढ पाये, जिससे इसको स्ट्रेन्थन किया जाये। आप दखलंदाजी के आधार पर न्याय का गला घोंटना चाहते हो तो यह आपकी मंशा है।

मैं सोचता हूं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और जिसमें अपन संशोधन करके 'राज्य' जोड़ना चाह रहे हैं, कम से कम जवाब देते समय बतायें कि कब-कब केन्द्र सरकार के किस व्यक्ति ने अपनी तरफ से किस साइंटिस्ट को लगाकर उस कानून की धज्जियां उड़ायी हैं, उसके आधार पर देखो। 1973 का कानून है और आप आज 2022 में जाकर बदलने जा रहे हैं, इसका मतलब है कि अभी जो कैम्पबाजी हुई है, उस कैम्पबाजी में जो कुछ भी हुआ, उसको किस तरह से ठीक किया जाये और किस तरह से दबाया जाये, किसको मौके पर दबाओ और किसको वापस तैयार कर दो। इस नाटकबाजी में, राज बचाने के खेल में करना चाहते हैं, इसका परिणाम राजस्थान की 7 करोड़ जनता भुगतेगी। इसको समझो, कानून छोटा भले ही हो सकता है पर यह इतनी दूरगामी मार करेगा कि आने वाली पीढ़ियां आपको और मुझे याद न करे तो याद रखना।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्री।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, लीगल इश्यूज के समाधान के लिए कोर्ट्स के द्वारा साइंटिफिक एक्सपर्ट्स के एविडेंस को ही रिलेवेंट माना गया है। मोटे तौर पर उन्हीं की रिपोर्ट पर ही कोर्ट विश्वास करती है और विश्वास से ही कोर्ट अपना फैसला देती है। किसी केस की जांच चल रही है, ट्रायल चल रही है या दूसरी तरह की प्रोसीडिंग चल रही है तो कोर्ट उन्हें समन करता है

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

और समन करके एवं उनको बुलाकर उनकी बात सुनता है, सुनकर हस्ताक्षर करके उस बात को एडमिट करता है और वह चीज रिलेवेंट मानी जाती है। लेकिन ऐसे विशेषज्ञों की कमी के कारण ही फैसलों में देरी होती है।

यह मेरा ख्याल है कि जितने भी हमारे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य थे, उन सब ने माना कि देर होती है। पेंडिंग पड़े हुए हैं, 15 हजार पड़े हुए हैं, तीन सौ पड़े हुए हैं, चार सौ पड़े हुए हैं, इस तरह की फिगर आपने दी। सही दी है। ठीक है। किस वजह से दी है, यह भी तो देखिये। अगर हमारे पास पूरे के पूरे साइंटिस्ट हैं और कोर्ट उनको बुलाता है और बुलाते ही वे हाजिर हो जाते हैं, वे तारीख नहीं बदलवाते तो फिर निश्चित तौर पर फैसले भी जल्दी होते हैं।

ये सारी जो कवायद है, वह सिर्फ इसलिए है कि जांचें फास्ट हों। अदालत में ज्यों ही किसी साइंटिफिक एक्सपर्ट को बुलाया जाये तो वह फौरन हाजिर हो और हाजिर होकर अपनी रिपोर्ट पेश करे, जिससे वह एविडेंस में जुड़े। सरकार जिनको नोटिफाई करती है, वही जाकर अपनी रिपोर्ट को एविडेंस में ला सकते हैं। यह प्रावधान हम इसलिए लेकर आये हैं कि हम इस कमी को दूर करना चाहते हैं तथा केन्द्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार का शब्द इसलिए जोड़ना चाहते हैं कि अन्य सरकारी साइंटिफिक एक्सपर्ट को नोटिफाई कर सकें, ताकि जांच रिपोर्ट जल्दी मिल सके और न्याय में विलम्ब न हो।

सवाल यह आता है कि आपने बार-बार यह बात कही कि मंशा ठीक नहीं है, तो फिर मंशा क्या है? क्या बेईमानी करने की मंशा है? क्या हमारी मंशा यह है कि हम किसी भी आदमी हो उठाकर वहां पर डाल देंगे? मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूं कि केन्द्र सरकार के द्वारा जिस तरह के लोग आज तक नोटिफाई हुए हैं, उन्हीं के समकक्ष लोगों को नोटिफाई किया जायेगा। किसी ऐरे-गैरे को नहीं किया जायेगा। जो पूरा क्वालिफाइड आदमी होगा उसी को नोटिफाई किया जायेगा। यह चीज तो फिर भी विधान सभा के पटल पर आ सकती है कि किसको नोटिफाई किया है और किसको नहीं किया है? आप सवाल उठा सकते हैं कि यह एक्सपर्ट नहीं है, आपने इसको कैसे नोटिफाई किया? खण्ड-जी में जो राज्य सरकार का शब्द जोड़ रहे हैं, उसका प्रावधान इसलिए कर रहे हैं कि साइंटिफिक एक्सपर्ट जो केन्द्र के साथ-साथ बने हुए हैं, उन्हीं के साथ जोड़ दिया जाये।

प्रतिपक्ष के नेता महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप तो स्वयं होम मिनिस्टर रहे हैं, आप 2017 को याद कीजिये। 2017 में आप

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

ही इसमें अमेंडमेंड लेकर आये थे। आपने अभी भाषण में यह कह दिया कि केन्द्र सरकार ने 1973 से लेकर आज तक अमेंडमेंड नहीं किया और आपको अमेंडमेंड करने की जरूरत क्या पड़ रही है? आपने एक छोटा-सा वर्ड जोड़ा था। क्या आपको याद है? सिर्फ छोटा-सा वर्ड जोड़ा था-एडिशनल डायरेक्टर। डिप्टी डायरेक्टर जोड़ रखा था, डायरेक्टर जोड़ रखा था, आपने एडिशनल डायरेक्टर जोड़ा था। आप यह अमेंडमेंड लेकर आये थे। आप शायद उसको भूल रहे हैं। यह रिकार्ड पर है। आपने सवाल यह उठाया कि 2020 से डायरेक्टर का पद रिक्त है। उस क्वालीफिकेशन का डायरेक्टर नहीं मिल रहा है। एडिशनल डायरेक्टर को अभी चार्ज दे रखा है। क्या करते? नहीं मिल रहा तो क्या करते, आप बताइये। एडिशनल डायरेक्टर अभी वांछित अनुभव पूरा नहीं कर पाया, इस वजह से डीपीसी में भी नहीं आया। अब वह वांछित अनुभव शीघ्र ही पूरा करने वाला है तो डीपीसी में आने से डायरेक्टर बन जायेगा। बात खतम हुई। हर जगह ऐसा ही होता है। कई डिपार्टमेंट में इस प्रकार से होता है।

राठौड़ साहब कह रहे थे कि पिण्डारा खोल देंगे। मेरा एक ही जवाब है कि जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखे हैं, हम उसी के समकक्ष लोगों को इसमें बनाना चाहते हैं। बनाने के पीछे सिर्फ एक पर्पज है कि जितनी पेंडेंसी है, उसको हम तभी खतम कर सकते हैं, जब हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें नोटिफाई कर सकें।

संयम लोढ़ा साहब ने कहा कि एफएसएल पूरी क्षमता से काम क्यों नहीं कर रही? कहां से करेगी? आदमी नहीं हैं, कम हैं। आपने पांच साल तक राज किया। एफएसएल की क्या हालत थी? फोरेंसिक साइंस जांच वगैरह की क्या हालत थी? आपने तो नियम तक नहीं बनाये। हमने आकर 2020 में इनकी भर्ती के नियम बनाये। हमने इनकी भर्ती के नियम पहली बार ही 2020 में बनाये। इसके साथ ही आरपीएससी में जून, 2022 में एग्जाम हो रहे हैं। दो पद सहायक, अतिरिक्त निदेशक के और चार पद वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारियों के, ये डीएनए के हैं। यह किया है। आपने तो पांच साल तक एक पद ही नहीं बढ़ाया। पांच साल तक कुछ नहीं किया। पेंडेंसी बढ़ाते गये और वह पेंडेंसी आज हमारे माथे पर आ गयी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मेरे समय में पेंडेंसी 10 हजार थी और मैंने जब चार्ज छोड़ा था तो पेंडेंसी 6 हजार थी। मैं हर सप्ताह मॉनिटरिंग करता था। नहीं तो आप फिगर निकालकर अधिकारियों से पूछो।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपकी मानिटरिंग भी हो गयी, सब कुछ हो गया और पेंडेंसी वहीं की वहीं रह गयी। वह पेंडेंसी हमारे माथे आ गयी है। अभी भी हालत यह है डीएनए, फिंगर प्रिंट के कि 2 हजार केस के नमूने प्रतिमाह आते हैं और सिर्फ दो सौ निपटते हैं।

अब आप बताइए अगर इसमें चेंज नहीं करें, नये साइंटिस्ट को जो वैल क्वालिफाइड हैं और इक्वली क्वालिफाइड हैं, अगर हम उनको शामिल नहीं करें तो फिर इसमें क्या होगा? सारे जितने भी आप लोग बोले हैं, उन सबका जवाब मोटे तौर पर यह है कि जब तक हम नये आदमियों को नोटिफाइड नहीं करेंगे, जांचें नहीं बढ़ाएंगे तब तक इन जांचों की पेंडेंसी खतम नहीं कर सकते हैं।

मेडिकल फोरेंसिक का है, अब आप देखिए, आपने जो बताया, शक जाहिर किया, faculty status of forensic medicine in government medical colleges of the state. जब मेडिकल कालेज में फोरेंसिक मेडिसिन का पार्ट होता है और पार्ट होकर वह तैयार हो जाता है तो वह आगे जाकर अगर ट्रेनिंग लेने के बाद एक्सपर्ट बन जाता है तो उसको क्यों नहीं शामिल करें? अगर शामिल नहीं करेंगे तो कहां से लाएंगे साइंटिस्ट, यह तो बताइए? अगर संख्या नहीं बढ़ाएंगे तो पेंडेंसी तो और बढ़ती जाएगी।

इसी तरीके से साइबर क्राइम की बात आयी। अब साइबर क्राइम, इसके एक्सपर्ट नहीं मिलते हैं। जो मिलते हैं उनकी शैक्षणिक योग्यता को देखना पड़ता है, अब इसमें ऐसी योग्यता वाले बहुत कम आदमी मिलेंगे आपको। बहुत कम मिलेंगे जो MTech भी कर रखा हो/MCA/ME/MSc degree in second division (Computer Science or Computer Applications). अब जो मिलेगा करेंगे उनको। इसी तरीके से आपका इंजीनियरिंग का है। इंजीनियरिंग कालेजेज में जो उक्त योग्यता रखता है, बाकायदा ट्रेनिंग करके उसको भी नोटिफाई करेंगे। जब तक इनमें नहीं बढ़ेंगे, आप तो ये बता दो, कोई ऐसी दवा बता दो कि इस पेंडेंसी को दूर किया जा सकता है, बगैर भर्ती किए या बगैर कुछ किए। कानून, नियम ही हमने बनाए 2020 में, आपके टाइम तक तो नियम ही नहीं थे। एक आदमी की भर्ती नहीं की आपने, हम तो कुछ करना चाहते हैं।

अब ये देखिए आप डी.एन.ए. फिंगर प्रिंटिंग का है, वर्तमान में जयपुर में निम्न द्वारा परीक्षण किया जाता है, सीरोलोजी के 4 रक्त सम्बन्धी मामले

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

आए हैं, बायोलोजिकल 2 मामले हैं, रक्त संबंधी परीक्षण, 4 सहायक निदेशक बैठे हुए हैं बायोलोजी का 1 सहायक निदेशक बैठा हुआ है। ये सब बातें आपके सामने हैं।

मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी सिचुएशन भी आती है कि जब अदालत एक्सपर्ट को बुलाती है और एक्सपर्ट जा नहीं सकता तो एक्सपर्ट अपने समकक्ष आदमी को वहां पर भेज देता है और कोर्ट उसको मंजूर करता है। कोर्ट उसकी एविडेंस को रिलेवेंट मानता है। ऐसे केसेज भी आते हैं। ठीक इसी तरीके से, यह तो मैं आपसे स्पष्ट कर चुका हूं कि जो भी नोटिफाइड होंगे वे इक्वली क्वालिफाइड होंगे, जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड किये गये हैं, उन्हीं के इक्वली क्वालिफाइड होंगे लोग, वे ही जाकर नोटिफाइड होंगे।

विशिष्ट रूप से वर्णित सरकारी वैज्ञानिकों के अलावा, शक तो ये जाहिर किया गया था शुरू-शुरू में आपके द्वारा कि, साहब, आप तो प्राइवेट आदमी को किसी को भी अपाइंट कर दोगे, इसमें सिर्फ सरकारी आदमी जाएगा। नोटिफाइड सिर्फ सरकारी आदमी होगा, दूसरा नहीं होगा। विशिष्ट रूप से वर्णित सरकारी वैज्ञानिकों के अलावा अन्य सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ को नोटिफाइड कर सकेगी और उनके हस्ताक्षरित रिपोर्ट स्वीकार की जा सकेगी, जिससे मुकदमों का निस्तारण भी शीघ्र होगा। इनको भी नोटिफाइड किया जा सकता है, जैसे राज्य में डी.एन.ए. एफ.एस.एल. में हो रही है। प्रयोगशाला में वैज्ञानिक विशेषज्ञ किसी वस्तु आदि से नमूना लेने का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, तत्पश्चात् वह उस नमूने की डी.एन.ए. की जांच करते हैं। राज्य में चिकित्सा विशेषज्ञों को भी नमूने लेने का प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है। चिकित्सा विशेषज्ञों को, जैसा मैं आपको पहले कह चुका हूं, उनको भी ट्रेनिंग दी जायेगी। तत्पश्चात् वह ऐसे नमूनों के डी.एन.ए. की जांच कर सकते हैं। उनको भी नोटिफाई किया जा सकता है।

आज भी जैसा बताया गया, 6 प्रयोगशालाएं मौजूद हैं। जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं हैं। कुल 33 जिलों में 34 मोबाइल यूनिट काम कर रही हैं। डी.एन.ए. फिंगर प्रिंट जयपुर व जोधपुर में है। यह बात सही है कि डी.एन.ए. फिंगर प्रिंट के कुल 11 वैज्ञानिक विशेषज्ञ है, जिनमें से दो पद पर ही अधिकारी कार्यरत हैं, बाकी 9 पद रिक्त हैं। मानते हैं इस बात को, सही है यह बात।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

महिलाओं का आपने जैसा बताया, मैं उसमें करेक्शन करना चाहता हूं, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध 28/02/2022 तक कुल मिलाकर 8 हजार 87 प्रकरण हैं, कोई 15 हजार प्रकरण नहीं हैं। इनमें 3 हजार प्रकरण पॉक्सो अधिनियम से सम्बन्धित हैं। गम्भीर हत्या के 440 प्रकरण जांच के लिए आज भी लम्बित पड़े हुए हैं। डीएनए फिंगर प्रिंट के 10 हजार 36 प्रकरण आज भी लम्बित पड़े हुए हैं। अब आप बता दो, कुल मिलाकर बात ये है कि इक्वली क्वालिफाइड साइंटिस्टों को अगर नोटिफाइड नहीं करें तो ये जांच कैसे गति पकड़ सकती है? किस प्रकार से गति पकड़ेगी? जहां तक इस बात का शक है कि हम किसी को भी बैठा देंगे या किसी एम.एल.ए. को नोमिनेट कर देंगे, आजकल नोमिनेशन का जमाना चल रहा है, मैं आपसे बहुत स्पष्ट शब्दों से निवेदन कर रहा हूं कि हम इक्वली क्वालिफाइड साइंटिस्ट जो होते हैं, उन्हीं को जाकर इसमें नोमिनेट करेंगे। संख्या इसलिए बढ़ाना चाहते हैं ताकि पेंडेंसी खतम हो, कुल मिलाकर यह बात है।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2022 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2022 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2, कोई संशोधन नहीं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, मैं अपना जनमत जानने का प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री सभापति: इजाजत दी गयी।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक का पारण

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2022 को पारित किया जाय।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): सभापति महोदय, इस देश में अंग्रेजों का शासन था और 1862 में ये न्याय प्रक्रिया चालू हुई उस समय एक दण्ड प्रक्रिया संहिता इस देश को दी गयी, उसमें धीरे-धीरे अमेंडमेंट होते गये। प्रस्ताव भी पास होते गये। पुलिस आयोग भी सुझाव देते गये और सेमिनार भी हुए, सब हुए, धीरे-धीरे इतने अमेंडमेंट उसमें आ गये और इतना उसमें कन्फ्यूजन हो गया कि 1973 में उस आचार संहिता का पूरी तरह से पुनर्विचार हुआ। पुनर्विचार होने के बाद आज जो आचार संहिता है, जिसमें आप ये अमेंडमेंट लाए हैं, सभापति महोदय, मैं इस अमेंडमेंट का स्वागत करता हूं और स्वागत इसलिए करता हूं कि ये एक इनोसेंट अमेंडमेंट है। मैं इनोसेंट इसलिए कहना चाहता हूं कि कोई अमेंडमेंट हो, कोई प्रक्रिया हो, उसका परीक्षण हाई कोर्ट में भी होता है, उसका परीक्षण सुप्रीम कोर्ट में भी होता है। वहां जाकर उसके बाद उस पर मुहर लग जाती है कि क्या स्थिति है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, सारे देश में हमारी criminal jurisprudence है, उस criminal jurisprudence पर एक "let hundred criminals go unpunished; one innocent person not be punished" इस प्रक्रिया के कारण बेनेफिट आफ डाउट आता है। फौजदारी प्रकरण में व ट्रायल में बेनेफिट व डाउट के कारण कई अपराधी बचते हैं। उस समय प्रोसीक्यूशन पर यह जिम्मेदारी आ जाती है कि वह अपने केस की पुख्ता कार्यवाही करे, उसमें किसी तरह की कोई एविडेंस की कमी नहीं रखे।

सभापति महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं। परीक्षण होता है आपने किसको अपाइंट किया, किसको नहीं, इसकी पात्रता भी जूडिशियरी कर सकती है। उसकी evidence admissible है या नहीं, विश्वसनीय है या नहीं,

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल)

इसकी पात्रता भी जूडिशियल में की जा सकती है। आज हम जो बहस कर रहे हैं, मैं यह मानता हूं कि लम्बे समय से एक आवश्यकता है क्योंकि medical jurisprudence भी वर्ल्ड में, कई तरह के उसमें अनुसंधान हो रहे हैं, कई तरह के उसमें एडिशनल अल्ट्रेशन हो रहे हैं। उसके कारण अदालत के अन्दर, कोई एविडेंस पेश करके, किसी तथ्य को सिद्ध करना होता है तो उसमें उसकी बहुत मदद होती है।

यह सही है कि आपकी विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं बहुत कम हैं और उसमें कई तरह की पेंडेंसी हैं, उस पेंडेंसी का इस अमेंडमेंट से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिए सम्बन्ध नहीं है, राजस्थान में आपने अनुभव किया होगा, जिस तरह की एविडेंस आ रही है, जिसमें आपको विशेषज्ञ लगाने हैं, इन विशेषज्ञों को लगाने का आप अधिकार लेवें, यही तो है। अधिकार लेने के बाद पात्रता के आधार पर जो क्वालिफाई लोग होंगे उन्हीं को आप अपाइंट करेंगे, तो उसमें दिक्कत क्या है? नोन क्वालिफाई होंगे तो अदालत में वह रिजेक्ट कर दिये जायेंगे। अदालत को उनकी पात्रता को परीक्षण करने का अधिकार है।

आपको धन्यवाद देता हूं कि बड़े अनुभव के बाद आप जो यह अमेंडमेंट लाये हैं, इस अमेंडमेंट को पास किया जाये। इस मामले में कोई मंशा नहीं देखता। मैंने शुरू से कहा कि इनोसेंट अमेंडमेंट है, मंशा होगी तो सामने आ जायेगी। आपने किसी को किया, कोई एविडेंस आया, क्या उसको नेगेटिव नहीं किया जा सकता एविडेंस एक्ट में? मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो आज की आचार संहिता है, इस पर पुनर्विचार कीजिये।

सभापति महोदय, मैं उदाहरण देना चाहता हूं। 161 के बयान, अब 161 के बयान की क्या वेल्यू है? अंग्रेजों ने 161 की धारा इसलिए बनाई, चाहे आदमी इग्लैंड में बैठा हो, उसका नाम भी उसमें लिख देंगे, 'Read Over and Admitted to be correct', दस्तखत हैं उसके, अंगूठा है उसमें? केवल 161 के बयान में दबाव को डिस्क्रेडिट करने के काम आता है, इससे ज्यादा इसकी कोई वेल्यू नहीं है। 164 के बयान आप लेते हो, शपथ पर बयान देते हैं और बदलाव हो जाता है। सभापति महोदय, क्या कोई ऐसा प्रोविजन है कि उस बदलाव करने वाले को पुख्ता तौर पर, यह संदेश देना चाहिये कि 164 के शपथ पर दिये गये बयान को अदालत स्वीकार करे। अगर साक्ष्य में उसमें बदलाव किया है तो साक्ष्य का परीक्षण किया जाये, बदलाव करने के क्या कारण है। अगर बदलाव करने के ठीक कारण नहीं हैं तो उसको स्वीकार किया

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल)

जाना चाहिये, 164 के बयान में। क्रिमिनल जस्टिस में जितना लम्बा होगा, जितनी देरी होगी, उससे न्याय की प्रक्रिया में बाधा आयेगी। क्रिमिनल जस्टिस मिलने में देरी आयेगी।

मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, आप यह जो लाये हो इसमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को आप पुनर्विचार कीजिये। होता आया है समय-समय पर। कोई कानून फाइनल और परफेक्शन नहीं होता है। समय के अनुसार उसमें अमेंडमेंट करने पड़ते हैं। समय के अनुसार उसको बदला भी जा सकता है।

माननीय सभापति महोदय, आज जिस तरह का jurisprudence चल रहा है, उसमें कई तरह की खामियां हैं। आप सेमिनार कीजिये, आपका acquittal per cent बहुत ज्यादा बढ़ता है। सभापति महोदय, एक अपराधी acquit हो जाता है, किसी भी कारण से या बेनिफिट आफ डाउट की थ्योरी से, तो जनता में न्याय के प्रति विश्वास कम होता है, कि यह अपराधी था, सरेआम हमने देखा था। कोई भी गैप नहीं रह जाये, अपना केस सिद्ध करने के लिए। उस गैप को पूरा करने में जितनी भी कमियां हैं, वह समय-समय पर आयेंगी, उसके आधार पर हमको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप इसमें अमेंडमेंट लाये हैं, यह अच्छा किया। अपने अनुभव से लाये हैं। इसके आगे भी आपके अनुभव के आधार पर कोई आते हैं तो आप अमेंडमेंट जरूर लाइये। हमको अपराधियों को जेल पहुंचाने की पुख्ता तैयारी करनी पड़ेगी। पुख्ता तैयारी में जो भी कमी रह जाये वह पूरी करनी पडेगी। कानून में अगर कोई कमी है, उसमें भी सुधार करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, एक निवेदन और कर दूं। मैं आपको मेरा अनुभव बताता हूं। आपके नयेनये ज्युडिशियल आफिसर बन रहे हैं, कृपा करके आप इनको पूरा प्रशिक्षण दीजिये। 1996 में मैं गृह मंत्री था। ब्यावर का एक मुकदमा आया, उस मुक़दमे में ब्यावर से कुछ लोग मिलने आये। मैंने उनको कह दिया कि देख लेंगे इसको। उसकी अपील हुई। अपील होने के बाद मेघवाल जी ने सुना नहीं। गृह मंत्री जी भी उसमें सम्मिलित कर दिये गये। चार-पांच साल पहले, मेरे पास जमानती वारण्ट का नोटिस आ गया कि आपको मुलजिम बनाया जाता है। मेरी साक्ष्य क्या थी, कि मैंने सुना नहीं और उनको रवाना कर दिया। इस साक्ष्य के आधार पर। हुआ जो हुआ, पहली पेशी में,

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल)
रिविजन में वह केस खतम हो गया, लेकिन मुझे पांच लाख की चोट पड़ गई, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से आता है कि आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस हो तो उसका भी वर्णन दो, तीन अख़बार में दो, टीवी में दो। उसमें मेरे पांच लाख रुपये खर्च हो गये।

मैं यह इसलिए कहना चाहता हूं कि यह जो नयेनये लग रहे हैं, वह यह देखें एविडेंस की एप्रिसिएशन क्या हो, एविडेंस किस तरह की हो, किस तरह के आदेश दिया जाये। इनके परीक्षण की भी पूरी तरह व्यवस्था कीजिये। मैं आपके अमेंडमेंट का समर्थन करते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2022 को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2022 को पारित किया गया।

श्री राजेन्द्र जी यादव।

विधेयक पर विचार

व्यास विद्या पीठ विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2022

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि व्यास विद्या पीठ विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2022 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, आज सदन में व्यास विद्या पीठ विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2022 पर चर्चा हो रही है। जब इस बिल पर चर्चा हो रही थी उससे पहले मेरे मन में जिज्ञासा आई कि राजस्थान में कहीं निजी विश्वविद्यालयों की कमी तो नहीं। सभापति महोदय, मैंने देखा है कुकुरमुत्ता की तरह राजस्थान में निजी विश्वविद्यालय खुलते जा रहे हैं। 15वीं विधान सभा के अंदर..., सभापति महोदय, या तो मुझे बिठाओ या उनको कह दो, सब्जी मण्डी बना दी उन्होंने। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। आप लोग अपने स्थान पर बैठें। आवाज नहीं करें। आपको बाहर जाना है तो आप बाहर पधारें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, इस 15वीं विधान सभा में कोई सत्र ऐसा नहीं रहा जब हमने 4-5 विश्वविद्यालय के विधेयकों को पारित नहीं किया। यूजीसी की साइट मैंने आज देखी, मंत्री महोदय, एक-दो नहीं, 52 निजी विश्वविद्यालय आज राजस्थान के अन्दर संचालित हैं। पूरे देश के अन्दर हम पहले उन तीन राज्यों में हैं, जहां सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय हैं।

व्यास विद्यापीठ विश्वविद्यालय, जहां तक मैं समझता हूं जोधपुर का विश्वविद्यालय है। जोधपुर के अन्दर भी मैं देख रहा था, इसके संचालन कर्ता का नाम, पता और उस कम्पनी का नाम। सरदारपुरा के लोक नायक जयनारायण व्यास वहां के हुए। अभी सदन में चर्चा चलेगी, ब्रुटल मेजोरिटी के अनुसार आप अनुमति दे देंगे और एक और नया विश्वविद्यालय जन्म ले लेगा।

सभापति महोदय, अभी आपने समाचार पत्र में पढ़ा होगा, राजस्थान पत्रिका ने खुलासा किया। अलवर के अन्दर एक निजी विश्वविद्यालय, उनके जांच करने वाले अधिकारी का बयान मैंने पढ़ा। प्रतिपक्ष के नेता, उसमें उन्होंने यह माना कि 35 हजार डिग्रियां तो फर्जी बांट दी हैं परन्तु इसकी संख्या एक लाख तक पहुंच सकती है। अब आप अन्दाजा लगाओ कि एक नौजवान किसी विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर अगर अपने जीवन में कहीं नौकरी करता है, अचानक दस साल, बीस साल बाद उसको यह कह दिया जाता है कि आपकी यह डिग्री फर्जी है, नौकरी छोड़ो, जेल चलो, तो किस प्रकार का रहेगा? इसलिए, मंत्री महोदय, मेरा आपसे यह आग्रह है कि राजस्थान में बहुत विश्वविद्यालय हो गये, आप तो अब संख्यात्मक नहीं, इनके गुणात्मक की दृष्टि से आगे बढ़ें।

अभी आप यह निजी विश्वविद्यालय का विधेयक लेकर आये हैं। आपको ध्यान है कि तीन साल में आपने सरकारी भी तीन विश्वविद्यालय खोल डाले। पत्रकारिता विश्वविद्यालय हरिदेव जोशीजी के नाम से। हमारे पर आपने पूरा पानी पी पीकर यह कहा कि हमने बन्द कर दिया। अब तो आपका यह चौथा बजट आ गया, मंत्रीजी, इस हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय की चारदीवारी तो पूरी करवा लो, फैकल्टी तो छोड़ो। आपका दूसरा विधि विश्वविद्यालय, बहुत बड़ी बात आपने कही, आपने इतनी मेजें थपथपाईं कि यह हमारे मुख्य सचेतकजी को मैं उस दिन देख रहा था कि इनके हाथ लाल थे और आज क्या हो गया? निविदा प्रक्रिया तो पूरी कर लो, और एक एम.बी.एम. विश्वविद्यालय ...(व्यवधान)

श्री सभापति: हाथ पीले तो सुने थे, लाल पहली बार ही सुन रहे हैं। मैंने हाथ पीले तो सुने थे, अब लाल पहली बार सुन रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अब इनके लाल ही होंगे, माननीय सभापति महोदय, समय आयेगा, इनके काले भी होंगे और इनके लाल भी होंगे। मेरे मित्र हैं पर जिस भूमिका के अन्दर मैं इनको देख रहा हूं दो-दो पद लिए बैठे हैं। इनके अब हाथ पीले होने की उम्र तो गयी पर इनके अब लाल भी होंगे और लाल के बाद काले हाथ भी होंगे, इसलिए मैं यह कह रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि यह जो विश्वविद्यालय, मंत्री महोदय, आप खोल रहे हैं, मैं इस विश्वविद्यालय के उस बिल के उद्देश्यों और कारणों के कथन की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। इसमें लिखा है कि- राजस्थान विकास संस्थान, जोधपुर जो एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी है, उसको विश्वविद्यालय की मान्यता मिले इसलिए यह विधेयक लाया जा रहा है। इस विश्वविद्यालय की बुनियाद, मंत्री महोदय, खोटी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यू.जी.सी. के वह प्रावधान लेकर आया हूं। यूजी.सी. (यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन) मतलब, यह खुद कह रहे हैं कि एक कम्पनी खोले और यू.जी.सी. (यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन) क्या कह रही है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का 2.1 - " 'private university' means a university duly established through a State / Central Act by a sponsoring body viz. a Society registered under the Societies Registration Act 1860, or any other corresponding law for the time being in force in a State or a Public Trust or a Company registered under Section 25 of the Companies Act, 1956." अब यह इसको संचालित करने वाले कौन महानुभाव हैं? मैं इनका वह लेकर आया हूं, यह कम्पनी एक्ट में रजिस्टर्ड है। यह प्राइवेट कम्पनी है और मुझे तो यह आश्चर्य है कि यह पहला अवसर होगा राजस्थान में, प्रतिपक्ष के नेता, जब एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी को यूनिवर्सिटी का चोला पहनाया जा रहा है और हम सब लोग उसके साक्षी बन रहे हैं।

मैं समझता हूं कि सबसे पहले आप यह तय करें कि इसके संचालनकर्ता कौन हैं? क्योंकि मैं अब आपको इसके उद्देश्यों और कारणों के कथन को यथा पढ़कर सुनाता हूं-

"राजस्थान विकास संस्थान, जोधपुर, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-1) के अधीन रजिस्ट्रार कम्पनी, राजस्थान के कार्यालय में रजिस्ट्रीकरण संख्या यू80302आरजे2012एनपीएल037802 दिनांक 02.02.2012 पर रजिस्ट्रीकृत एक सोसाइटी है जो शिक्षा के क्षेत्र में लगी हुई है और विगत कई वर्षों से कई शैक्षिक संस्थाएं चला रही है।"

एक तरफ तो आप यह कह रहे हो कि वह कम्पनी है, एक तरफ आप कह रहे हो कि वह सोसाइटी है और मैं उस सोसाइटी, इस कम्पनी के कागज लेकर आया हूं। यह कम्पनी 02 फरवरी, 2012 को रजिस्टर्ड हुई और इस कम्पनी में आप आगे जिसको कहते हो सोसाइटी, यह 1999 का रजिस्टर्ड है, आप सबसे पहले मुझे यह बताओ कि वह कम्पनी एक्ट और सोसाइटी एक्ट, दो अलग-अलग एक्ट हैं और दो संस्थाएं हैं, यह किस प्रकार आपने दोनों संस्थाओं को मर्ज कर दिया, कौनसा कानून आपने ईजाद कर लिया? भगवान के लिए, चाहे वेद व्यास के नाम से आयी हो यूनिवर्सिटी या चाहे जय नारायण व्यास के नाम से आयी हो, इसको तो अब जन्म मत लेने दो ऐसे विश्वविद्यालय को, इसका गर्भपात कराओ, मंत्री महोदय, मैं बड़ी गम्भीरता से यह कह रहा हूं।

आपने इसके सेक्शन 2 (U) में यह कहा कि यह राजस्थान विकास संस्थान, जोधपुर एक सोसाइटी है जो कम्पनी एक्ट, 1956 के प्रावधान के अन्तर्गत पंजीकृत है, जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर so and so है। मतलब, यह समझ में ही मेरे नहीं आ रहा है कि आप करना क्या चाहते हो?

मंत्री महोदय, इसी के, जो अब आप एक्ट लेकर आये हो, इसके सेक्शन 37 की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें यह लिखा है कि- इस विश्वविद्यालय को National Assessment and Accreditation Council (NAAC) से accreditation लेना होगा। इन्होंने ले लिया Accreditation? मेरा यह आरोप है आप पर कि राजस्थान में जितने भी विश्वविद्यालय चल रहे हैं, दस परसेंट के पास भी NAAC का accreditation नहीं है। इनकी डिग्री की कोई मान्यता नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, यह हमारे नौजवानों के साथ खिलवाड़ करने का एक जरिया बन गया और हम सब लोग उस जरिए में साक्षी बन जाते हैं। मैं वह NAAC की लिस्ट लेकर आया हूं। यह आपकी NAAC की लिस्ट में यह लिस्ट है। इसमें हमें यह नाम बता दो यह जो विश्वविद्यालय है आपका। इस व्यास विश्वविद्यालय का नाम बताओ उसमें। आप कानून लाकर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इस सदन से इसको पारित करवा रहे हो। हां, एक बात जरूर है, इसका मैंने पता देखा, कौन यह महान विभूति है? तीसरा परिहार भवन, आई.एस.ए. रोड, सरदारपुरा, जोधपुर विश्वविद्यालय। सी.एम. का निर्वाचन क्षेत्र और वह भी परिहारों का मोहल्ला, अब आपके बस की बात नहीं, हमें तो कहना है जो कहेंगे ही।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस सोसाइटी का, इस कम्पनी का आप यह देखिये, माननीय सभापति महोदय, इस कम्पनी का जब मैं यह सारा बायोडाटा पढ़ रहा था, इसकी पेड कैपिटल है 3 करोड़ 48 लाख रुपये और विश्वविद्यालय के लिए लोन कितना ले लिया इसने 16.06.2021 को? 288 करोड़ रुपये और आपको इन्होंने सेक्शन 8 के अन्दर जो विन्यास निधि है, एक करोड़ रुपया जमा करवा दिया सरकार में और आप आनन-फानन के अन्दर यह बिल लेकर आ गये। मैं यह समझता हूं कि यह पिछले दरवाजे से क्योंकि जिस कम्पनी की, जिस सोसाइटी की पेड कैपिटल ही 3 करोड़ 48 लाख रुपये हो और वह सोसाइटी लोन रेज-अप कर रही है 288 करोड़ रुपये का, तो यह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पिछले दरवाजे से ऋण लेकर विश्वविद्यालय के नाम पर उस ऋण को कोई दूसरी जगह इस्तेमाल करने का एक प्रावधान बना रखा है। भगवान के लिए आप ऐसा मत करो।

आपको मैं यह भी निवेदन करूं कि आप इसी सदन में 2021 के अन्दर एम.बी.एम. यूनिवर्सिटी का बिल लेकर आये थे, डेढ़ साल हो गया, मेरे को आप यह बता दो कि आज वहां पर फैकल्टी कितनी है? जोधपुर में इसको लेकर आ रहे हो आप। जोधपुर में एम.बी.एम. को लेकर आये, जोधपुर में डिजिटल यूनिवर्सिटी के लिए लेकर आये, आपने चार सौ करोड़ रुपये की घोषणा की थी। मुझे यह बताओ कि यह विश्वविद्यालय है कहां?

माननीय सभापति महोदय, मैं आश्चर्यचकित हूं कि मैंने आदमी के बारे में सुना है पुराने टाइम में कि बड़े-बड़े ज्ञानी कभी-कभी अदृश्य हो जाया करते थे, विश्वविद्यालय अदृश्य हो रहे हैं राजस्थान की धरती से। राजस्थान के मुख्य मंत्री जोधपुर की धरती से हैं, इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। आज फिर आप यह लेकर आ गये।

(समय: 14.38 बजे)

(श्री जितेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय सभापति महोदय, मैं यह देख रहा था कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए एक कमेटी बनती है, उसको आप सर्च कमेटी भी कह सकते हैं, उसको इंस्पेक्शन कमेटी भी कह सकते हैं। इंस्पेक्शन कमेटी। आपने उद्देश्यों और कारणों में उस इंस्पेक्शन कमेटी का जिक्र किया है। उस इंस्पेक्शन कमेटी में कौन थे, मंत्री महोदय? उसमें थे जय नारायण व्यास, जोधपुर विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर एक और एक कम्प्यूटर इंजीनियरिंग के प्रोफेसर। जानते हो कि जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी कौनसी है? जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी वह है जिसमें शिक्षकों के पदों की लूट की चर्चा इस देश के कोने-कोने तक पहुंची थी। कम से कम व्यासजी का नाम तो मत करो और अब हो क्या गया? आपके वहां के कुलपति हैं न त्रिवेदीजी, अब राज्यपाल महोदय ने यह कहा कि जब आखिरी 90 दिन हों तो कोई कुलपति नीतिगत निर्णय नहीं लें। इन्होंने इसी 3 फरवरी को सिंडीकेट की मीटिंग बुलवाकर यह जो 2012-13 की 154 शिक्षकों की भर्ती थी, जिसमें ए.सी.बी. के अन्दर मामला गया और मामला इसलिए गया कि यू.जी.सी. के निर्धारित मापदंड पूरे नहीं हो रहे थे, निर्धारित योग्यता पूरी नहीं हो रही थी और उसके कारण से एक दो नहीं, एक दर्जन से ज्यादा लोग तत्कालीन वी.सी. साहब सहित जेल में गये, आपने सबको नियमित करवा दिया। क्यों नहीं करवाओगे आप? क्योंकि व्यवस्थाएं बदल गयीं, और तो और मुझे तो यह आश्चर्य है कि नेता, प्रतिपक्ष महोदय, 28 ऐसे अध्यापक थे जिन्होंने गलत दस्तावेज प्रस्तुत किये, ए.सी.बी. ने उनको पकड़ा, चालान किया। आपने जो गिरफ्तार हुए उनको भी रेगुलराइज कर दिया और इसमें जो तत्कालीन वीसी थे राजपुरोहित, प्रोफेसर चूण्डावत, प्रोफेसर खींची, गिरफ्तार होकर चालान पेश हुआ। आज केस न्यायालय में है। आप इनसे इंस्पेक्शन करवा रहे हो? इन प्रोफेसरों को कह रहे हैं कि आप जाकर इस व्यास यूनिवर्सिटी का इंस्पेक्शन करके बताओ कि यूजीसी के मापदण्ड पूरे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उच्च शिक्षा से कैसा आप मजाक कर रहे हैं?

मैं निवेदन करूं कि यूजीसी एक रेगुलेशन है। रेगुलशन 2009 के अन्दर यूजीसी के अनुसार कालेज में लेक्चरर वही भर्ती होगा जिसकी डाक्टरेट होगी, पीएचडी होगी, नेट होगी, स्लेट होगी, सेट होगी। बिना इन योग्यता के आप भर्ती करते चले गये। मुझे तो आश्चर्य तब हुआ जब दशौरा कमेटी बनी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

थी 2017 में, उसने जांच की और 5 हजार पन्नों की उसने एक रिपोर्ट दी और यह कहा कि यह अपवित्र भर्ती है, इसको सिरे से खारिज किया जाय और राजभवन ने भी 15 जून, 2018 को लिखा कि उसमें कार्रवाई करो। उसके बाद सत्ता बदल गयी। हमारे प्रतिपक्ष के नेता सही कह रहे हैं कि 50 हजार वोट ज्यादा लेकर इतराये आप। इतराये नहीं, घमड़ाये आप और घमड़ा कर आपने 11.11.2019 को बी.एम. शर्मा की कमेटी बना डाली और बी.एम. शर्मा की कमेटी को यह सुपारी दे दी कि इन सबको रेगुलराइज करो क्योंकि सारे रसूखदार हैं, बड़े परिवारों के हैं। मैं कोई सनसनी फैलाना नहीं चाहता। इस बी. एम. शर्मा की कमेटी में त्रिवेदी भी सदस्य बना दिये गये। यह वही हैं 2020 में सुखाड़िया विश्वविद्यालय की सर्च कमेटी में इनको लगाया। इन्होंने उस पैनल को ही डिसक्लोज कर दिया और उसके बाद उनको हमेशा के लिए डिबार और ब्लैक लिस्टेड कर दिया। मैं समझता हूं इस प्रकार का खेल जो हो रहा है और हद तो तब हो गयी, 29 ऐसे प्राध्यापक थे जो उस वक्त फरार हो गये थे, उनकी सेवाओं को ब्रेक नहीं किया, उनको भी रेगुलराइज कर दिया। इन सबको आपने 7वें वेतन आयोग का भी अधिकार दे दिया।

मुख्य मंत्रीजी का एक पत्र मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। यह सब काम उन्होंने कर दिया, उसके बावजूद भी मुख्य मंत्रीजी ने पत्र लिखा 22 मार्च, 2021 को। पत्र क्रमांक अर्द्ध शासकीय पत्र मुमं/ओएसडी/2011, प्रिय श्री ओम सिंहजी गहलोत, आप एवं जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में सेवाएं दे रहे 55 अन्य सहायक आचार्यों का हस्ताक्षरित पत्र मिला। इसमें आप सभी ने सहायक आचार्यों के स्थायीकरण पर विश्वविद्यालय शिक्षक मंच की ओर से मेरा आभार व्यक्त किया है। इसके लिए धन्यवाद। वाह। ठप्पा-ठप्पा। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले लम्बे समय से विचाराधीन इस प्रकरण में सिंडीकेट की हाल ही सम्पन्न हुई बैठक में सहायक आचार्यों को स्थायीकरण का बहुमत से निर्णय ले लिया और आशा है कि सहायक आचार्यों को राहत मिलेगी। शुभकामनाओं सहित। अशोक गहलोत। किसके पास जाएं, किसको कहें? मतलब अगर इन्हीं को बधाई देनी है और इसी तरह के लोगों को इंस्पेक्टर लगा कर आप नया विश्वविद्यालय खोल रहे हो, मेरी मांग है आपसे कि आप दुबारा इंस्पेक्ट कराओ यूजीसी के मापदण्ड के अनुसार। जो अर्हताएं होनी चाहिए निजी विश्वविद्यालय के अन्दर, जितनी जमीन, जितनी लाइब्रेरी, जितना भवन, जितना निर्माण, जो फैकल्टी, वह नहीं है, सभापति महोदय,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अदृश्य है। पेड कैपिटल 3 करोड़ 48 लाख। 288 करोड़ का लोन। क्यों आप इसका हिस्सा बन रहे हो?

मैं इस बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि मेरे बाद भी बहुत से लोग बोलेंगे। मेरे कुछ पाइन्टेड सुझाव हैं। मैं कहूंगा कि जिस प्रकार की हालत बनी, यूजीसी की ताजा रिपोर्ट में कहा कि राजस्थान में 33 जिलों में से 30 जिले उच्च शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े जिले हैं। इसके लिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप प्रदेश के सारे विश्वविद्यालयों के लिए एक उच्च शिक्षा आयोग बनाओ और सभी विश्वविद्यालय, जितने हैं, उसका राज्य स्तर से भी एक्रेडिटेशन करना चालू करो ताकि पता तो लगे कि विश्वविद्यालय के हालात क्या हैं। इसके अलावा इनका कामन सिलेबस करो और हर जिले में यूनिवर्सिटी करो आप। हर विश्वविद्यालय जोधपुर में, विधि विश्वविद्यालय जोधपुर में, आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में, एमबीएम विश्वविद्यालय, जोधपुर में, डिजिटल यूनिवर्सिटी, जोधुपर में, व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर में। क्यों जी, जोधपुर में? हम चूरू वाले क्या इस राजस्थान के नागरिक नहीं हैं? हमारा कसूर सिर्फ इतना ही है न कि हम अपोजिशन में हैं।

मैं समझता हूं कि एक विश्वविद्यालय की नियुक्ति हो रही है, सभापति महोदय, मैंने बड़ी जिम्मेदारी से मामला उठाया है दशौरा कमेटी का, मैंने इस पवित्र सदन के अन्दर मुख्य मंत्रीजी का पत्र कोट किया है। छोड़ो इन बातों को। नियुक्ति के लिए बोर्ड बनाओ आप और सभी यूनिवर्सिटीज का एक समान एक्ट ले आओ न आप। अभी मुझ से सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि मैं क्या पढ़ूं भाई, साहब, ये तो कापी राइट है। इस कापी राइट के पीछे और राइट क्या-क्या लिए हैं, यह तो बताओ जरा। वह आज नहीं, तो कल खुलेंगे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह जो विश्वविद्यालय का खोटा कानून आया है विचारार्थ, इस खोटे कानून को जनमत जानने के लिए, भगवान वेदव्यास को यदि मानते हो तो उनको मानते हुए लोकनायक जयनारायण व्यास, जिन्होंने राजस्थान की जंगे आजादी में काम किया, उस महान विभूति को समर्पित होकर आप आगे बढ़कर अभी कह दो, छुट्टी का दिन है, ताकि हम अपने घर जाएं, जनमत जानने के बाद में पन्द्रह दिन बाद वापस ले आना। हम सब लोगों का मत आ जायेगा। हम भी अपनी बात कह देंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री अशोक लाहोटी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से सरकार के लगातार तीन सालों के यदि सारे बिल देखे जाएं, जिनको सरकार लायी है, उनमें 50 परसेंट बिल केवल और केवल विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में लेकर आयी है। मुझे यहां बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जितने माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये, एक का भी सुझाव आपने किसी बिल में, अगले आने वाले बिलों में कहीं पर भी वह अमेंडमेंट के नाते उस सुझाव को कंसीडर करके आप नहीं लेकर आये। सरकार केवल संख्या बल के आधार पर मदहोश होकर जिस प्रकार से उच्च शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है, मैं सत्तापक्ष के लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि 1950 में आप ही की पार्टी ने इस देश में शिक्षा की स्वायत्तता की बात पहली बार की थी, पर जब आज उच्च शिक्षा का इतिहास लिखा जायेगा तो राजस्थान का यह काल खण्ड उच्च शिक्षा में सबसे ज्यादा गिरावट के लिए यदि कोई जिम्मेदार होगा तो वर्तमान राजस्थान की सरकार होगी। यह मेरे शब्द लिख लेना।

सभापति महोदय, नये विश्वविद्यालय खोलने के लिए इस सदन का प्रत्येक सदस्य स्वागत करेगा लेकिन वह विश्वविद्यालय कैसा खुल रहा है। अभी माननीय उप नेताजी ने बताया कि किस प्रकार से एक प्राइवेट कम्पनी को सीधा-सीधा फायदा होगा। नवलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने तो कई बार गिरफ्तारी दी है, शिक्षा का राजनीतिकरण नहीं चलेगा, शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं चलेगा, इस विषय को लेकर कई बार जेल गये हैं हमारे साथ में, पर आज वह गलत साइड में बैठे हैं इसलिए हां भी करेंगे।

सभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम उस देश के नागरिक हैं जिन्होंने शिक्षा की पहल पूरे विश्व में जगायी है और हमारे लिए कहते थे कि 'भारत के भरत खेलते, शेरों की सन्तान से, कोई देश नहीं दुनिया में, बढ़कर हिन्दुस्तान से।' हम उस देश के नागरिक हैं जहां 2700 वर्ष पहले दुनिया का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला भारत में खुला था और आज मैं इस सदन के माध्यम से धन्यवाद देता हूं नरेन्द्र मोदीजी को कि उस तक्षशिला विश्वविद्यालय का पहली बार वैभव लौटाने का काम किसी ने किया तो नरेन्द्र मोदीजी की सरकार ने किया। उस जमाने में 10 हजार 500 विद्यार्थी पूरी दुनिया के आते थे तक्षशिला विश्वविद्यालय में। हम उस वैभवशाली देश के नागरिक हैं।

(श्री अशोक लाहोटी)

माननीय मंत्री महोदय, आप विश्वविद्यालय कब लेकर आये हो, 1948 में पहली बार सर्वपल्ली राधाकृष्णनजी की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग बना था। उस विश्वविद्यालय आयोग की जो-जो सिफारिशें थीं, उन सिफारिशों का यदि यह यूनिवर्सिटी जो व्यास विद्या पीठ के नाम से, केवल जोधपुर की होने के कारण आप लाने की जल्दबाजी कर रहे हो, यदि उसकी एक भी मान्यता यह पूर्ण करती हो, आप कहोगे तो हम भी आपका स्वागत करेंगे।

सभापति महोदय, हम यदि बात करें इस बिल की अनुसूची 1 के खण्ड 2 में 7 उपखण्ड व खण्ड 4, 5, 6 की अनूसची 2 में जिस प्रकार से पाठ्यक्रमों को कापी पेस्ट किया गया है, मैं सदन में जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैंने उप नेता महोदय को दिखाया अभी कि पुरानी यूनिवर्सिटी जब 2013 में कांग्रेस की सरकार थी, आपने लगातार कई यूनिवर्सिटी खोलने के रिकार्ड बनाये और उस समय के मीडिया के अखबारों में छपा था कि कमरा नम्बर 203 में एक यूनिवर्सिटी, कमरा नम्बर 204 में दूसरी यूनिवर्सिटी, कमरा नम्बर 305 में तीसरी यूनिवर्सिटी, इस प्रकार का जो कुकृत्य किया था, आज उसी प्रकार का कुकृत्य दुबारा कर रहे हैं। उस समय जो कापी पेस्ट किये थे, उसी बिल को कापी पेस्ट करके वह के वह वापस आपने कोर्सेज लिख दिये, वह के वह सूचियां लिख दीं, वह की वह कमरों की डिजाइन लिख दी, वह की वह ही होस्टल की डिजाइन लिख दी। आप चाहे उठाकर देख लें।

सभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं धन्यवाद दूंगा कि आज के ही राजस्थान पत्रिका में सरकार की उच्च शिक्षा की पूरी पोल खोलकर रखी है। मैं यदि आंकड़े दूं तो साफ-साफ लिखा हुआ है कि आपने 191 कालेज खोले हैं, जिनमे से कल की घोषणाओं सहित 155 कालेज शुरू हुए हैं और उन 155 कालेजों की स्थिति क्या है? यह हैडिंग लिखा है 'जुगाड़ के सहारे उच्च शिक्षा, कहीं हॉस्टल में, तो कहीं धर्मशाला में, तो कहीं स्कूल में चल रहे हैं कालेज। हम इस उच्च शिक्षा की बात कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि आज राजस्थान में 104 कालेजों के पास अभी तक बिल्डिंग नहीं है। जो आपने खोले, मैं केवल उन्हीं के आंकड़े बता रहा हूं। 50 के लिए तो आपने एक रुपये के बजट का प्रावधान अभी तक नहीं किया है।

माननीय सभापति महोदय, 88 कालेज दड़बे जैसे जीर्ण-शीर्ण कमरों

(श्री अशोक लाहोटी)

में क्लासें चल रही हैं, जिनमें बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि उसमें तीन यूनिवर्सिटीज भी शामिल हैं, जो दड़बे जैसी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में चल रही हैं। माननीय सभापति महोदय, कई धर्मशालाओं में चल रही हैं तो कई किराये की बिल्डिंग में, जहां पर न तो फर्नीचर है, न पूरी लाइट है, न पंखे हैं, न पीने का पानी है, न ही टायलेट है। हम नौजवानों को किस प्रकार की उच्च शिक्षा दे रहे हैं? यह युवा कल का नागरिक नहीं, आज का नागरिक है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 57 प्रतिशत युवा राजस्थान की वोटर लिस्ट में है, जो 25 साल से कम उम्र का है। माननीय सभापति महोदय, यह कोई गलतफहमी नहीं रखें हम कि जिस प्रकार से विद्याधर नगर से आने वाले माननीय सदस्य के जवाब में आपने कहा कि हमने कालेज खोलने की मान्यताओं को बिना बदले हुए, बिना बिल्डिंग के, बिना एक्ट में बदलाव किये हुए इसी पवित्र सदन में आपने 155 कालेजों की घोषणा कर दी। क्या यह राजस्थान विधान सभा की अवमानना नहीं है, क्या हमारी उच्च शिक्षा नीति की अवमानना नहीं है? जहां एक तरफ पहली बार 30 सालों के बाद में देश के प्रधान मंत्री नई उच्च शिक्षा नीति इस देश में लागू कर रहे हों और हम दूसरी तरफ इस प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट कम्पनी को यूनिवर्सिटी खोलने की अनुमति दे रहे हैं, जिनकी कैपिटल के बारे में भी यहां पर सामने आया है।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में 89 यूनिवर्सिटीज में से मात्र 17 विश्वविद्यालय के पास उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता चैक करने का मापदण्ड है। नैक एक्रेडिटेशन जो ग्रेड है, वह केवल 17 यूनिवर्सिटीज के पास है अभी तक। (व्यवधान) राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, मेरा निवेदन है कि आपको मंत्रीजी से जो काम है, वह थोड़ी देर के बाद कर लें, यह कुछ मेरी बात सुनकर लिख लेंगे तो हमारा भला हो जाएगा। माननीय मेरा आपसे निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के 2,413 कालेजों में से मात्र 80 कालेजों के पास नैक एक्रेडिटेशन है। यह हमारी उच्च शिक्षा की स्थिति है। माननीय सभापति महोदय, इंडिया रैंकिंग की तो बात ही छोड़ दो आप। इंडिया रैंकिंग की बात करते हो तो 10 में तो हमारी एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। 100 में से तीन हैं, वह भी केवल टैक्निकल कालेज हैं, एक भी हमारी यह पी.जी.

(श्री अशोक लाहोटी)

और यू.जी. की कालेज नहीं है जो कहीं पर आती हो। उच्च शिक्षा के स्तर में छह वर्षों में 50 प्रतिशत की गिरावट आयी है सारे मापदण्डों के रिसर्च में।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र का एक छोटा-सा उदाहरण दे रहा हूं। इसी सदन में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सांगानेर में एक कालेज खोलने की घोषणा की थी। हम विपक्ष में होकर भी हमने ताली बजायी थी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के नौजवानों का भला होगा। लेकिन मुझे बड़ी शर्म और दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तीसरे साल में भी वहां केवल 6 लेक्चरर और स्टाफ मिलाकर हैं। 450 बच्चों ने एडमिशन ले लिया और स्कूल के कमरों में से 3 कमरे रोककर कालेज चल रही है। तीन बार मैंने पत्र भी लिख दिया। जगह मैंने बता दी कि यह 27 बीघा जगह पड़ी है, फण्ड के लिए भी कह दिया कि आपको जरूरत होगी उतना फण्ड मैं विधायक कोष से देने के लिए तैयार हूं, आप बिल्डिंग बनाने की शुरुआत करो, लेकिन राजस्थान की सरकार को केवल घोषणाओं की चिन्ता है, कालेज की चिन्ता नहीं है। आज वहां का विद्यार्थी दर-दर की ठोकरें खा रहा है और उन विद्यार्थियों का भविष्य अन्धकार में है। उसी का परिणाम है कि राजस्थान में बेरोजगारी की दर हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा है। जो आप कल टेबल बजा रहे थे बजट के समय, लाखों नौकरियों की घोषणाएं कर रहे थे, मैं आपको कह रहा हूं कि आप अन्तरात्मा की आवाज से सौगन्ध खाकर कह दो कि यह वाकई नौकरियां मिली हैं, तो राजस्थान बेरोजगारी की दर में देश में अव्वल कैसे आया? इसका जवाब कौन देगा?

माननीय सभापति महोदय, केवल इतना ही नहीं, आज यह देखें कि आज हालत क्या है? हमारे यहां पर एक महिला महाविद्यालय और खोलने की घोषणा की है बजट में। आप गर्ल्स कालेज के लिए भी तीन कमरे रोक लोगे, क्योंकि सरकार के पास देने को बजट नहीं है। मैं इन बजट के आंकड़ों पर जाऊंगा तो और भी पोल खुल जाएगी। बजट में कुछ है ही नहीं। 'थोथा चना, बाजे घणा' बजट में कुछ नहीं है, केवल टेबल बजा लो आप, मंत्री महोदय, उससे कालेज नहीं खुलेगी। मेरा निवेदन है कि आज श्रम रिकार्ड के अनुसार 53 प्रतिशत युवाओं में कौशल की कमी है। हम कौनसी यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं? वही कापी-पेस्ट कोर्सेज वाली। आज जाकर देखो सोनीपत की अशोका यूनिवर्सिटी, आप ही की पार्टी से रिलेटेड हैं जिन्दल, मैं उनकी यूनिवर्सिटी का भी कह रहा हूं। किस तरह के नये कोर्सेज देश की शिक्षा नीति के साथ लागू

(श्री अशोक लाहोटी)

हुए हैं। आज चेन्नई की कीलेज जाकर देखो, आज मुम्बई की कालेज जाकर देखो, ऐसे-ऐसे कोर्सेज हैं जहां दुनिया के लड़के पढ़ने आते हैं और हम आज भी वही बाबा आदम के जमाने के कोर्सेज खोलने की बात कर रहे हैं। केवल किसी व्यक्ति विशेष को फायदा देने के लिए यूनिवर्सिटी खोलकर उसको उपकृत करना चाहते हैं, जैसे आपने पहले खोली थी।

माननीय सभापति महोदय, इस बिल के साथ-साथ मैं एक बात मंत्रीजी को आपके माध्यम से, यह बताना चाहता हूं कि उच्च शिक्षा में हमारी स्थिति क्या है? आपके पास आयुक्तालय कालेज के स्वीकृत पदों की कह रहा हूं, बाकी नीचे के पदों पर नहीं जा रहा। 204 पद हैं, उनमें से 57 पद रिक्त हैं। आपके 12,799 में से 6,432 पद रिक्त हैं। आज राजस्थान में 50 प्रतिशत पद रिक्त हैं। राजस्थान में उच्च शिक्षा की यह स्थिति है नौजवानों की।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे मांग करता हूं कि इस बिल के पाइंट नम्बर 48 में इस पूरी यूनिवर्सिटी को जब भी खोला, जिससे मुख्य मंत्रीजी छात्र राजनीति से आये, इस सभा में करीब 50 सदस्य ऐसे हैं जो छात्र राजनीति से आये हैं, चाहे जे.पी. आन्दोलन का मूवमेंट हो, राजस्थान में छात्र संघों के चुनाव बन्द पड़े हैं। मंत्री महोदय, आज इस यूनिवर्सिटी के बिल में यह भी घोषणा करें कि राजस्थान के सारे सरकारी और गैर-सरकारी कालेजों के छात्र संघ के चुनाव आप किस तारीख से शुरू करवाना चाहते हैं और इस यूनिवर्सिटी के बिल में भी यह साफ लिखें कि छात्र संघ का चुनाव का कैलेण्डर इसके 48 अमेंडमेंट में आप डालें। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें लिखा हुआ नहीं है। यह यूनिवर्सिटी के प्रोसीजर का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। हम सब उस बैक-ग्राउण्ड से आये हैं वरना वही कि परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति चलेगी।

(समय: 14.56 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, बस दो मिनट का और समय दें। माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ ..(व्यवधान)

श्री सभापति: जितना आप बोल रहे हो, माननीय सदस्य, उतना तो स्कोप ही नहीं है।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): में इसका खुलासा नहीं हुआ कि अनुसूची के बिन्दु संख्या 2 के अनुच्छेद 2, 3 (क)(ख) और 4 बिन्दु संख्या (2), बिन्दु संख्या 4 के (1), (2) खण्ड 3 और खण्ड 4, बिन्दु संख्या 5, 6 और 7 यह सुविधाएं वर्तमान में विद्यमान हैं या भविष्य में होंगी? आपने तो यह लिख दिया बिन्दु में कि यह-यह सुविधाएं होंगी। यह वर्तमान में हैं क्या? इनका इंस्पेक्शन हुआ है क्या? यह सब तैयार हैं क्या? यदि नहीं हैं तो क्या यह किराये की बिल्डिंग में चलेगी या कितने समय में बनकर तैयार होगी, क्योंकि आपके बिल में आपने लिखा है कि यह सुविधाएं होंगी। यह सुविधाएं हैं, यदि नहीं हैं तो यू.जी.सी. से अप्रूव्ड नहीं होंगी और यदि हैं तो आप घोषणा करें कि हैं।

श्री सभापति: श्री बिहारीलाल।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): क्योंकि मैंने तो जानकारी ली है कि यह एक भी सुविधा वर्तमान में वहां पर मौजूद नहीं है। माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ ही मैं आज जिस प्रकार से..(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें। प्लीज सहयोग करें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट और लूंगा।

श्री सभापति: नहीं-नहीं, प्लीज सहयोग करें। माननीय सदस्य.. (व्यवधान)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, मैं बिल पर ही बोल रहा हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट, विराजिये आप। एक मिनट विराजिये।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): मैं बिल पर ही बोल रहा हूं, अलग से नहीं बोल रहा।

श्री सभापति: एक मिनट विराजिये आप। आज फ्राइडे है, सभी जाना चाहेंगे। इस तरह से यदि आप 15-15 मिनट लेने लगेंगे तो मैं बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा। अब आप बस समाप्त करें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट में कर दूंगा।

श्री सभापति: बिलकुल भी अलाउ नहीं करूंगा। श्री बिहारीलाल।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): दो मिनट और।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। आप तो जयपुर में रहेंगे, बाकी सब लोगों को बाहर जाना है। श्री बिहारीलाल। आपको बोलना है?

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति जी, नया विश्वविद्यालय व्यास विद्या पीठ विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2022 का बिल लेकर माननीय मंत्रीजी आये हैं। अभी कई माननीय सदस्यों ने और उपनेता, प्रतिपक्ष ने जो बात कही कि विश्वविद्यालय शिक्षा का मन्दिर है, तक्षशिला, नालन्दा का उदाहरण भी सदन में दिया गया। आज जोधपुर के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जे.एन.वी.यू. में किस तरह शिक्षकों की भर्ती हुई और किस तरह वी.सी. को जेल जाना पड़ा, वह उदाहरण भी हमारे सामने है, फिर भी यह व्यास विद्या पीठ विश्वविद्यालय, जोधपुर का विधेयक लेकर सरकार आयी है। अनुसूची एक की बातें की गयीं। मैं सीधे-सीधे अनुसूची दो पर बात कहना चाहूंगा। विश्वविद्यालय निम्नलिखित शाखाओं में अध्ययन और अनुसन्धान का जिम्मा लेगा तथा फिजिकल-डिजिटल दूरस्थ शिक्षा और अन्य सुगम तरीके से प्रमाण-पत्र, डिप्लोमा, स्नातक उपाधि, स्नातकोत्तर उपाधि, सुपर स्पेशियलिटी डॉक्टोरल और पोस्ट-डॉक्टोरल कार्यक्रम प्रदान करेगा। मतलब, हम जो यूनिवर्सिटी कुकुरमुत्तों की तरह राजस्थान में खोलते जा रहे हैं, वह विद्या के प्रांगण न होकर डिग्रियां बेचने की दुकानें मात्र बनकर रह गयी हैं और यह न तो नैक एक्रेडिटेशन को पूरा करते हैं और न ही यूजीसी के नियमों को पूरा करते हैं और दूरस्थ शिक्षा को भी इसमें शामिल किया गया है।

(समय: 15.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, जोधपुर की जे.एन.वी.यू. पुरानी यूनिवर्सिटी है। आज तो जोधपुर में आई.आई.टी., एम्स, निफ्ट, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आयुर्वेद विश्वविद्यालय, डिजिटल यूनिवर्सिटी, एम.बी.एम., एन.एल.यू. अनेकों हैं, शिक्षा का हब बन चुका है, लेकिन सबसे पुरानी जे.एन.वी.यू. में एम.ए. बन्द होने के कगार पर है। क्यों बन्द होने के कगार पर है? दूरस्थ शिक्षा, कोटा विश्वविद्यालय की वजह से, कोटा में एक लाख 10 हजार स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 65 हजार जोधपुर सम्भाग के छात्र हैं। जे.एन.वी.यू. में ऐसे अनेकों पाठ्यक्रम हैं जो बन्द होने के कगार पर हैं, जिनमें मनोविज्ञान, संस्कृत,

(श्री बिहारीलाल)

पत्रकारिता, डिफरेंस स्ट्रेटेजी, अर्थशास्त्र, ललित कला, संगीत, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, लोक प्रशासन हैं।

जेएनवीयू के अधिष्ठाता, कला संकाय कहते हैं कि जे.एन.वी.यू. प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय था जिसने सी.बी.सी.एस. सिस्टम लागू किया, इसमें सिलेबस भी स्टैंडर्ड का बनाया, लेकिन विद्यार्थी कक्षा में आये बगैर आराम से पास होना चाहते हैं इसलिए जे.एन.वी.यू. से मुंह मोड़ रहे हैं और कोटा की तरफ जा रहे हैं।

सभापति महोदय, दूरस्थ कक्षा का प्रावधान क्यों किया गया था? उसका पवित्र उद्देश्य यह था कि कोई अपनी सर्विस में रहते हुए हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहे तो उसको अवैतनिक अवकाश ना लेना पड़े। इसी मंशा के साथ दूरस्थ शिक्षा का प्रावधान किया गया था। आज टैक्निकल एजुकेशन में भी, विज्ञान वर्ग में भी, प्राणी शास्त्र हो, चाहे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र में भी दूरस्थ शिक्षा से डिग्रियां मिल रही हैं। प्रयोगशाला का 'प' नहीं जानते, लैबोरेट्री का 'ल' नहीं जानते, ना बीकर, ना परखनली जानते, ऐसे-ऐसे लोग स्नातकोत्तर डिग्री लेकर, नये विज्ञान के विद्यालयों में शिक्षक बनकर बैठे हैं।

माननीय सभापति महोदय, अगर इंजीनियर इस तरह की पढ़ाई करके बन जाये तो वह एक घर का नुकसान करता है, लेकिन अगर शिक्षक इस तरह के विश्वविद्यालयों में पढ़कर आने वाले भविष्य को विज्ञान संकाय पढ़ाने के लिए जायेंगे तो किस तरह के देश का निर्माण करेंगे? हिन्दुस्तान के भविष्य पर सवालिया निशान खड़ा कर देंगे। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि दूरस्थ शिक्षा के इस प्रावधान की वजह से यह हो रहा है। इसमें भी आपने नये विश्वविद्यालय की अनुसूची-2 में दूरस्थ शिक्षा में इतनी सारी बातें जोड़ दी हैं।

राजस्थान पत्रिका कहता है कि कोटा विश्वविद्यालय के कारण जे.एन.वी.यू., जोधपुर में एम.ए. कोर्सेज बन्द होने के कगार पर हैं। मैंने आपको दर्जनों उदाहरण दिये कि यह सब्जेक्ट बन्द होने की स्थिति में हैं। वहां कुल सैंक्शन सीटों के 10 परसेंट एडमिशन भी नहीं हैं। इसमें जो आप दूरस्थ शिक्षा का दे रहे हैं, तो यह जो बचे-खुचे 10 परसेंट एडमिशन ले रहे हैं जे.एन.वी.यू. में, वह भी एडमिशन नहीं लेंगे।

सभापति महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि आप यह जो बिल लेकर आये हैं, उसमें इस तरह के विश्वविद्यालयों को परमिशन देना कतई

(श्री बिहारीलाल)

जायज नहीं है। शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे, इसी को ध्यान में रखते हुए मैं कहना चाहूंगा कि इसको जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये। उसके बाद इस पर सदन में दुबारा चर्चा की जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री वासुदेव देवनानी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आज व्यास विद्या पीठ विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक पर चर्चा हो रही है। हमारे समय में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खोलने की बात हुई। हम यह बिल लाये थे, वह इस उद्देश्य से लाये थे कि विद्यार्थी को, युवाओं को उसके निकटतम स्थान पर आधुनिक शिक्षा मिले, वहां पर अनुसंधान और अध्ययन की व्यवस्था हो, संस्थान के पास उच्चतर शिक्षा हेतु सारे संसाधन हों, सारी योग्यता, गुणवत्ता वाले अध्यापक हों। लेकिन जिस तरह से लगातार इस सरकार में हर सत्र में इस प्रकार के प्राइवेट विश्वविद्यालयों के विधेयक लाकर के उनको अनुमति दी जा रही है, कभी विचार किया है कि उन विश्वविद्यालयों में क्या स्ट्रक्चर है? क्या व्यवस्थाएं हैं? उससे पहले जो प्राइवेट विश्वविद्यालय खुले हैं, आज उनकी क्या स्थिति है?

अभी हमारे उप नेता ने अलवर में निजी विश्वविद्यालय की चर्चा की। सनराइज यूनिवर्सिटी उसका नाम है। वहां पर किस प्रकार से तो एडमिशन दिये गये हैं, किस प्रकार से डिग्रियां दी गयी हैं। वहां से कई लोगों ने डिग्रियां प्राप्त करके नियुक्तियां भी पा लीं, वह पदोन्नत भी हो गये। हालांकि उनमे से अधिकांश लोग यूपी, पंजाब, झारखण्ड, बिहार और छत्तीसगढ़ में गये हैं। लेकिन जब जांच गयी तो उसी विश्वविद्यालय के पास गयी। वहां भी पुलिस की मिलीभगत के कारण उसके कोई परिणाम नहीं आये। इस प्रकार के यदि निजी विश्वविद्यालय खुलेंगे, फर्जी पीएचडी की डिग्री लेकर चलेंगे तो यह केवल कागजों में प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुली रहेंगी, कालेजेज खुले रहेंगे।

जब यह खुलते हैं तो आपको रजिस्टर भी दिखाते हैं। एक फर्जी रजिस्टर में उनकी एंट्रियां होती हैं कि हमारे यहां इतने टीचर्स हैं। आपके सरकारी विश्वविद्यालयों में तो टीचर्स नहीं हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के पास टीचर्स की भरमार है। यह यूजीसी के नोर्म्स में है, फैकल्टी, स्टाफ, संसाधन कुछ भी नहीं हैं। जब उनका इंस्पेक्शन करने जाते हैं तो वह भी मिलीभगत से होता है। इसमें 2 जेएनयू के प्रोफेसर इंस्पेक्शन कमेटी में हैं।

(श्री वासुदेव देवनानी)

जेएनयू के हाल क्या हैं? यह अभी हमारे मित्रों ने आपको बता दिया। जेएनयू यूनिवर्सिटी वह है जहां पर 54 लोगों के कोर्ट में केसेज चल रहे हैं, फिर भी BOM ने उनको रेगुलराइज करके नियुक्तियां दे दी। क्या इस प्रकार विश्वविद्यालय चलेंगे? क्या इस प्रकार की स्थितियां होंगी?

सभापति महोदय, शिक्षा की गुणवत्ता से इस सरकार को कुछ लेना-देना नहीं है। जोधपुर के सरदारपुरा के रहने वाले हैं इसलिए उस विश्वविद्यालय को अनुमति दे दो। यही एक मात्र कारण दिखता है। बाकी जिस प्रकार से वह कंपनी रजिस्टर्ड हुई, जिस प्रकार से सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई, शिक्षा का कोई अनुभव नहीं है। यह प्राइवेट रजिस्टर्ड कंपनियां और सोसाइटियां, इनमें आज संचालनकर्ता कौन है, उसका कोई पता ठिकाना नहीं है। कहीं उसका शिक्षा का अनुभव नहीं।

सभापति महोदय, मेरा मानना है कि सरकार प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर अंकुश इसलिए नहीं लगा रही है क्योंकि सरकारी विश्वविद्यालयों के यह हाल हैं। सरकार ने अभी 3 विश्वविद्यालयों की घोषणा की, तीनों विश्वविद्यालयों में न कहीं कमरे हैं, न किसी प्रकार की व्यवस्था है, न उसका भवन है। इस प्रकार के यदि विश्वविद्यालय करोगे तो सरकारी विश्वविद्यालय भी जोधपुर और जयपुर में खोलते जाओ। अजमेर ने तो पता नहीं क्या कसूर कर दिया कि अजमेर में पुराने महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी के अलावा एक भी सरकारी विश्वविद्यालय नहीं है।

आज राजस्थान के 33 जिलों में से 30 जिले उच्च शिक्षा में पिछड़े हुए हैं। इसका कारण यह है कि यहां का विद्यार्थी जो डिग्री लेकर जाता है, उस डिग्री की कोई वकत नहीं होती। उसकी कोई गुणवत्ता नहीं होती।

सभापति महोदय, मेरी आपसे मांग है कि यहां जिसके नैक एक्रेडिटेशन नहीं हों, उसमें कहीं न कहीं नैक एक्रेडिटेशन कराया जाये। गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाये। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर अंकुश लगाने के लिए, उसकी जांच के लिए किसी प्रकार के नियामक, कोई व्यवस्था हो...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कन्क्लूड करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): जिसके कारण से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मनमानी नहीं कर सकें। नयी पर नयी आप खोलते जा रहे हो, उस पर जब तक नियामक आयोग का अंकुश नहीं होगा, तब तक गुणवत्ता

(श्री वासुदेव देवनानी)

नहीं मिलेगी। राजस्थान और देश भर के छात्र ठगे से रह जायेंगे। वह इतनी दूर से इसलिए आते हैं कि यहां अच्छी गुणवत्ता होगी, लेकिन गुणवत्ता नहीं होकर केवल फर्जी डिग्री है। उन फर्जी डिग्रियों की भी जांच किस प्रकार से हो रही है?

सभापति महोदय, मेरी सरकार से मांग है कि विश्वविद्यालय खोलने में जल्दबाजी मत करो। 52 पहले से ही हैं। पर्याप्त हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य। समाप्त करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): खोलने की परमिशन होनी चाहिए लेकिन उसकी आप जांच ढंग से करें। इस बिल को जनमत हेतु परिचालित किया जाये। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे सरकार द्वारा लाये गये व्यास विद्या पीठ विश्वविद्यालय, जोधपुर, जो कि निजी विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, उस पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो यह कहते हैं कि शिक्षा के राजनीतिकरण को बन्द किया जाना चाहिए ताकि ठीक दिशा में शिक्षा और उसके उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता जा रहा है, वैसे-वैसे शिक्षा का राजनीतिकरण और दृढ़ होता जा रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम सब प्रकार के निर्णय करते हैं। अभी हमारे प्रतिपक्ष के उप नेता ने बहुत सारी बातें इसके सन्दर्भ में कहीं हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं इतना निवेदन करना चाहती हूं कि जितने पूर्व में निजी विश्वविद्यालय खुले हुए हैं उन सबके बिल यहां विधान सभा में आये हैं, हमने यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए उनको पारित किया है, लेकिन जितने निजी विश्वविद्यालय अब तक खुले हैं, उनकी क्या गुणवत्ता है? क्या वह मापदंडों के अनुसार अपना कार्य कर रहे हैं या उनका शैक्षणिक स्तर धीरे-धीरे नीचे गिरता जा रहा है? शिक्षा का व्यवसायीकरण यदि कहीं हुआ है तो निजी यूनिवर्सिटीज में सबसे ज्यादा हुआ है। मैं निजी यूनिवर्सिटीज

(श्रीमती अनिता भदेल)

के बारे में 4-5 उदाहरण देना चाहूंगी। निजी यूनिवर्सिटीज ने कैसे यहां बिल पास कराकर उसका दुरुपयोग किया।

माननीय सभापति महोदय, +++ की फर्जी डिग्री जारी करने, बिना अध्यापन के डिग्रियां जारी करने, अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर नागौर में फार्मेसी कालेज की परीक्षा आयोजित करना, विनियामक निकायों के नियमों, परिनियमों, मापदण्डों का उल्लंघन करना, बैक डेट में डिग्री जारी करना, आफ सेंटर संचालित करने की शिकायतें मिलीं। यानी कि आपके कैम्पस में नहीं दूसरे जिले में जाकर कैम्पस को संचालित करना और वहां डिग्रियां देना। इस प्रकार की हजारों शिकायतें निजी विश्वविद्यालयों की, हर जिले की, मैंने झुंझुनूं की यूनिवर्सिटी का उदाहरण दिया है। इसी प्रकार से झुंझुनूं की दूसरी यूनिवर्सिटी +++ उसने भी ऐसा ही किया। 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन कर 5,000 से अधिक गाइड नियुक्त कर शोध कार्य करवाया। नियम विरुद्ध बाहर की फैकल्टी को शोध निरीक्षक नियुक्त कराया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, किसी यूनिवर्सिटी का नाम आप अंकित नहीं करें। वो अपना जवाब दे नहीं पायेंगे। आप सिर्फ यह बतायें कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में इस तरह से होता है। इंडिविजुअली किसी का नाम अंकित नहीं होगा।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ठीक है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको इतना ही बताना चाह रही हूं कि निजी विश्वविद्यालय किस तरह से गड़बड़ी करके दो नुकसान और दो फायदे किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। एक तो शिक्षा की गुणवत्ता गिरती है और गुणवत्ता के साथ में जिस बच्चे ने उस कोर्स को किया ही नहीं है वो फर्जी डिग्री उसको मिलती है और फर्जी डिग्री लेकर वह रोजगार के लिए काम करने के लिए जाता है, उसको वो रोजगार नहीं मिलता है और मिल भी जाता है तो चूंकि उसको वह काम नहीं आता है, तो किस तरह से मानव संसाधन का अवमूल्यन होता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये निजी यूनिवर्सिटियां प्रस्तुत करती हैं।

माननीय सभापति महोदय, जैसा कहा कि इसमें आपने इस यूनिवर्सिटी के निरीक्षण की कमेटी बनायी है, उस कमेटी में, मैं पढ़ना चाहूंगी कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त समिति द्वारा ली गयी है, जिसके सदस्य कुलपति, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा, राजस्थान

(श्रीमती अनिता भदेल)

तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा के बारे में हम सब जानते हैं कि वहां क्या स्थितियां बनी हुई हैं। आचार्य, विद्युत अभियांत्रिकी, जयनारायण विश्वविद्यालय, जोधपुर, आचार्य, कम्प्यूटर विज्ञान, जयनारायण विश्वविद्यालय, जोधपुर, तो जोधपुर में ये निजी विश्वविद्यालय खुल रहा है तो जोधपुर की यूनिवर्सिटी के दो आचार्यों को लेने की क्या जरूरत थी, दो प्रोफेसर्स को लेने की क्या जरूरत थी? दूसरे शहर में जाकर दूसरे प्रोफेसर्स को लिया जा सकता था लेकिन किस तरह से साठगांठ से रिपोर्ट बहुत अच्छी बनायी जा सके, इसमें कितने सुन्दर शब्दों का इस्तेमाल किया जा सके और क्या हेरफेर करके, किस भाषा का उपयोग करके सुन्दर तरीके से इसको सदन के पटल पर रखें ताकि पढ़ने वाले महानुभाव इसको समझ सकें कि कितना सुन्दर ये बिल लेकर आये हैं।

माननीय सभापति महोदय, हर बार नैक से सम्बद्धता की बात की जाती है। मैं यह बताना चाहूंगी कि क्या स्थिति है। हमारे राजस्थान में जो यूनिवर्सिटी और कालेज हैं, वो रैंकिंग में बहुत पीछे हैं बहुत पिछड़े हुए हैं और पूरे हिन्दुस्तान के 100 में भी हमारी संख्या नहीं है, चाहे निजी हो या सरकारी, कहीं हमारी संख्या नहीं है। जयनारायण विश्वविद्यालय में जिस तरह से 153 लोगों को रेगुलराइज किया गया है बोम की मीटिंग करके, यह सबसे ज्यादा शर्मनाक है कि आप अपने किसी मिलने वाले को, चाहने वाले को यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की नौकरी दिलाने के लिए इतना बड़ा, पारदर्शिता के बगैर इतना बड़ा घोटाला आप करो और उसको एप्रिशिएट भी करो, चिट्ठी लिखकर मुख्य मंत्रीजी एप्रिशिएट कर रहे हैं, यह बड़े शर्म की बात है। कितने बड़े भ्रष्टाचार के आधार पर जिन लोगों की नियुक्ति हुई और बाद में वो पकड़े गये, जेल गये, उन लोगों को आप एप्रिशिएशन लैटर लिख रहे हो, तो शिक्षा की गुणवत्ता को समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगी कि जिस तरह से ये निजी यूनिवर्सिटी लेकर आये हैं, उस निजी यूनिवर्सिटी में जो कोर्स आपने डिफाइन किया है कि ये-ये करके कोर्स ये यूनिवर्सिटी करा सकती है मैं आपसे एक निवेदन करती हूं कि आज समय की मांग के अनुरूप जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है, अभी पिछले बिल को पास करते समय माननीय

(श्रीमती अनिता भदेल)

मंत्री महोदय कह रहे थे कि हमारे पास लोग नहीं हैं सरकारी नौकरियों में आने के लिए, फोरेंसिक साइंस के लोग नहीं हैं तो हम कैसे उनको नियुक्ति दें। क्या हम कोशिश नहीं कर सकते कि इस तरह के कोर्सेज को जो राजस्थान की यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो सरकारी हों या प्राइवेट, उन कोर्सेज को उनमें जबरदस्ती लागू करने की कोशिश करें, चाहे प्रोत्साहन के रूप में कुछ दें या किसी एप्रिशिएशन के माध्यम से दें, कि यदि यूनिवर्सिटी ये कोर्स चलायेंगी तो हम इस तरह से उनको पुनर्भरण राशि देंगे या प्रोत्साहन के रूप में कोई इनाम देंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि उद्योगों में ग्लोबल डिमांड के अनुसार यूनिवर्सिटीज में कोर्सेज चलाये जायें।

श्री सभापति: समाप्त करें। कृपया सहयोग करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, मैं यूनिवर्सिटी के बारे में बोल रही हूं, इधर-उधर नहीं बोल रही हूं।

श्री सभापति: इतना बड़ा इसका स्कोप नहीं है जितनी बड़ी आप इसकी व्याख्या कर रही हैं।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं ऐसा नहीं कर रही हूं। मैं जो बात है वो कहना चाह रही हूं।

श्री सभापति: समाप्त करें। कृपया सहयोग करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि राजस्थान की जो यूनिवर्सिटीज हैं, मैं तो अजमेर की बात करती हूं, अजमेर की एमडीएस यूनिवर्सिटी जो सरकारी यूनिवर्सिटी है, 1987 में खुली। आप देखिये 30 विभाग हैं और स्थायी शिक्षक कितने हैं? 16 शिक्षक हैं 30 विभागों में। 40-42 रिक्त पद हैं और इससे जिन कालेजों की सम्बद्धता है वो 307 हैं। पिछली बार जिस तरह से उप कुलपति के द्वारा भ्रष्टाचार किया गया, परीक्षा केन्द्र बनाये गये।

श्री सभापति: समाप्त करें। कृपया सहयोग करें। ऐसे नहीं।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): पिछले दस सालों में अस्थायी शिक्षकों के रूप में, अस्थायी कुलपति के रूप में 8 लोगों को चार्ज दिया गया।

श्री सभापति: समाप्त करें। कृपया सहयोग करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): बस एक मिनट में समाप्त कर रही हूं।

(श्रीमती अनिता भदेल)

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि इस तरह से विश्व स्तरीय शोध केन्द्र राज्य सरकार की योजनाओं में जो भागीदारी निभाये उनको हमको प्रोत्साहन देना चाहिये। कई विभागों में प्रोफेसर, रीडर और लेक्चरर जो गुणवत्ता वाले हैं, उनको अपोइंट किया जाना चाहिये। स्टार्टअप, मेक इन इंडिया, तकनीकी नवाचार में भागीदारी हमारी नहीं के बराबर है। इसलिए राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर इंटीग्रेटेड कोर्स और शोध संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिये। अन्तरराष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालयों, नामचीन विश्वविद्यालयों के साथ हमको एमओयू करना चाहिये। कला, विज्ञान और वाणिज्य के पुराने कोर्सेज में अपग्रेडेशन करके उसमें नई चीजों को शामिल करना चाहिये। ऑनलाइन एग्जाम का कोई प्रावधान नहीं है इसलिए ऑनलाइन एग्जाम, चूंकि अब तो ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है, उसको हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, वो भी किया जाना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, यह जो बिल लेकर आये हैं उसकी निन्दा करती हूं और माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करती हूं कि इसको 6 माह के लिए जन मत जानने के लिए परिचालित करें।

श्री सभापति: श्री सतीश पूनियां (अनुपस्थित), श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी। माननीय सदस्य मैं आपको ये पूरे पांच पृष्ठ पढ़ने की इजाजत नहीं दूंगा। या तो आप इसको टेबल कर दें या पर्टिकुलरली इसी पर केन्द्रित रहें। इस तरह से नहीं। (व्यवधान) बोलिए आप।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत संक्षेप में अपने पाइंट रखूंगी ताकि सदन का समय बिलकुल भी बर्बाद न हो।

माननीय सभापति महोदय, वैसे तो उप नेता, प्रतिपक्ष ने सारे पाइंट्स और माननीय सदस्य जो अजमेर दक्षिण से जो आती हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से रखे हैं।

माननीय सभापति महोदय, यदि मैं संक्षेप में अपनी बात कहूंगी तो सबसे पहले व्यास विद्या पीठ विश्वविद्यालय, संस्कृत में विश्वविद्यालय का मतलब ही विद्या पीठ होता है। मुझे लगता है कि यह चालू ही गलत तरीके से हुआ है, या तो विद्या पीठ रहे या व्यास विश्वविद्यालय रहे।

माननीय सभापति महोदय, जैसे कि सभी ने बताया कि यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनने से जिस प्रकार फर्जी डिग्रियों का एक तरीके से

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

युवाओं के साथ होता है, जैसे रीट में हमने देखा है, वैसे ही यूनिवर्सिटीज अगर हम बनाते जायेंगे बिना किसी स्टेट एक्रेडिटेशन के, बिना किसी रूल्स को फोलो किये, या तो ये सदन में रखें कि ये-ये रूल्स और ये-ये नोर्म्स विश्वविद्यालय ने फोलो किये हैं और उसके हिसाब से हमने यूनिवर्सिटीज को बनाने की घोषणा की है, तो हमें भी पता पड़ेगा कि कहीं न कहीं, किसी न किसी के साथ गलत नहीं होगा।

माननीय सभापति महोदय, दस साल पहले जब मैं कालेज में थी और मैं भी एक डीम्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट हूं, हम लोगों के वहां पर पर्टिकुलर नोर्म्स हुआ करते थे, हमें भरोसा है उस यूनिवर्सिटी पर कि आज कितने भी साल हो जायेंगे पर कुछ भी फर्जीवाड़ा नहीं होगा। आज जिस तरीके से राजस्थान में, जैसा कि विधायक अनिताजी ने बहुत अच्छे से बोला कि एक भी जगह हम लोग राजस्थान में यदि यूनिवर्सिटी की बात करें तो कोई टोप क्लास यूनिवर्सिटी हमारे यहां पर नहीं है, तो कहीं न कहीं हमें उस बारे में जरूर से जानना चाहिए कि इसका क्या कारण है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को रूल्स देना कि हां आपने उसको फोर्म कर दिया और उसके बाद उसकी पूरी कमेटी अच्छे से उनको देखे कि किस तरीके से अच्छा वो परफोर्म कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, यूजीसी के नियम बने हुए हैं। क्या नियमों में यह हुआ है? यदि हुआ है तो इस यूनिवर्सिटी को यह प्रस्तुत करे, हमें भी एफिडेविट बतायें, वो इसमें नहीं किया है।

माननीय सभापति महोदय, एक और बात आपको कहना चाहूंगी कि आज कोई भी यूनिवर्सिटी बनती है तो यह बहुत खेद की बात है कि कहीं भी जो प्रोफेसर्स होती हैं, विशेषकर मैं महिला प्रोफेसर्स के बारे में बात कहना चाहूंगी, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार हो रहा है। ज्यादा दूर नहीं, मोहन लाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी बहुत चर्चा में है अखबारों में, लेकिन उसमें एक महिला प्रोफेसर को हार्ट अटैक हो जाता है जस्ट बिकॉज इसलिए कि कुलपति ने उनको अभद्र भाषा में जिस प्रकार से बात की और जिस तरीके से उनको बोला गया तो ऐसे भी नोर्म्स इसमें जरूर आयें, जिसके अन्दर आपके डेफिनेटली यह डाल सकें कि किस तरीके से महिला प्रोफेसर या कोई भी महिला अगर आपके यहां काम कर रही है तो उनके साथ किस तरह से बिहेवियर होगा, इसका आपको इसमें डालना चाहिए ताकि सबको पता पड़े कि किसी महिला को आप गाली नहीं दे सकते।

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

माननीय सभापति महोदय, क्योंकि आपने कहा कि बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रखूं तो एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि इतनी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज राजस्थान में हो गयी हैं, आप इन सबको एक अम्ब्रेला एक्ट में डालें। एक एक्ट होगा तो सब पर सुपरविजन रखना आसान होगा कि इस अम्ब्रेला एक्ट में हम किस प्रकार से किन रूल्स को फॉलो करवाएं ताकि यह फर्जीवाड़ा न हो और राजस्थान के युवा स्वयं को ठगा महसूस न करें। अगर हम एक यूनिवर्सिटी को इतनी पावर दे देते हैं कि वह अपने नियम बनाये तो फिर वह मन-मर्जी भी करती है और आगे फर्जीवाड़ा भी होता है।

धन्यवाद, सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से यही बोलना चाहूंगी कि छह महीने के लिए इस विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये।

श्री सभापति: श्री हमीर सिंह भायल (अनुपस्थित), श्री गोपीचंद मीणा (अनुपस्थित), श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, व्यास विद्या पीठ विश्वविद्यालय जोधपुर, विधेयक में संशोधन के लिए यह बिल लाया गया है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो कहा है, मैं उसमें अपने आपको समाहित करते हुए मांग करता हूं कि इसे जनमत जानने के लिए तीन माह के लिए परिचालित किया जाये।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां (अनुपस्थित), श्री कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, वास्तव में यह व्यास विद्या पीठ विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2022 एक नया विश्वविद्यालय के तौर पर राजस्थान की शिक्षा को ऊंचाई देने के लिए बहुत आवश्यक है और उस कारण से यह विधेयक लाया गया है। चाहे विश्वविद्यालय हमारे समय में खुले हों, चाहे आपके समय में, यदि हम गहराई से, ईमानदारी से देखेंगे तो ये डिग्री बांटने के व्यवसाय में लगे हुए लोग हैं। आप इसे अपने बहुमत से पास करा देना, कोई चिन्ता की बात नहीं है, लेकिन उन बच्चों के भविष्य पर भी विचार करें।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आखिर हमारे ये कदम, चाहे हमने यह गलती की, चाहे हमारे समय में विश्वविद्यालय खुल गये, चाहे आप खोलते चले जा रहे हैं, मैंने प्रारम्भ से प्राइवेट विद्यालय में नौकरी की है, आठवीं की मान्यता लेने के लिए भी हमें जिला शिक्षा अधिकारी के यहां इतनी बार जाना पड़ता था और इतनी बार इंस्पेक्शन के बाद पांचवीं से आठवीं की मान्यता मिलती थी। इतने मापदण्ड देखते थे। मैं सोचता हूं, राजस्थान की जितनी भी निजी शिक्षण संस्थाएं उस समय चलती थीं, उनका अपना एक स्तर था, क्योंकि वे किसी न किसी सरकारी विभाग के द्वारा देखी जाती थीं, समझी जाती थीं, लेकिन पता नहीं, पिछले कुछ सालों से हमारा एक स्वभाव बन गया कि प्राइमरी स्कूल खोलना मुश्किल है, यूनिवर्सिटी खोलना बहुत आसान है। इसमें आप अपना फर्ज निभायेंगे और हम अपना फर्ज निभायेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी हमसे सवाल जरूर करेगी।

आपने बहुत अच्छे शब्द लिए। उद्देश्य और कारणों का कथन- ''विश्व और देश में ज्ञान के सभी क्षेत्रों में तीव्र विकास के साथ-साथ कदम मिलाने के उद्देश्य से युवाओं को उनके निकटतम स्थान पर अधुनातन शैक्षिक सुविधाओं का उपबन्ध करने के लिए राज्य में विश्व स्तरीय आधुनिक अनुसन्धान और अध्ययन सुविधाओं का सृजन करना आवश्यक है''।

उच्च शिक्षा के कार्यों में विगत कई वर्षों से कई शैक्षिक संस्थाएं चल रही हैं। राजस्थान विकास संस्थान, जोधपुर, कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन एक पंजीकृत सोसाइटी है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उन्होंने एक करोड़ रुपये जमा कर दिये। अब धीरे-धीरे ये विश्वविद्यालय सेठों की गोद में जा रहे हैं। अच्छे विश्वविद्यालय भी होंगे, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि सभी खराब होंगे। यह देखना हमारा धर्म बनता है कि आखिर जो विश्वविद्यालय भविष्य के बच्चों को तैयार करेंगे, जहां बच्चों का भविष्य बनेगा, वे उस स्तर की सुविधाओं से युक्त हैं कि नहीं।

मेरी इच्छा है, ये जो 52 विश्वविद्यालय हमने राजस्थान में स्थापित किये हैं और आज 53वें की हम कर रहे हैं, कम से कम विधान सभा की एक कमेटी बनाकर इन 52 विश्वविद्यालयों के दर्शन करें आप, फिर यहां आकर एक रिपोर्ट दे देना कि वास्तव में ये जो 52 विश्वविद्यालय हैं, इनकी क्या स्थिति है। मैं बहुत विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं कि जिस प्रक्रार से हम इन सेठों के हाथों में ये अधिकार देकर फर्जी डिग्रियां, मेरा ऐसा विश्वास है कि अब तक राजस्थान के हमारे जितने सरकारी विश्वविद्यालय हैं, जब से प्रारम्भ हुए

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

तब से अब तक, जितने डाक्टर प्रोड्यूस नहीं किये, उससे ज्यादा तो हमारे इन प्राइवेट कॉलेजों ने डॉक्टरेट की डिग्रियां दे दीं। यदि आपको डाक्टरेट की डिग्री चाहिये तो उसकी भी फीस तय है।

इस प्रकार की गिरावट को रोकने की जिम्मेदारी लोकतंत्र में हमारी और आपकी है। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इन सारे विश्वविद्यालयों को नियंत्रित करने के लिए कोई तो कानूनी बॉडी बनाइये, जो वर्ष में कम से कम एक बार इनका निरीक्षण करके इनके बारे में रिपोर्ट दें कि ये चलने लायक हैं अथवा नहीं। खोल दिये होंगे हमने किसी कारण से विकास की दृष्टि से, एक बार उन्हें देखकर आ जायें और जो दो कमरों, चार कमरों में चल रहे हैं, उनकी यहां रिपोर्ट देकर मान्यता समाप्त करें ताकि यह अलवर वाला फर्जी डिग्री का काण्ड और जोधपुर वाला फर्जी डिग्री का काण्ड, कितने बच्चों के भविष्य के साथ हम खिलवाड़ करते जा रहे हैं।

विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है तो यह देखा जाता है कि यह एक गैर लाभकारी और कल्याणकारी ट्रस्ट या सोसाइटी है। ऐसी संस्था विश्वविद्यालय का प्रबन्धन करने में कितनी सक्षम है, इसकी कोई जांच नहीं। इस कमी का फायदा उठाकर उच्च शिक्षा के दायित्वों को नजरअंदाज करते हुए ऐसे ट्रस्ट या समितियां, जिनकी कोई शैक्षणिक पृष्ठभूमि नहीं है, इसके सदस्य ज्यादातर परिवार के ही सदस्य होते हैं। इस पर आपको थोड़ा-सा ध्यान केन्द्रित करना चाहिये। हमने ये 52 खोले हैं, चाहे हमने खोले या आपने, कोई चिन्ता की बात नहीं है, कम से कम आज की तारीख में हमारी इस विधान सभा के द्वारा ऐसा कानून बनाएं, जो इन 52 विश्वविद्यालयों पर ठीक प्रकार से नियंत्रण करे। अगर इन 52 विश्वविद्यालयों में आप 52 एमएलएज को ही भेज दें, आप ही तय करना और वहां जाकर देखना कि वहां बच्चे पढ़ रहे हैं या केवल चार आदमी बैठकर उस दफ्तर को चला रहे हैं। इतनी दयनीय स्थिति है। इस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिये। निजी विश्वविद्यालयों के शिक्षकों का बहुत ही कम वेतन है। अपने यहां विश्वविद्यालय में जो अध्यापक लगता है, प्रोफेसर लगता है, एक से डेढ़ लाख की तनख्वाह है। इन विश्वविद्यालयों में आप जाकर देखें, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, 15-20 हजार में अध्यापक काम कर रहे हैं। वे अध्यापक क्या आपको रिजल्ट देंगे? केवल और केवल कागजों की पूर्ति करके डिग्रियां बनाने का काम और बाबूगीरी का काम करता है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

दो-तीन ऐसे नामी लोग रख रखे होंगे, जिनके कारण सारा राजस्थान पहचाने कि बहुत अच्छा शिक्षा केन्द्र है, बाकी सारा का सारा अन्दर पोल है। इस प्रकार की स्थिति है। कई विश्वविद्यालयों में तो 9-9 महीनों से तनख्वाह ही नहीं मिल रही है, पर किसे जाकर कहें? पता चले, दूसरे दिन नौकरी से निकाल दें। ये जो बीस हजार मिल रहे हैं, इससे कम से कम उसका घर खर्च चल रहा है। रोते हैं, पर कोई उनकी पीड़ा को सुनने वाला नहीं है। हमारे यहां थर्ड ग्रेड के मास्टर को 40 हजार रुपये मिलते हैं और आपके इस विश्वविद्यालय में मैं गारंटी से सदन में कह रहा हूं कि आप जाकर अध्यापकों की सूची और उन्हें मिलने वाले वेतन का पता कर लें।

आप ये शोषण के केन्द्र क्यों बनाना चाहते हैं? अगर बनस्थली विद्या पीठ जैसी कोई संस्था आगे बढ़ती है तो आपका और मेरा दायित्व है उसे और आगे बढ़ाने का, पर इन दुकानों को बन्द करें। इस प्रकार की दुकानों के आधार पर आप किसी प्रकार से शिक्षा का भला नहीं कर पायेंगे। ये जो महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता की जांच हेतु NAAC की व्यवस्था है, मंत्री महोदय, प्रदेश में 52 विश्वविद्यालय हमने और आपने मिलकर खोले हैं। केवल चार निजी विश्वविद्यालय ऐसे हैं, जिन्हें इस वित्तीय वर्ष में NAAC द्वारा किसी श्रेणी में रखा गया है। कोई A, A+ पर नहीं है। फिर भी NAAC ने चार संस्थानों को ठीक माना है। एक भी निजी विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है, जिसे A, A+ अथवा A++ ग्रेड मिला हो। केवल एक निजी विश्वविद्यालय ऐसा है, जिसे B+ ग्रेड मिला है। शेष तीन ऐसे हैं जिन्हें B ग्रेड मिला है। जो आपकी वस्तुस्थिति है आज की तारीख में, उसे देखकर रोना आता है।

मैं सोचता हूं कि हम अपने बहुमत के आधार पर राजस्थान के बच्चों को शिक्षा की दृष्टि से बहुत आगे पहुंचा देंगे, इसमें खुश हो जाना, लेकिन ईमानदारी से इस सच्चाई को नकारो मत। जो होना था वह तो हो गया। गलती किसने की, कितना हुआ पर मैं आज भी आपसे प्रार्थना करता हूं कि कम से कम इस विश्वविद्यालय को कंट्रोल करने के लिए कोई कानून लाकर ऐसी बॉडी बनाओ जो कम से कम वर्ष में इनकी हर एक्टिविटीज को वाच करे और उसके आधार पर चलने के लिए उनको आगे स्वीकृति दे, तब तो विश्वविद्यालय खोलने का लाभ मिलेगा। बाकी एक करोड़ रुपया मेरे भी घर में, जेब में है, मैं जमा करके विश्वविद्यालय खोल दूंगा और चाहे जिस प्रकार

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

के कोर्सेज चलाकर डिग्रियां बांटने का काम करूंगा। जिधर नौकरी मिलती है वह डिग्री का कोर्स चलेगा, जिधर डिग्री बन्द हो जाती है उसका कोर्स बन्द हो जायेगा, यह क्या हो रहा है और क्या करना चाह रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा शान्ति से बैठिये, विचार करिये, पक्ष और विपक्ष भी मिलिये और सब मिलकर इस हायर एजुकेशन के गिरते हुए स्तर को बचाइये, नहीं तो राजस्थान रसातल में जा रहा है, जिस तरह से फर्जी डिग्रियां यहां से बाहर और बाहर से यहां आने वाला जो गैंग बन गया है, उस गैंग को तोड़ना पड़ेगा। पर अगर आप इस प्रकार से रेवड़ियां बांटोगे तो यह नहीं टूटेगा इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है, अगर मेरी बात पर कोई भी ध्यान दें तो मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि आपने 52 खोलीं, बहुत अच्छा है, पांच और खोलो लेकिन कम से कम उनको कंट्रोल करने के लिए कोई बॉडी बनाओ, जिसके कारण से विश्वविद्यालय वास्तव में शिक्षा के केन्द्र बनें, लूटने के अड्डे नहीं बनें, इतना ध्यान रखें।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्री।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, हमारे विपक्ष के साथियों ने जितना विस्तार से इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए कहा है, हमारी सरकार ने 2018 में आने के बाद से अगर शिक्षा के ऊपर कहें तो विशेष ध्यान दिया है। आप द्वारा प्राथमिक पाठशालाएं जो बन्द की गयी थीं, उनको दुबारा से शुरू किया, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल से प्राथमिक शिक्षा को सुधारने का प्रयास किया। सुन तो लो। लगातार महाविद्यालय खोलने की घोषणाएं हो रही हैं और जो हैं उनका मैं पूरा डाटा देता हूं, जो आप बार-बार आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं।

जिस तरीके से प्राइवेट विश्वविद्यालय की बात करें तो मुझे समझ में नहीं आता कि पिछले तीन साल में आपके सभी माननीय सदस्यों ने बार-बार कहा कि हर सत्र में हम प्राइवेट विश्वविद्यालयों का बिल लेकर आये, तो पिछले तीन साल में हमने प्राइवेट विश्वविद्यालय का कोई बिल यहां नहीं दिया है। आपने 2014 से लेकर 2018 तक 11 प्राइवेट विश्वविद्यालय खोले। जब बात कर ही रहे हैं तो आप तो केन्द्र सरकार से बात करो, क्योंकि वहां तो हवाई जहाज भी प्राइवेट हो रहे हैं, आर्मी भी प्राइवेट में जा रही है, रेल का सुना है कि वह भी प्राइवेट हो रही है। ये जो चीजें हैं, बार-बार करने से, कहने से ठीक नहीं।

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

आपकी एक बात रेगुलेटरी अथोरिटी की आयी। बहुत ज्यादा बातें मुझे आती नहीं हैं पर वह रेगुलेटरी अथोरिटी आलरेडी हमारे उसमें है, उस पर कार्य प्रारम्भ है और जल्दी ही रेगुलेटरी अथोरिटी में सारे विश्वविद्यालय, प्राइवेट कालेज, कोचिंग सेंटर, इन सारों को उसकी जद में लेकर बाकायदा नियमित उनकी जांच और उनकी क्वालिटी के ऊपर ध्यान रखेंगे।

इसके अलावा लाहोटी जी कह रहे थे कि बिल्डिंग्स नहीं बनीं, विद्यालयों में और चीजें नहीं हुईं तो ऐसा नहीं है। पिछले बजट तक हमारी जो 123 की घोषणाएं थीं उनमें से 82 में काम शुरू है। 8 प्राइवेट दानदाता बना रहे हैं और 12 में शायद जमीन की कमी है, तो कहीं इस तरीके का नहीं है और जितने हमारे महाविद्यालय खुले हैं उन सबके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट की व्यवस्था, उनके संचालन की मानिटरिंग पूर्णतया की है।

बार-बार सदन में गुणवत्ता की बात कही गयी, तो मैं कहना चाहूंगा कि गुणवत्ता की बात करें तो आज के दिन राजस्थान हमारे आस-पास के राज्यों से बहुत आगे है और आप कहीं पर भी देख सकते हैं। आपने जो कहा कि डिग्री बांटने के प्रकरण जरूर आये हैं और उनके अन्दर जांच भी हो रही है, हाई कोर्ट में यूनिवर्सिटी वाले प्रकरण ले गये हैं पर निश्चित तौर से मैं कहना चाहूंगा कि उसमें कहीं भी कोताही नहीं बरती जायेगी।

एएसआईएस की जो 2020 की रिपोर्ट है, उसके आधार पर अगर देखें तो 18 से 23 आयु वर्ग की जनसंख्या के सकल नामांकन 24.1 है जबकि समकक्ष मध्य प्रदेश में जीआईआर 21.5 है और गुजरात में तो यह 20.4 है, तो ऐसे जब आप जोड़ते हैं तो हम कहीं पर भी उच्च शिक्षा में पीछे नहीं हैं।

अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कन्या महाविद्यालयों की घोषणाएं की हैं और कल भी घोषणा की है, तो निश्चित तौर पर उच्च शिक्षा पर पूरा ध्यान दिया जायेगा और कहीं भी किसी तरह की कमी नहीं रहेगी।

मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मैं सोचता था कि शायद यहां आकर सारा सत्य से बोला जाता होगा या आंकड़ों से बोला जाता होगा पर मुझे थोड़ा-सा लगा, राठौड़ साहब, कि आपको तो बहुत ज्यादा ध्यान है, पिछले तीन साल में हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी का नहीं लाये। आपने पिछले पांच साल में 11 विश्वविद्यालय खोले हैं और दो यूनिवर्सिटीज आपने बन्द कर दिये थे, उनको भी हमने खोला और दो सरकारी यूनिवर्सिटी खोली हैं। आपका अगर आंकड़ा

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

देखें तो 2004 से 2008 के बीच में आपने 13 यूनिवर्सिटी खोली हैं और 2014 से 2018 के बीच में 11 यूनिवर्सिटी खोली हैं। कांग्रेस सरकार ने 2009 से 2013 के बीच में 9 सरकारी विश्वविद्यालय खोले हैं। आपने 2014 से 2018 के बीच में दो यूनिवर्सिटी खोलीं और दो यूनिवर्सिटी बन्द की हैं। अगर इन सब आंकड़ों को देखें तो ऐसा नहीं है कि हम उच्च शिक्षा में क्वालिटी में कहीं कम्प्रोमाइज कर रहे हैं। मैं, सभापति महोदय से कहना चाहूंगा कि इस बिल को पास किया जाय।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि व्यास विद्या पीठ विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2022 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाय?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि व्यास विद्या पीठ विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2022 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2 से 47- कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 47 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 47 स्वीकार किये गये।

अनुसूची 1 एवं 2.

प्रश्न यह है कि अनुसूची 1 एवं 2 स्वीकार की जायं?

(स्वीकृत)

अनुसूची-1 एवं 2 स्वीकार की गयीं।

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्री।

विधेयक का पारण

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि व्यास विद्या पीठ विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2022 को पारित किया जाय।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि व्यास विद्या पीठ विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2022 को पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

व्यास विद्या पीठ विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2022 को पारित किया गया।

अनुपूरक अनुदान की मांगें, श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

अनुपूरक अनुदान की मांग

अनुपूरक अनुदान की मांगों (वर्ष 2021-22) (द्वितीय संकलन) का उपस्थापन

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2021-22 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगों (द्वितीय संकलन) का उपस्थापन करता हूं।

मुखबन्द

अनुपूरक अनुदान की मांगों (वर्ष 2021-22) का पारण

मांग संख्या 01-राज्य विधान मण्डल

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 01-राज्य विधान मण्डल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 12,11,000/- (बारह लाख ग्यारह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री सभापति)

मांग संख्या 04-जिला प्रशासन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 04-जिला प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 24,44,67,000/- (चौबीस करोड़ चवालीस लाख सड़सठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 05-प्रशासनिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 05-प्रशासनिक सेवाओं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 76,35,72,000/- (छिहत्तर करोड़ पैंतीस लाख बहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 07-निर्वाचन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 07-निर्वाचन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,61,78,000/- (दो करोड़ इकसठ लाख अठहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 08-राजस्व

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 08-राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,34,43,000/- (चार करोड़ चौंतीस लाख तैंतालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री सभापति)

मांग संख्या 09-वन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 09-वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 62,49,19,000/- (बासठ करोड़ उनचास लाख उन्नीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 10-विविध सामान्य सेवाएं

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 10-विविध सामान्य सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 12-अन्य कर

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 12-अन्य कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,42,13,18,000/- (पांच अरब बयालीस करोड़ तेरह लाख अठारह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 14-बिक्री कर

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 14-बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,43,03,95,000/- (चार अरब तैंतालीस करोड़ तीन लाख पिचानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री सभापति)

मांग संख्या 16-पुलिस

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 16-पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,31,17,03,000/- (दो अरब इकतीस करोड़ सत्रह लाख तीन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 17-कारागार

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 17-कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 19,72,37,000/- (उन्नीस करोड़ बहत्तर लाख सैंतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 18-जन सम्पर्क

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 18-जन सम्पर्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 20,90,71,000/- (बीस करोड़ नब्बे लाख इकहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 19-लोक निर्माण कार्य

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 19-लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 87,39,93,000/- (सतासी करोड़ उनतालीस लाख तिरानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री सभापति)

मांग संख्या 20-आवास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 20-आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,77,87,000/- (दस करोड़ सतहत्तर लाख सतासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 21-सड़कें एवं पुल

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 21-सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,43,68,01,000/- (सात अरब तैंतालीस करोड़ अड़सठ लाख एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 22-क्षेत्र का विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 22-क्षेत्र का विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 23-श्रम और रोजगार

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 23-श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6000/- (छह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री सभापति)

मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,03,30,00,000/- (नौ अरब तीन करोड़ तीस लाख) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 25-कोषागार एवं लेखा प्रशासन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 25-कोषागार एवं लेखा प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 45,25,05,000/- (पैंतालीस करोड़ पच्चीस लाख पांच हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,59,74,29,000/- (छह अरब उनसठ करोड़ चौहत्तर लाख उनतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 27-पेयजल योजना

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 27-पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,32,81,40,000/- (चार अरब बत्तीस करोड़ इक्यासी लाख चालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री सभापति)

मांग संख्या 28-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 28-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,49,92,90,000/- (चार अरब उनचास करोड़ बानवे लाख नब्बे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,99,38,47,000/- (तेरह अरब निन्यानवे करोड़ अड़तीस लाख सैंतालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 20,92,11,64,000/- (बीस अरब बानवे करोड़ ग्यारह लाख चौंसठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 32-नागरिक आपूर्ति

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 32-नागरिक आपूर्ति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,06,32,35,000/-

(श्री सभापति)

(दो अरब छह करोड़ बत्तीस लाख पैंतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 33- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,13,16,41,000/- (ग्यारह अरब तेरह करोड़ सोलह लाख इकतालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,00,31,63,000/- (दस अरब इकत्तीस लाख तिरसठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,89,05,68,000/- (एक अरब नवासी करोड़ पांच लाख अड़सठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री सभापति)

मांग संख्या 36-सहकारिता

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 36-सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,75,86,06,000/- (पांच अरब पिचहत्तर करोड़ छियासी लाख छह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 37-कृषि

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 37-कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,69,66,95,000/- (छह अरब उनहत्तर करोड़ छियासठ लाख पचानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 38-लघु सिंचाई तथा भूमि संरक्षण

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 38-लघु सिंचाई तथा भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,50,58,000/- (चार करोड़ पचास लाख अठावन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,31,56,000/- (तीन करोड़ इकतीस लाख छप्पन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री सभापति)

मांग संख्या 40-राजकीय उपक्रम

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 40-राजकीय उपक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,43,000/- (दस लाख तैंतालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 41-सामुदायिक विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 41-सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 34,22,26,19,000/- (चौंतीस अरब बाईस करोड़ छब्बीस लाख उन्नीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 42-उद्योग

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 42-उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 49,91,000/- (उनचास लाख इक्यानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 43-खनिज

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 43-खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,13,14,17,000/- (एक अरब तेरह करोड़ चौदह लाख सत्रह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री सभापति)

मांग संख्या 44-लेखन सामग्री एवं मुद्रण

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 44-लेखन सामग्री एवं मुद्रण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 71,04,000/- (इकहत्तर लाख चार हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 46-सिंचाई

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 46-सिंचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,27,85,69,000/- (एक अरब सत्ताईस करोड़ पचासी लाख उनहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 48-विद्युत

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 48-विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 39,03,90,62,000/- (उनतालीस अरब तीन करोड़ नब्बे लाख बासठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 50-ग्रामीण रोजगार

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 50-ग्रामीण रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,91,18,77,000/- (छह अरब इक्यानवे करोड़ अठारह लाख सतहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 20,95,92,68,000/- (बीस अरब पचानवे करोड़ बानवे लाख अड़सठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

विधायी कार्य। श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2022

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री सभापति: विचारार्थ।

विधेयक पर विचार

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (सख्या-1) विधेयक, 2022 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2022 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2 व 3

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 व 3 स्वीकार किये गये।

अनुसूची।

प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाय?

(स्वीकृत)

अनुसूची स्वीकार की गयी।

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

+++

विधेयक का पारण

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2022 को पारित किया जाय।

+++

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2022 को पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2022 पारित किया गया।

+++

श्री सभापति: सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 07 मार्च 2022 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 16.09 बजे सोमवार, दिनांक 07 मार्च 2022 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

बाड़मेर में संचालित आयुर्वेद औषधालय

178. श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बाड़मेर में कहां व कितने आयुर्वेदिक औषधालय किस-किस श्रेणी के संचालित हैं? उक्त औषधालयों में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद सृजित हैं व कितने पद कब से रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में वर्तमान में कितने स्थानों पर राजकीय चिकित्सालयों में आयुष (विंग) वार्ड कहां व कितने हैं? क्या सरकार अन्य स्थानों पर भी उक्त वार्ड खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आयुर्वेद विभागान्तर्गत तीन श्रेणी के चिकित्सा केन्द्र यथा जिला चिकित्सालय, चिकित्सालय एवं औषधालय संचालित हैं। जिला-बाड़मेर में 01 जिला-चिकित्सालय एवं 94, औषधालय संचालित हैं, जिसमें चिकित्सक के 98, नर्स/कम्पाउण्डर के 87 एवं परिचारक के 57 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से चिकित्सक के 53, नर्स/कम्पाउण्डर के 52 एवं परिचारक के 27 पद रिक्त हैं। विस्तृत विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

उक्त रिक्त पदों को निम्नानुसार कार्यवाही की जाकर भरे जाने हैं:-

नर्स/कम्पाउण्डर - 704 कनिष्ठ आयुर्वेद नर्स/कम्पाउण्डर पदों पर भर्ती कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसके पूर्ण होने पर ही नियमानुसार उक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जावेगी।

चिकित्साधिकारी- विभागीय सेवा नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। सेवा नियमों में संशोधन उपरान्त नियमानुसार रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा सकेगी।

परिचारक - रिक्त पदों पर संविदा एजेन्सी के माध्यम से सेवायें लिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) राज्य में आयुर्वेद विभाग के माध्यम से राजकीय चिकित्सालयों में

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

30, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 59 व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 137, कुल 226, सामान्य चिकित्सालय/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में (एक छत के नीचे) आयुष (विंग) वार्ड संचालित है। सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

होम्योपैथिक विभागान्तर्गत वर्तमान में 26 स्थानों पर राजकीय चिकित्सालय में आयुष विंग के अन्तर्गत होम्योपैथिक औषधालय संचालित हैं, जिसकी सूची परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

वर्तमान में राजकीय चिकित्सालयों के अंतर्गत नये आयुष (विंग) वार्ड खोलने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण व सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

नई पर्यटन नीति

181. सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा नई नीति बनाई गयी है? यदि नहीं, तो अब कब तक बनाया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त नीति में जोधपुर के पर्यटन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है? यदि हां, तो किस-किस क्षेत्र को? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 09.09.2020 के द्वारा "राजस्थान पर्यटन नीति-2020" लागू की गई है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त नीति सम्पूर्ण प्रदेश में लागू है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

नागौर पंचायत समिति में आबंटित फण्ड

182. श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पंचायत समिति नागौर में सरकार द्वारा आबंटित फण्ड टीएफसी व एसएफसी मद से 2015 से 2018 तक कितने सिंगल फेज ट्यूबवैल स्वीकृत किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सिंगल फेज ट्यूबवैल के निर्माण में अनियमितताओं को लेकर कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्यों में हुई अनियमितता के लिए जिम्मेदार कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या शिकायत के उपरान्त उक्त कार्यों के सम्बन्ध में किसी अधिकारी अथवा किसी कमेटी द्वारा कोई जांच करवाई गयी है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति नागौर में राज्य सरकार द्वारा आबंटित टीएफसी व एसएफसी मद में वर्ष 2015 से वर्ष 2018 तक स्वीकृत किये गये सिंगल फेज ट्यूबवैल का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त सिंगल फेज ट्यूबवैल के निर्माण में अनियमितताओं को लेकर शिकायतें प्राप्त हुई हैं। प्राप्त शिकायतों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

उक्त कार्यों में हुई अनियमितताओं के जिम्मेदार कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही तथा संबंधित फर्म से राशि वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसकी सूचना परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) जी हां। उक्त कार्यों की शिकायतों के संबंध में जिला कलेक्टर द्वारा गठित जिला स्तरीय जांच कमेटी द्वारा जांच की गई हैं। जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(विवरण, सूचना व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

राजस्थान मदरसा बोर्ड से संचालित मदरसे

183. श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कितने मदरसे कहां-कहां व कब से संचालित हैं? विगत तीन वर्षों में कितने नए मदरसे खोले गए हैं? उक्त पर कितनी राशि व्यय की गई? उक्त में कितने पद रिक्त हैं एवं कितने भरे हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार राजस्थान मदरसा बोर्ड को भंग कर सभी रिकार्ड व बैंक खाते आदि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर को स्थानांतरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान मदरसा बोर्ड से प्रदेश में कुल 3,298 मदरसे पंजीकृत हैं। मदरसों के संचालित होने का वर्ष एवं स्थान परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। विगत तीन वर्षों में 82 मदरसों का पंजीयन किया गया है। विगत तीन वर्षों में वर्ष 2019-20 में 67.98 करोड़, वर्ष 2020-21 में 81.98 करोड़ वर्ष 2021-

(अल्पसंख्यक मामलात मंत्री)

22 में फरवरी 2022 में 68.88 करोड़ का व्यय किया गया। राजस्थान मदरसा बोर्ड से पंजीकृत मदरसों में शिक्षण कार्य के लिए निश्चित मानदेय पर संविदा आधारित पैराटीचर्स लगाये जाते हैं। वर्तमान में राजस्थान मदरसा बोर्ड से पंजीकृत मदरसों में कुल 5,656 पैराटीचर्स कार्यरत हैं।

(2) राजस्थान मदरसा बोर्ड को भंग कर सभी रिकार्ड, बैंक खाते आदि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर को स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सुमेरपुर में आंगनबाड़ी केन्द्रों में रिक्त पद

184. श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर मे कितने आंगनबाड़ी केन्द्र हैं? उक्त केन्द्र किस-किस गांव व शहर में स्वीकृत हैं तथा उक्त में से कितने केन्द्रों के भवन बने हुए हैं व कितने भवन विहीन हैं? क्या सरकार भवन विहीन उक्त केन्द्रों के भवन निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कितने वर्ष तक के बच्चों को पोषाहार दिया जाता है, तथा उक्त केन्द्रों पर भारत सरकार व राज्य सरकार की कौन-कौनसी योजनाओं में क्या-क्या लाभ दिया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर कितने पद कौन-कौनसी श्रेणी के स्वीकृत हैं? उक्त में से वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के अन्तर्गत 3 बाल विकास परियोजनाएं क्रमशः सुमेरपुर, पाली एवं रानी संचालित हैं। परियोजना सुमेरपुर में 165, परियोजना पाली में 107 एवं परियोजना रानी में 31 कुल 303 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। उक्त 303 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 279 आंगनबाड़ी केन्द्र ग्रामीण क्षेत्र में तथा 24 आंगनबाड़ी केन्द्र शहरी क्षेत्र में

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

स्वीकृत हैं। उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 256 केन्द्रों पर विभागीय भवन बने हुए हैं, 47 केन्द्र किराये के भवनों में संचालित किये जा रहे हैं। परियोजनावार आंगनबाड़ी केन्द्रवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायती राज निकाय/ स्थानीय निकाय द्वारा निःशुल्क भूमि आबंटन हो जाने पर एवं वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के अनुसार करवाया जाता है।

(2) जी हां। उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित पोषणीय एवं वित्तीय मापदण्डों के अनुसार पोषण उपलब्ध करवाया जा रहा है। अप्रेल 2020 से साबुत सामग्री के रूप में गेहूं, चावल व चना दाल उपलब्ध करवायी जा रही है। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 1. पूरक पोषाहार 2. शाला पूर्व शिक्षा 3. पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा 4. प्रतिरक्षण (टीकाकरण) 5. स्वास्थ्य शिक्षा 6. संदर्भ (रेफरल) सेवाएं 7. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) 8. इन्दिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना (आईजीएमपीवाई) 9. उड़ान योजनाओं के अन्तर्गत उक्त सुविधाएं दी जाती हैं, जिनका विस्तृत विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) एक आंगनबाड़ी केन्द्र पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं आशा सहयोगिनी का पद स्वीकृत है। मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र पर केवल एक मिनी कार्यकर्ता का पद स्वीकृत है। वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 17, मिनी कार्यकर्ता के 7, आशा सहयोगिनी के 35 तथा सहायिका के 30 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों को भरने हेतु जिला उपनिदेशक द्वारा विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। पद रिक्त होना और भरना एक सतत प्रक्रिया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

सुजानगढ़ में रेलवे फाटक पर अंडर ब्रिज का निर्माण

185. श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विभाग के पत्र क्रमांकः- एफ. 7(75)/ए एण्ड एफ/से-2/2020-21/डी-32 दिनांक 12.2.2021 के अनुसार सुजानगढ़ के रेलवे फाटक नम्बर 3 या 5 पर अंडर ब्रिज बनाने का प्रावधान है? यदि हां, तो उक्त का निर्माण कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

(श्री मनोज कुमार)

(2) क्या यह सही है कि विभाग के अधिकारी रेलवे फाटक नम्बर 5 पर ब्रिज बनाने के लिए अनुचित कारणों से अनावश्यक विलम्ब कर रहे हैं? यदि नहीं, तो प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी होने के पश्चात् भी अब तक कार्य प्रारम्भ नहीं होने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सार्वजनिक निर्माण विभाग के पत्र क्रमांक एफ.7(75)/ए एण्ड एफ/से-2/2020-21/डी-32 दिनांक 12.02.2021 के अनुसार सुजानगढ़ के केवल रेलवे फाटक नम्बर 3 (रेलवे की लेवल क्रोसिंग संख्या-24) पर अंडर ब्रिज बनाने के लिए राशि रु. 300 लाख की स्वीकृति जारी की गई थी परन्तु सुजानगढ़ के रेलवे फाटक नम्बर 3 पर रेलवे एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा साइट के संयुक्त तकनीकी निरीक्षण के अन्तर्गत पाया गया कि अंडर ब्रिज बनाना अव्यवहार्य (नोन फिजिबल) है, अत: इसका निर्माण नहीं कराया जा सकता है। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

रेलवे फाटक नम्बर 5 (रेलवे की लेवल क्रासिंग संख्या 26) पर कोई प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं है।

(2) जी नहीं। रेलवे फाटक नम्बर 5 (रेलवे की लेवल क्रासिंग संख्या 26) पर अंडर ब्रिज निर्माण हेतु कोई प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

झुंझुनूं में अंतरजातीय विवाह हेतु देय आर्थिक सहायता

186. श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अंतरजातीय विवाह करने वालों को सरकार द्वारा आर्थिक मदद दिये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो जिला झुंझुनूं में जनवरी, 2020 से अब तक कितने अंतरजातीय विवाह सम्पन्न हुए एवं प्रत्येक जोड़े को कितनी-कितनी राशि के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में उक्त योजना के कितने प्रकरण लम्बित हैं? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। झुंझुनूं जिले में जनवरी, 2020 से अब तक एस.जे.एम.एस. पोर्टल पर 36 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 32 जोड़ों को प्रत्येक जोड़े को 5.00 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया, जिसमें से प्रत्येक जोड़े को 2.50 लाख रुपये संयुक्त बैंक खाते में नगद हस्तांतरित किये जाते हैं तथा 2.50 लाख रुपये की 8 वर्षीय संयुक्त FD दी जाती है। सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-अ)

(2) उक्त अवधि में योजनान्तर्गत कुल 36 आवेदन प्राप्त हुए है, जिनमें से 32 आवेदनों को स्वीकृत कर भुगतान किया जा चुका है, 2 आवेदन पत्र आक्षेप पूर्ति हेतु युगलों के स्तर पर लम्बित है, 1 आवेदन पत्र में युगल द्वारा निर्धारित अवधि 1 माह में आक्षेप पूर्ति नहीं किये जाने के कारण वेबपोर्टल द्वारा स्वतः ही निरस्त हो गया है एवं 1 आवेदन पत्र पात्रता की श्रेणी में नहीं आने के कारण जिलाधिकारी द्वारा निरस्त किया गया है। सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-ब)

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

कृषि उपज मण्डियों के चुनाव

187. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों के चुनाव लम्बे समय से नहीं कराने के कारण प्रशासक लगे हुए हैं, जिससे किसानों के हितों का हनन हो रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के चुनाव शीघ्र कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कैसे तथा नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार चुनाव से पूर्व मनोनीत किये जाने वाले सदस्यों के नियम में परिवर्तन कर सभी सदस्यों का चुनाव निर्वाचन पद्धति से कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त में कब तक संशोधन कर दिया जायेगा व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य की कृषि उपज मण्डी समिति, जोधपुर (अनाज), जोधपुर (फल सब्जी) एवं जैतसर में निर्वाचित एवं नवीन गठित कृषि उपज मण्डी समिति, हनुमानगढ़ टाउन में मनोनीत मण्डी समिति कार्यरत है शेष 141

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

कृषि उपज मण्डी समितियों में प्रशासक नियुक्त हैं। केन्द्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानून के क्रम में राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम में संशोधन किये जाने से राज्य की कृषि उपज मण्डी समितियों का प्रशासनिक नियंत्रण मुख्य मण्डी/गौण मण्डी प्रांगण तक ही सीमित रह गया है। केन्द्र सरकार द्वारा कृषि कानूनों को वापस लिये जाने के फलस्वरूप राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम में संशोधन कर मण्डी क्षेत्र के प्रावधान को सम्मिलित किया जाना है। मण्डी अधिनियम में मण्डी क्षेत्र के प्रावधान को सम्मिलित किये जाने के संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इसके उपरान्त राज्य में कृषि उपज मण्डी समितियों के चुनाव के संबंध में विनिश्चय किया जाएगा।

(2) जी नहीं। कृषि उपज मण्डी समितियों में मनोनीत किये जाने वाले सदस्यों के नियम में परिवर्तन कर सभी सदस्यों का चुनाव निर्वाचन पद्धति से कराने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्रमिक कार्ड की पात्रता

188. श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि श्रमिक कार्ड बनाने के लिए पात्र व्यक्ति को रजिस्टर्ड संस्थाओं में वर्ष में 90 दिन कार्य करना आवश्यक हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में अधिकांश श्रमिक रजिस्टर्ड संस्थाओं में काम नहीं कर रहे हैं, इस कारण से श्रमिक कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार नियमों में संशोधन कर उक्त प्रकार के लोगों के भी श्रमिक कार्ड बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। अधिनियम में नियोजन का प्रमाण-पत्र देने के लिए रजिस्टर्ड संस्था होना आवश्यक नहीं है। नियोजन का प्रमाण-पत्र नियोजक जिसके अधीन श्रमिक ने कार्य किया है, से लिया जाता है। नियोजक से प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में 90 दिवस का प्रमाण-पत्र क्षेत्र के श्रम निरीक्षक, पंचायत सचिव अथवा निर्माण श्रमिक यूनियन द्वारा दिया जा सकता है।

(राज्य मंत्री, श्रम)

(2) निर्माण श्रमिक के पंजीयन हेतु रजिस्टर्ड संस्था का प्रमाण-पत्र वांछित नहीं है।

जालौर के औषधालयों में रिक्त पद

189. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला जालौर में संचालित विभिन्न पद्धति के औषधालयों व चिकित्सालयों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में विभिन्न स्तर के कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने पद रिक्त हैं? पदवार रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार उक्त रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आयुर्वेद विभागान्तर्गत जिला-जालौर में कुल 70, चिकित्सालय/औषधालय संचालित हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

होम्योपैथिक विभागान्तर्गत जिला-जालौर में कुल 04, चिकित्सालय/औषधालय संचालित हैं जिनकी सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

यूनानी विभागान्तर्गत जिला-जालौर में 04, कुल चिकित्सालय/औषधालय संचालित हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(2) आयुर्वेद विभागान्तर्गत जिला-जालौर के चिकित्सालय/औषधालयों में चिकित्सक के 76, नर्स/कम्पाउण्डर के 65 एवं परिचारक के 51 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से चिकित्सक के 29, नर्स/कम्पाउण्डर के 34 एवं परिचारक के 24 पद रिक्त हैं। विस्तृत विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

होम्योपैथिक विभागान्तर्गत जिला-जालौर के चिकित्सालय/औषधालयों में चिकित्सक के 4, नर्स/कम्पाउण्डर के 3 एवं परिचारक का 1 पद स्वीकृत हैं जिनमें से चिकित्सक के 2, नर्स/कम्पाउण्डर के 2 पद रिक्त हैं। विस्तृत विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

यूनानी विभागान्तर्गत जिला-जालौर के चिकित्सालय/औषधालयों में चिकित्सक के 4 पद स्वीकृत हैं, वर्तमान में चारों पद रिक्त हैं। विस्तृत विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

(3) उक्त रिक्त पदों को निम्नानुसार कार्यवाही की जाकर भरे जाने हैं:-

नर्स/कम्पाउण्डर - 704 कनिष्ठ आयुर्वेद नर्स/कम्पाउण्डर पदों पर भर्ती कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसके पूर्ण होने पर नियमानुसार उक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा सकेगी।

चिकित्साधिकारी - विभागीय सेवा नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। सेवा नियमों में संशोधन उपरान्त नियमानुसार रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा सकेगी।

परिचारक - रिक्त पदों पर संविदा एजेन्सी के माध्यम से सेवायें लिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कपासन में नवीन राजस्व ग्राम

158. श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के मजरे व ढाणियों को राजस्व ग्राम घोषित करने के मानदण्ड तय किये गये हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र कपासन के रूपाजी का खेड़ा (कपासन), समरथपुरा (कपासन), नई बड़वाई (भोपालसागर), जावा (भोपालसागर) मजरों को राजस्व ग्राम घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में नवीन राजस्व ग्राम बनाये जाने के संबंध में निर्धारित मापदण्डों की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र कपासन में मजरा समरथपुरा (तहसील-कपासन) एवं जावा (तहसील-भोपालसागर) पूर्व में राजस्व ग्राम के रूप में अभिलिखित है।

तहसील कपासन के मजरा रूपाजी का खेड़ा की आबादी 250 से कम है तथा तहसील भूपालसागर का मजरा नई बड़वाई मूल राजस्व ग्राम बड़वाई से 01 किमी. से भी कम दूरी पर स्थित है, जो राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 20.08.2009 अनुसार नवीन राजस्व ग्राम घोषित करने हेतु निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण नहीं करते हैं।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी।)

प्रतापगढ़ में पटवारियों के रिक्त पद

159. श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

जिला प्रतापगढ़ में कितने पटवारियों के पद स्वीकृत हैं, उनमें से कितने भरे हुए हैं व कितने रिक्त हैं? सरकार उक्त रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला प्रतापगढ़ में पटवारियों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है-

पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
पटवारी	187	64	123

रिक्त पदों पर पदस्थापन किया जाना एक सतत प्रक्रिया है। पटवारी के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु 5,610 पदों पर कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा भर्ती परीक्षा-2019 का आयोजन किया जाकर परीणाम जारी किया जाकर दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। सत्यापन की कार्यवाही उपरान्त नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी तथा प्रशिक्षण उपरान्त पदों को भरा जा सकेगा।

रायसिंहनगर में नंदीशाला

160. श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बजट घोषणा में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में नंदीशाला खोलने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो जिला श्रीगंगानगर में अब तक कितनी नंदीशालाएं खोली जा चुकी हैं? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में नंदीशाला खोली गई है? यदि हां, तो कहां पर व कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार द्वारा बजट घोषणा में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में नंदीशाला खोलने की घोषणा नही की गई थी अपितु सरकार द्वारा प्रस्तुत परिवर्तित बजट 2019-20 में आवारा पशुओं की समस्या से निजात पाने के लिए प्रत्येक पंचायत समिति पर नन्दीशालाएं स्थापित करने बाबत घोषणा की गई थी। बजट 2021-22 में इस कार्य को और व्यापक रूप से करने की दृष्टि से अब इन नन्दीशालाओं को राशि 1.50 करोड रुपये के मॉडल के आधार पर बनाये जाने की घोषणा की गई है।

बजट घोषणा अनुरूप पंचायत समिति स्तर पर नन्दीशालाएं स्थापित करने बाबत दिशा-निर्देश दिनांक 27.08.2021 को जारी किये जा चुके हैं।

(गोपालन मंत्री)

जिला गोपालन समिति, श्रीगंगानगर द्वारा पंचायत समिति स्तरीय नन्दीशाला संचालन करने वाली संस्थाओं का चयन करने हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण वर्तमान तक जिले में पंचायत समिति स्तरीय स्थापित नंदीशालाओं की संख्या शून्य है।

जिले में नंदी गौशाला जन सहभागिता योजनान्तर्गत श्री शिव नन्दी गौशाला (नगरपालिका) सूरतगढ़ में जिला स्तरीय नन्दीशाला स्थापित किये जाने हेतु अनुबंध दिनांक 05.02.2019 को किया गया तथा प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 17.12.2019 को जारी कर संचालित की जा रही है।

(2) जिला गोपालन समिति, श्रीगंगानगर द्वारा पंचायत समिति स्तरीय नन्दीशाला संचालन करने वाली संस्थाओं का चयन करने हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में वर्तमान तक पंचायत समिति स्तरीय नन्दीशाला खोले जाने की संख्या शून्य है।

गौ संवर्धन सैस

161. श्री बाबूलाल नागर (दूदू): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार गौ संवर्धन हेतु सैस कर से प्राप्त राशि को इसी प्रयोजन हेतु योजनाबद्ध तरीके से व्यय करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार से व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार गोवंश संरक्षण हेतु लगाये गये सैस से अब तक कितनी राशि प्राप्त हुई व उसे किस प्रकार से व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2015-16 से गौसंरक्षण एवं संवर्धन हेतु स्टाम्प ड्यूटी पर 10 प्रतिशत की दर से अधिभार एवं वर्ष 2018-19 से मदिरा की बिक्री के वैट पर 20 प्रतिशत अधिभार से गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि का सृजन किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष की अनुमानित प्राप्तियों के आधार पर निधि में राशि के वित्त लेखे महालेखाकार कार्यालय द्वारा फाइनल किये जाने के उपरान्त आगामी वित्तीय वर्ष में ही यह राशि निधि में हस्तानान्तरित की जाती है। उसके उपरान्त ही वित्त विभाग द्वारा बजट का प्रावधान किया जाता है।

(गोपालन मंत्री)

गौ सैस से प्राप्त राजस्व का निम्नांकित कार्यों में व्यय किया जा रहा है-

गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम 2016 अन्तर्गत एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 180 दिवस की सहायता राशि दो चरणों में 90-90 दिवसों हेतु पात्र गौशालाओं में संधारित गौवंश के भरण पोषण के लिए वर्तमान में बड़े गौवंश हेतु 40 रु. तथा छोटे गौवंश हेतु 20 रु. प्रतिदिन प्रति गौवंश की दर से दिये जाने का प्रावधान है।

गौसंरक्षण एवं सवंर्धन निधि नियम, 2016 अंतर्गत आधारभूत परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु निम्नांकित योजनाओं के माध्यम से प्रदेश की पात्र गौशालाओं को सहायता दिये जाने का प्रावधान है:-

क्र.सं.	योजना
1	गौशाला विकास योजना
2	गौशाला बायोगैस सहभागिता
3	जिला स्तरीय नंदीशाला जन सहभागिता
4	पंचायत समिति नंदीशाला जन सहभागिता

(2) सरकार को वर्ष 2015-16 से 2021-22 (जनवरी 2022) तक गौ सैस से प्राप्त राजस्व का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

गौ सैस से प्राप्त राजस्व के व्यय का विवरण निम्नानुसार है-

1. गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम, 2016 अंतर्गत प्रदेश की पात्र गौशालाओं में संधारित गौवंश के भरण-पोषण हेतु सहायता प्रदान की जा रही है।
2. गौसंरक्षण एवं सवंर्धन निधि नियम, 2016 अंतर्गत आधारभूत परिसम्पतियों के निर्माण हेतु संचालित योजनाओं के माध्यम से प्रदेश की पात्र गौशालाओं को सहायता राशि दी जा रही है।

   व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्रीडूंगरगढ़ के पूनरासर हनुमान मंदिर को पर्यटन स्थल घोषित करने की योजना

162. श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री गिरधारीलाल)

(1) प्रदेश में पर्यटन स्थल के चयन के क्या मापदंड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला बीकानेर में कौन-कौन से स्थान पर्यटन स्थल की श्रेणी में आते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र के गांव पूनरासर के सुप्रसिद्ध हनुमान मंदिर क्षेत्र को पर्यटन स्थल घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश में पर्यटन स्थलों के चयन के कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं हैं। स्थल विशेष पर्यटकों की आवाजाही से स्वत: ही पर्यटक स्थल बन जाता है।

(2) बीकानेर जिले के प्रमुख पर्यटक स्थलों की सूची परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(3) सरकार द्वारा किसी भी स्थल को पर्यटन स्थल घोषित किये जाने के कोई प्रावधान नहीं हैं।

स्थल विशेष पर्यटकों की आवाजाही से स्वत: ही पर्यटक स्थल बन जाता है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

कोटा चम्बल नदी में क्रूज का संचालन

163. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार की कोटा चम्बल नदी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज का संचालन करने की कोई कार्य योजना है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना का कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा व उक्त के लिये विभाग द्वारा क्या-क्या तैयारी की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त के संबंध में पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय की एनओसी की स्वीकृति की क्या प्रगति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कोटा चम्बल नदी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा चम्बल नदी में क्रूज संचालन की योजना प्रक्रियाधीन है।

(2) उक्त योजना के संचालन हेतु विभिन्न विभागों यथा वन विभाग, जल संसाधन विभाग, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जयपुर से अनापत्ति प्राप्त होने के पश्चात् कार्य प्रारम्भ किया जावेगा।

(3) उक्त के संबंध में पर्यावरण एवं राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्राप्त करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जायल की ग्राम पंचायतों में ड्रेनेज प्लान

164. श्रीमती मंजु देवी (जायल): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत में ड्रेनेज प्लांन तैयार कर जल निकासी का समुचित प्रबंधन किया जाता है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र जायल की कौन-कौन सी ग्राम पंचायतों को अब तक चिह्नित किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कौनसी ग्राम पंचायतों में इंटर लाकिंग सड़क व सीमेंट सड़क का निर्माण वर्ष 2020-21 में किया गया है? उक्त पर कितनी लागत आयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इंटर लाकिंग सड़क के साथ-साथ ड्रेनेज का प्रबंधन किया गया है? यदि नहीं, तो कौन-कौन सी ग्राम पंचायत में इस प्रबंधन का साझा कार्य नहीं किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम पंचायतों में ड्रेनेज प्लान तैयार कर जल निकासी का समुचित प्रबंधन किये जाने हेतु विधान सभा क्षेत्र जायल की स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अन्तर्गत ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन की डीपीआर में चिह्नित ग्राम पंचायतों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र जायल के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में वर्ष 2020 -21 में किये गये इंटर लाकिंग सड़क व सीमेंट सड़क निर्माण कार्य का लागतवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(पंचायती राज मंत्री)

(3) जी हां। इंटर लाकिंग सड़क के साथ-साथ ड्रेनेज हेतु नाले/नाली (ड्रेनेज) का प्रबंधन ग्राम पंचायतों में आवश्यकता अनुसार किया गया है, जिसका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

श्रीगंगानगर जिला परिषद् में रिक्त पद

165. श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला परिषद् गंगानगर व उसके परिक्षेत्र में स्थित 9 पंचायत समितियों में विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों व कर्मचारियों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने कर्मचारी व अधिकारी नियुक्त हैं? जिला परिषद् व पंचायत समितिवार रिक्त पदों की पदनाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला परिषद् गंगानगर व उसके परिक्षेत्र में स्थित 9 पंचायत समितियों में विभिन्न श्रेणियों के स्वीकृत, रिक्त एवं कार्यरत पदों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) रिक्त पदों को भरना राज्य सरकार की एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें रिक्त पदों को स्थानान्तरण/पदस्थापन, सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के माध्यम से भरा जाता रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

प्रदेश में संचालित पंजीकृत मदरसे

166. श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में अल्पसंख्यकों के कितने विद्यालय आयुक्त अल्पसंख्यक निदेशालय व राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से पंजीकृत हैं? विद्यालयों की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) निदेशालय, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में पंजीकृत विद्यालयों

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

में अल्पसंख्यंक समुदाय के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाने के क्या प्रावधान हैं? प्रावधानों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त में से ऐसे कितने अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित विद्यालय हैं जिन पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 के तहत 25 प्रतिशत कोटे में नि:शुल्क प्रवेश देने का नियम लागू नहीं होता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विद्यालयों में अल्पसंख्यक समुदाय के तथा सामान्य वर्ग के कितने-कितने बालक-बालिकाएं अध्ययनरत हैं? उक्त विद्यालयों में अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को क्या-क्या अतिरिक्त सुविधाएं दी जाती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग द्वारा 08 राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय स्वीकृत हैं। जिलेवार विद्यालयों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग राजस्थान द्वारा स्वीकृत राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाने के संबंध में जारी दिशा-निर्देश दिनांक 26 अक्टूबर, 2021 की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) उक्त राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व आवास की सुविधा उपलब्ध करायी जाने का प्रावधान है।

(4) उक्त राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में प्रवेश की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(सूची व प्रति पुस्तकालय में रखी गयी।)

अल्पसंख्यक वर्ग में सम्मिलित जातियां

167. श्री राजकुमार रोत (चौरासी): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग में किन-किन जातियों को सम्मिलित किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राजकुमार रोत)

(2) क्या सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के लिए कोई छात्रवृत्ति योजनाएं संचालित हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार केन्द्र सरकार की तर्ज पर अल्पसंख्यक वर्ग के लिए राज्य स्तर पर स्कूल व कालेज के छात्र-छात्राओं के लिए कोई विशेष छात्रवृत्ति योजना प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अल्पसंख्यक वर्ग में समुदाय में अधिसूचित छह समुदाय मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, पारसी एवं जैन सम्मिलित हैं। जनगणना 2011 के अनुसार समुदायवार जनसंख्या निम्नानुसार हैः-

समुदाय	**जनसंख्या**
मुस्लिम	62,15,377
सिक्ख	8,72,930
ईसाई	96,430
बौद्ध	12,185
पारसी	00,000
जैन	6,22,023

(2) जी हां। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए निम्न छात्रवृत्ति योजनाएं संचालित हैं।

केन्द्र सरकार द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजनाएंः-

1. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
2. मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना
3. प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाएंः-

1. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत 12वीं में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली अल्पसंख्यक छात्राओं को 500 रुपये अतिरिक्त सहायता।

(अल्पसंख्यक मामलात मंत्री)

2. केन्द्र सरकार द्वारा देय पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स एवं प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति से वंचित रहे शेष पात्र अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स एवं प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति दिये जाने की योजना है।

(3) वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा देय पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स तथा प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति से वंचित रहे पात्र अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा पोस्ट मैट्रिक मेरिट कम मीन्स एवं प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति दिये जाने की योजना संचालित है।

सागवाड़ा में अल्पसंख्यकों के उत्थान की योजनाएं

168. श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों में अल्पसंख्यक वर्ग के उत्थान हेतु किन-किन योजनाओं के माध्यम से कितना-कितना बजट व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार गलियाकोट ब्लाक के चितरी ग्राम पंचायत में मदरसा हेतु भवन बनवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में विगत तीन वर्षों में अल्पसंख्यक वर्ग के उत्थान हेतु विभिन्न योजनाओं में वर्ष 2018-19 में 5.26 लाख रुपये, वर्ष 2019-20 में 5.32 लाख रुपये एवं 2020-21 में 27.17 लाख रुपये व्यय किये गये। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) गलियाकोट ब्लाक में चितरी ग्राम पंचायत में मदरसा हेतु भवन बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

मावली के आंगनबाड़ी वंचित ग्राम

169. श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री धर्मनारायण जोशी)

(1) विधान सभा क्षेत्र मावली के कितने व कौनसे राजस्व गांव आंगनबाड़ी केन्द्र से वंचित हैं? राजस्व गांवों की पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार आंगनबाड़ी से वंचित उक्त राजस्व गांवों में आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

(3) वर्तमान में संचालित कितने आंगनबाड़ी केन्द्र भवन विहीन हैं व उक्त के भवन निर्माण हेतु सरकार की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मावली के अन्तर्गत 3 परियोजनाएं क्रमश: बाल विकास परियोजना बड़गांव, मावली तथा गिर्वा संचालित हैं। परियोजना बड़गांव के 2, मावली के 41 तथा गिर्वा का 1 कुल 44 राजस्व ग्राम आंगनबाड़ी केन्द्र से वंचित हैं। उक्त राजस्व गांवों के लाभार्थी नजदीक के आंगनबाड़ी केन्द्र से विभागीय सेवाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

पंचायतवार राजस्व ग्राम का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने पर भारत सरकार की रोक है। स्थानीय प्रतिनिधियों/जनप्रतिनिधियों के द्वारा नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने के संबंध में निरन्तर की जा रही मांग को देखते हुए मांग आधारित नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र की स्वीकृति के बाबत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार को पत्र दिनांक 31.12.2020, 24.02.2021 व 27.08.2021 लिखे गए, जिनके क्रम में भारत सरकार स्तर से स्वीकृति अपेक्षित है।

(3) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र मावली में संचालित 11 आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित हैं।

आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायती राज निकाय/ स्थानीय निकाय द्वारा नि:शुल्क भूमि आबंटन हो जाने पर एवं वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के अनुसार करवाया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

सोजत में धात्री महिलाओं को पोषण सामग्री

170. श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या आंगनबाड़ियों के माध्यम से धात्री महिलाओं को पोषण सामग्री उपलब्ध करवायी जाती है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त के लिए क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र सोजत में जनवरी, 2021 से 31 जनवरी, 2022 तक कितनी धात्री महिलाओं एवं बच्चों को कब-कब, क्या-क्या पोषाहार उपलब्ध करवाया गया है? आंगनबाड़ीवार व माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ियों में बालक-बालिकाओं की कितनी संख्या है? आंगनबाड़ीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से केन्द्र पर पंजीकृत धात्री महिलाओं को पोषण सामग्री उपलब्ध करवायी जाती है। विभाग द्वारा दिसम्बर 2021 तक पोषाहार में 3,000 ग्राम चना दाल, 1,500-1,500 ग्राम चावल एवं गेहूं वितरित किया गया है। वर्तमान में 3,000 ग्राम चना दाल, 1,000-1,000 ग्राम चावल एवं गेहूं वितरित किया जा रहा है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सोजत में जनवरी, 2021 से दिसम्बर 2021 तक लाभान्वित धात्री महिलाओं एवं बच्चों को उपलब्ध करवाये गये पोषाहार का आंगनबाड़ीवार व माहवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में बालक-बालिकाओं की संख्या का आंगनबाड़ी केन्द्रवार विवरण परिशिष्ट-अ में ही समाहित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

मनोहर थाना में सड़कों का डामरीकरण

171. श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में वर्ष 2021-2022 में कुल

(श्री गोविन्द प्रसाद)

कितनी नवीन डामरीकरण सड़कें स्वीकृत हुई हैं एवं कितनी व कौन्कौन-सी सड़क का कार्य कहां से कहां तक पूर्ण हो चुका है? सड़कवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 2021 की बजट घोषणा के अनुसार 500 की आबादी के गांव अब भी सड़क से वंचित हैं? यदि हां, तो उनको कब तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ा जायेगा? सड़क विहीन गांवों व जनसंख्या सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में वर्ष 2021-2022 में नवीन डामर सडक की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। सड़क सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण हेतु वर्ष 2021-2022 में कुल 30 सड़कों की स्वीकृति प्राप्त हुई, जिनमें से 4 सड़कें पूर्ण करा ली गई हैं तथा शेष 26 सड़कें प्रगतिरत हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) वर्ष 2021 में 500 की आबादी के गांव को सड़क से जोड़े जाने की कोई बजट घोषणा नहीं है।

मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2019-20 के अनुसार 2011 की जनगणना के आधार पर 500 से अधिक की आबादी के राजस्व गांव को प्राथमिकता के आधार पर पक्की सड़क से जोड़ा जाना है। विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में 500 से अधिक आबादी का एक गांव “घोघडी” डामर सड़क से वंचित है, जिसको 4.00 किमी डामर सड़क से रु. 200.00 लाख से जोड़ा जाना स्वीकृत है। जिसका कार्य प्रगतिरत है एवं शीघ्र पूर्ण किया जाना लक्षित है

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नाडोल से रानी व सादड़ी सड़क का नवीनीकरण

172. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) एमडीआर रोड रानी से नाडोल व एमडीआर रोड सादड़ी से नाडोल दोनों की कुल लम्बाई व चौड़ाई कितनी है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सड़कें पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं?

(3) क्या यह भी सही है कि आये दिन उक्त सड़कों पर दुर्घटनाएं

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

होती रहती हैं? यदि हां, तो सरकार अब कब तक उक्त सड़कों का नवीनीकरण एवं चौड़ाई का कार्य पूर्ण करवा देगी? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रानी नाडोल सड़क एमडीआर-120 का भाग है। रानी से नाडोल सड़क की कुल लम्बाई 18.0 किमी है, जिसमें 15/0 से 21/0 तक 6.0 किमी की चौडाई 5.50 मीटर है व 21/0 से 33/0 तक 12.00 किमी की चौड़ाई 3.75 मीटर है।

नाडोल से सादड़ी सड़क एमडीआर-040 है जिसकी कुल लम्बाई 25.0 किमी है। वर्तमान में नाडोल से सादड़ी सड़क के 25.0 किमी में से 6.0 किमी सड़क (0/0 से 3/0, 5/0 से 6/0 व 10/0 से 12/0) की चौड़ाई 5.50 मीटर है एवं शेष 19.00 किमी सड़क की चौड़ाई 3.75 मीटर है।

(2) जी नहीं। **रानी नाडोल-सड़क** के किमी 30/0 से 33/0 (3.0 किमी) सड़क नोन पेचेबल है। शेष सड़क की स्थिति संतोषजनक है।

नाडोल से सादड़ी सड़क एमडीआर-40 के 25.00 किमी लम्बाई में से 6.00 किमी सडक अच्छी स्थिति में है शेष 19.00 किमी लम्बाई में से 10.00 किमी नोन पेचेबल एवं 9.00 किमी सड़क पर पेच मरम्मत कार्य पूर्ण करवाया जा चुका है।

(3) जी नहीं। **रानी नाडोल सड़क** का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य बजट घोषणा 2022-23 में प्रस्तावित है, जिसकी स्वीकृति पश्चात् निविदा प्राप्त कर कार्य पूर्ण करवाया जायेगा।

नाडोल से सादड़ी सड़क 6.00 किमी एसआरएफ योजनान्तर्गत वर्ष 2019 में 5.50 मीटर चौड़ाई में निर्माण करवाया जा चुका है, जो कि वर्तमान में अच्छी स्थिति में है एवं शेष 19.00 किमी सड़क का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

सूरतगढ़ में सड़कों से वंचित ग्राम

173. श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री रामप्रताप कासनियां)

(1) विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 500 या 500 से अधिक आबादी वाले कौन-कौन से गांव हैं जो मापदंड रखते हुए भी सड़कों से नहीं जोड़े गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में अब तक सड़क से नहीं जुड़े गांवों को कब तक सड़क से जोड़ दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ में 500 एवं 500 से अधिक आबादी के कुल 164 गांव हैं और सभी गांव डामर सड़क से जुड़े हुए हैं।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कुल 478 गांव हैं, जिनमें से कुल 312 गांव डामर सडक से जुड़े हुए हैं शेष 166 गांव डामर सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं। शेष गांवों को डामर सड़क से जोड़ा जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

नागौर में कोरोना से मृतकों को मुआवजा

174. श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कोरोना महामारी से मृत्यु होने पर मुआवजे का प्रावधान है? यदि हां, तो राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा कितना-कितना मुआवजा देय है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मुआवजा प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है तथा इसके अन्तर्गत अब तक कितने आवेदन सरकार को प्राप्त हुए व कितने लोगों को मुआवजा दिया जा चुका है? जिला नागौर का तहसीलवार स्त्री व पुरुषों का पृथक्-पृथक् संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में कोरोना महामारी से अब तक कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है? तहसीलवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कोरोना महामारी से मृत्यु होने पर राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा मुआवजा दिये जाने का प्रावधान है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

राज्य सरकार:

राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में 18 वर्ष से कम आयु के अनाथ हुए प्रत्येक बच्चे को तथा विधवा महिलाओं व उनके बच्चो को मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजनान्तर्गत निम्नानुसार सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान हैः

1. प्रत्येक अनाथ बच्चे को तथा विधवा महिला को तात्कालिक सहायता के रूप में राशि रुपए 1.00 लाख एकमुश्त सहायता दी जाती है।
2. प्रत्येक अनाथ बच्चों को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक 2,500/- रुपये प्रतिमाह सहायता दी जा रही है। 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 5 लाख रुपये देय है।
3. विधवा महिला को आजीवन 1,500/- रुपये मासिक पेंशन देय है।
4. विधवा महिला के बच्चों को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक 1,000/- रुपये प्रतिमाह देय है।
5. प्रत्येक अनाथ बच्चे तथा विधवा महिलाओं के बच्चों को विद्यालय पोशाक, पाठ्य पुस्तकें आदि हेतु 2,000/- रुपये प्रति बालक/बालिका एकमुश्त वार्षिक अनुदान दिया जा रहा है।

ड्यूटी के दौरान संविदाकर्मी, मानदेय कर्मचारी, अधिस्वीकृत पत्रकार एवं राशन डीलर के संक्रमित होने एवं इलाज के दौरान असामयिक मृत्यु वाले प्रकरणों में 50 लाख रुपये का मुआवजा राशि दी जा रही है।

केन्द्र सरकारः

कोविड-19 से मृतकों के आश्रितों को अनुग्रहिक सहायता राशि 50,000 रुपये प्रति मृतक दिये जाने का प्रावधान है, जिसमें 75 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार व 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है।

(2) राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजनान्तर्गत मुआवजा प्राप्त करने हेतु आवेदनकर्ता द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय/विभाग के जिला/ब्लाक कार्यालय में दस्तावेज प्रस्तुत करना होता है। जिला कलेक्टर एवं प्राधिकृत अधिकारी से प्राप्त स्वीकृतियों के आधार पर भुगतान हेतु विभाग को अब तक 11,098 आवेदन प्राप्त हुए है तथा 9,926 लोगों को एक-एक लाख रुपये की एकमुश्त सहायता (मुआवजा) राशि दी जा चुकी है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

नागौर जिले का तहसीलवार स्त्री व पुरुषों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

ड्यूटी के दौरान संविदाकर्मी, मानदेय कर्मचारी, अधिस्वीकृत पत्रकार एवं राशन डीलर के संक्रमित होने एवं इलाज के दौरान असामयिक मृत्यु वाले प्रकरणों में 50 लाख रुपये की मुआवजा राशि दी जा रही है।

जिला कलक्टर्स से प्राप्त स्वीकृतियों के आधार पर अब तक 19 राशन डीलर्स, 04 अधिस्वीकृत पत्रकारों कुल 23 लोगों को मुआवजा राशि दी जा चुकी है।

नागौर जिले में उक्त मुआवजा राशि का स्त्री व पुरूषों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

केन्द्र सरकार द्वारा संचालित कोविड-19 अनुग्रह सहायता (50,000/-) राशि योजनान्तर्गत मुआवजा प्राप्त करने हेतु आवेदनकर्ता ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से आनलाइन आवेदन करने का प्रावधान है। जिला कलक्टर एवं प्राधिकृत अधिकारी से प्राप्त स्वीकृतियों के आधार पर अब तक विभाग को भुगतान हेतु कुल 16,388 आवेदन पत्र (8,664 आवेदन पत्र मुख्यमंत्री कोरोना सहायता पोर्टल तथा 7,724 आवेदन पत्र सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित ऑनलाइन पोर्टल पर) प्राप्त हुए हैं। अब तक कुल 11,651 आवेदकों को मुआवजा राशि दी जा चुकी है।

नागौर जिले का स्त्री व पुरुषों का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(3) नागौर जिले में कोरोना महामारी से अब तक लोगों की हुई मृत्यु का तहसीलवार संख्या विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

खैरथल कृषि उपज मण्डी द्वारा मुण्डावर में विकास कार्य

175. श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

कृषि उपज मण्डी खैरथल द्वारा विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में विगत पांच वर्ष में कितने विकास कार्य करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विगत पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर मे कृषि उपज मण्डी समिति, खैरथल के अधीन दो सड़कों का निर्माण करवाया गया है, जिसकी स्वीकृत लम्बाई 2.90 कि.मी. एवं राशि रु. 119.15 लाख थी। प्राप्त स्वीकृति अनुसार कुल 2.80 कि.मी. लम्बाई की दो सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया, जिन पर राशि रु. 96.00 लाख का व्यय हु आ। विस्तृत विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नागौर में होम गार्ड्स को नियमित ड्यूटी

176. श्री विजयपाल मिर्धा (डेगाना): क्या गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला नागौर में कुल कितने होम गार्ड कार्यरत हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत तीन वर्षों में उक्त जिले के कितने होम गार्ड्स को कितने-कितने दिन काम पर लगाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उप-खण्ड डेगाना में होम गार्ड्स को नियमित डयूटी पर लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में नागौर जिले में स्वयंसेवकों की कुल अधिकृत नफरी 770, आनरोल नफरी 629 है। संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-अ के अनुसार संलग्न है।

(2) विगत 3 वर्षों में नागौर जिले में होम गार्ड स्वयंसेवकों को दी गई ड्यूटी का विवरण परिशिष्ट-ब के अनुसार संलग्न है।

(3) जी नहीं। वर्तमान में उपखण्ड डेगाना जिला नागौर में होम गार्ड स्वयंसेवकों को नियमित ड्यूटी देने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

गृह रक्षा संगठन एक स्वयंसेवी संस्था है जिसकी मूल भावना रोजगार (जीविकापार्जन) उपलब्ध कराना नहीं है। भारत सरकार की नीति अनुसार गृह रक्षा स्वयंसेवकों को मांगकर्ता विभाग पुलिस/विभिन्न राजकीय विभाग/उपक्रमों की मांग अनुसार नियोजित किया जाता है। सभी सदस्यों को ड्यूटी का समान

(गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा मंत्री)

अवसर दिये जाने हेतु स्वयंसेवकों को विभागीय रोटेशन प्रणाली से ड्यूटी दी जा रही है। सभी होम गार्ड के जवानों को नियमित रूप से 12 माह ड्यूटी दिया जाना सम्भव नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

जहाजपुर में श्रमिक कार्ड

177. श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में विगत पांच वर्षों में कितने श्रमिकों के श्रमिक कार्ड बनाये गये तथा वर्तमान में कितने श्रमिक कार्ड लम्बित हैं व अब कब तक जारी कर दिये जायेंगे? पंचायतवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि लम्बित श्रमिक कार्ड अब तक जारी नहीं किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में श्रमिक कार्ड से विगत दो वर्षों में कितने श्रमिकों को लाभ मिला? पंचायतवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में विगत पांच वर्षों में कुल 6,009 पंजीयन आवेदन स्वीकृत किये गये व वर्तमान में 884 पंजीयन आवेदन लम्बित हैं। पंचायतवार संख्या विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीयन आवेदन स्वीकृत होने एवं आवेदनकर्ता द्वारा पंजीयन शुल्क व अंशदान जमा करने पर स्वतः सिस्टम से जारी हो जाते हैं। आवेदनों का जिला स्तर पर वरीयतानुसार प्राप्त आवेदनों का 'पहले आओ पहले पाओ' (फीफो) पद्धति से यथाशीघ्र निस्तारण किया जाता है, जो एक निरंतर प्रक्रिया है।

(3) विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में विगत दो वर्षों (दिनांक 01.01.2020 से 31.12.2021) में 1,408 हिताधिकारियों को मण्डल द्वारा लाभान्वित किया गया। पंचायतवार संख्या विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

किशनगढ़ में पंजीकृत श्रमिक

178. श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में कितने श्रमिक पंजीकृत हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में विगत तीन वर्षों में अब तक कितने पंजीकृत श्रमिकों को किस-किस योजना में कितना-कितना भुगतान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा उक्त अवधि में उक्त योजना में कितनी राशि का प्रावधान रखा गया है? उक्त में से कितनी राशि का भुगतान किया गया व कितना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में कुल 16,889 श्रमिक भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल में पंजीकृत हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में विगत तीन वर्षों (दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2021) में अब तक कुल 3,781 हिताधिकारियों को लाभान्वित किया जा चुका हैं, जिनका योजनावार मय राशि विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा संचालित योजनाओं के लिए सरकार द्वारा राशि का प्रावधान नहीं किया जाता है। मण्डल द्वारा संचालित योजनाओं का वित्त पोषण निर्माण कराने वाले नियोजकों से निर्माण लागत की एक प्रतिशत वसूली गई उपकर राशि से होता है एवं प्राप्त उपकर राशि का उपयोग ही संचालित योजनाओं के लिए किया जाता है। जिलों को आवश्यकतानुसार एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र के आधार पर उपलब्ध कोष की स्थिति को देखते हुए युक्ति युक्त बजट का आबंटन मण्डल द्वारा किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पीलीबंगा में संचालित आयुर्वेद औषधालय

179. श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

(1) विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में कितने आयुर्वेदिक औषधालय संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आयुर्वेदिक औषधालय में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद कब-कब से रिक्त हैं? उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में नवीन आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आयुर्वेद विभागान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में 16 औषधालय संचालित हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त औषधालयों में चिकित्सक, नर्स/कम्पाउण्डर एवं परिचारक के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

उक्त औषधालयों में चिकित्सक 07, नर्स/कम्पाउण्डर 07 एवं परिचारक के 05 पद रिक्त हैं, जिनको निम्नानुसार कार्यवाही की जाकर भरे जाने हैं:-

नर्स/कम्पाउण्डर - 704 कनिष्ठ आयुर्वेद नर्स/कम्पाउण्डर पदों पर भर्ती कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसके पूर्ण होने पर नियमानुसार उक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा सकेगी।

चिकित्साधिकारी- रिक्त पदों पर नियमानुसार भरने की कार्यवाही की जा सकेगी।

परिचारक - रिक्त पदों को संविदा एजेन्सी के माध्यम से भरने की कार्यवाही की जावेगी।

(3) नहीं। आयुष नीति 2021 के अनुसार वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता तथा गुणावगुण के आधार आयुर्वेदिक औषधालय खोलने पर विचार किया जा सकेगा।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

सिवाना में आयुर्वेद औषधालय

180. श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री हमीर सिंह भायल)

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में कितने आयुर्वेदिक औषधालय संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या संचालित आयुर्वेदिक औषधालय राजकीय भवनों में संचालित हो रहे हैं? यदि नहीं, तो निजी भवनों में संचालित औषधालयों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त संचालित आयुर्वेदिक औषधालयों में कितने पद स्वीकृत व रिक्त हैं? सरकार उक्त रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आयुर्वेद विभागान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सिवाना में 20 आयुर्वेद औषधालय संचालित हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त विधान सभा क्षेत्र में संचालित औषधालय में से 17 विभागीय/दान में प्राप्त, 02 पीएचसी, 01 ग्राम पंचायत के भवन में संचालित हैं। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) उक्त औषधालयों में चिकित्सक, नर्स/कम्पाउण्डर एवं परिचारक के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-ब संलग्न है।

उक्त रिक्त पदों को निम्नानुसार कार्यवाही की जाकर भरे जाने हैं:-

नर्स/कम्पाउण्डर - 704 कनिष्ठ आयुर्वेद नर्स/कम्पाउण्डर पदों पर भर्ती कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसके पूर्ण होने पर नियमानुसार उक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जावेगी।

चिकित्साधिकारी- रिक्त पदों पर नियमानुसार भरने की कार्यवाही की जा सकेगी।

परिचारक - रिक्त पदों को संविदा एजेन्सी के माध्यम से भरने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(4) आयुष नीति 2021 के अनुसार वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता तथा गुणावगुण के आधार आयुर्वेदिक औषधालय खोलने पर विचार किया जा सकेगा।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

पिलानी में पोलीटेक्निक कालेज

181. श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र पिलानी के लिए पोलीटेक्निक कालेज प्रारम्भ करने की बजट घोषणा के परिणामस्वरूप उक्त पोलीटेक्निक कालेज की स्वीकृति कब जारी की गई व वर्तमान में क्या प्रगति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत सत्र में उक्त पोलीटेक्निक कालेज के प्रवेश किस पोलीटैक्निक महाविद्यालय के कैम्पस में करवाये गये हैं तथा वर्तमान में उक्त कालेज कहां संचालित हो रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र पिलानी में स्वीकृत उक्त पोलीटैक्निक कालेज जो वर्तमान में अन्य कैम्पस में संचालित है, को भविष्य में कहां स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया गया व अब कब तक उक्त पोलीटैक्निक कालेज को उक्त विधान सभा क्षेत्र में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) तकनीकी शिक्षा विभाग, जयपुर के पत्रांक प.12(2) त.शि./2019 दिनांक 09.04.2021 द्वारा विधान सभा क्षेत्र पिलानी के लिए पोलीटेक्निक कालेज प्रारम्भ करने की स्वीकृति जारी की गई।

वर्तमान में भूमि आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) गत सत्र में इस पोलीटेक्निक महाविद्यालय के प्रवेश का कार्य केन्द्रीयकृत प्रवेश द्वारा राजकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय, झुंझुनूं में करवाये गये।

वर्तमान में उक्त पोलीटेक्निक कालेज, राजकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय, झुंझुनूं में संचालित किया जा रहा है।

(3) राजकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय, पिलानी हेतु भूमि आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, भूमि आबंटन के पश्चात्, भवन निर्माण का कार्य पूर्ण होने पर, राजकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय, पिलानी को स्वयं के भवन में शिफ्ट कर दिया जायेगा।

परिशिष्ट

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचना जिसे पढ़ा हुआ माना गया।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा)

सरकार द्वारा स्वीकृत मेडिकल कालेज व अस्पताल भवन का निर्माण

महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रदेश में 5 जिलों में मेडिकल कालेजों के निर्माण की स्वीकृति मिली थी, जिसमें टोंक जिला भी शामिल था। मेडिकल कालेज निर्माण के लिए टोंक जिले को 325 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई थी। वर्तमान सआदत अस्पताल एवं इसकी यूनिट महिला एवं शिशु अस्पताल में मेडिकल कालेज बनाया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि वहां इसके लिए पर्याप्त जमीन उपलब्ध नहीं है। मेडिकल कालेज के साथ-साथ लगभग 200 बैड का अस्पताल निर्माण किया जाना अनिवार्य है। वर्तमान अस्पताल एकल रोड पर स्थित होने के कारण आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है और आपातकालीन मरीजों को अस्पताल पहुंचने में अनावश्यक देरी होती है जो उनकी मौत का कारण बनती है। इसके अलावा वर्तमान अस्पताल परिसर में न तो पार्किंग की उचित व्यवस्था है और न ही स्टाफ क्वार्टर्स, तो ऐसी स्थिति में मेडिकल कालेज का निर्माण करवाया जाना मुश्किल है।

उक्त समस्याओं एवं मेडिकल कालेज की आगामी विस्तार जिसमें बैड्स की संख्या में बढ़ोतरी के साथ-साथ अन्य चुनौतियों को देखते हुए यदि उक्त मेडिकल कालेज का निर्माण युसुफपुरा-चराई में कर दिया जाता है तो वह सर्वोत्तम रहेगा। यह NH-12 से महज 4 किमी दूरी पर स्थित है तथा मेडिकल कालेज के पास से प्रस्तावित 100 फिट रिंग रोड के लिए उपयुक्त है। युसुफपुरा चराई में मेडिकल कालेज निर्माण हेतु 42 बीघा जमीन आबंटित है तथा इसके पास ही लगभग 18 बीघा सरकारी जमीन और उपलब्ध है।

अतः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि मेडिकल कालेज टोंक का निर्माण युसुफपुरा-चराई में करवाने की कृपा करें ताकि मरीजों को समय पर उचित इलाज मिल सके।